

लखनऊ महायोजना-2031



सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
एवं
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

महायोजना दल

अजय कुमार मिश्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

शेर सिंह सहयुक्त नियोजक	डॉ आर० के० उदयन सहायक नियोजक
श्री देवेन्द्र सिंह	: अपर सांख्यिकीय अधिकारी
श्री प्रवीण कुमार वर्मा	: अपर सांख्यिकीय अधिकारी
डॉ राजेश कुमार पाण्डेय	: अपर सांख्यिकीय अधिकारी
श्री चन्द्र भूषण शुक्ला	: सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
श्री गोविन्द कुमार	: सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
श्री अजयवीर सिंह	: वास्तुविद सह. नियोजन सहायक
श्रीमती अंजना पोरवाल	: वास्तुविद सह. नियोजन सहायक
श्री आर०के० बाजपेई	: मुख्य मानचित्रकार
मो० मोबीन	: मुख्य मानचित्रकार
श्री कुमार गौरव	: अर्ह—मानचित्रकार
श्रीमती वंदना कपूर	: अर्ह—मानचित्रकार
श्री संजय कुमार सिंह	: अर्ह—मानचित्रकार
श्री राजेश कुमार यादव	: अनुरेखक
मो० इमरान	: अनुरेखक
श्री दिनेश कुमार वर्मा	: नीलमुद्रक
श्री राम ज्यावन	: आशुलिपिक
श्री राम स्वरूप यादव	: वरिष्ठ सहायक
श्री अरविन्द कुमार सिंह	: वरिष्ठ सहायक
श्रीमती रेखा रानी	: कनिष्ठ सहायक
श्रीमती नीलम सिंह	: कनिष्ठ सहायक
श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	: पत्रवाहक
श्री कृष्ण कुमार	: पत्रवाहक

विषय सूची

क्रमांक	विषय	
1	उद्भव एवं विकास	
1.1	स्थिति	
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास	
2	विकास क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता	
2.1	विकास क्षेत्र की सीमा से संलग्न क्षेत्रों में हो रहे अनियंत्रित/अनियोजित विकास पर नियंत्रण	
2.2	हाईटेक टाउनशिप नीति का कार्यान्वयन	
2.3	नये वाह्य मुद्रिका मार्ग (Ring Road) का विकास	
3	वर्तमान अध्ययन	
3.1	जनसंख्या— जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरताएँ जनसंख्या प्रक्षेपण	
3.2	आर्थिक आधार— भागीदारिता दर, कार्यशील श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण,	
4	वर्तमान भू-उपयोग	
4.1	आवासीय उपयोग	
4.2	वाणिज्यिक उपयोग	
4.3	कार्यालय	
4.4	औद्योगिक उपयोग	
4.5	सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें	
4.6	यातायात	
4.7	मनोरंजनात्मक/पार्क एवं क्रीड़ा स्थल	
4.8	नदी/नाला/जलाशय	
4.9	अन्य उपयोग	
4.10	कृषि/बाग/वन/झाड़ियाँ	
4.11	अपरिभाषित क्षेत्र	
5	नियोजन समस्यायें	
5.1	निवास योग्य वातावरण में क्रमिक हास	
5.2	असंगत उपयोग एवं क्रिया-कलाप	
5.3	मोटर वाहन क्रय-विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामग्री विक्रय केन्द्र	
5.4	थोक मण्डी	
5.5	असंगठित क्षेत्र की अधिकता	
5.6	आंतरिक क्षेत्रों में कार्य केन्द्रों का संकेन्द्रण	
5.7	औद्योगिक इकाइयाँ	
5.8	सुविधाएँ एवं सेवायें	
5.9	यातायात एवं परिवहन	
5.10	बाहरी स्थलों हेतु गुजरने वाले वाहनों से सुगम मार्ग प्रवाह में गत्यावरोध	

क्रमांक	विषय	
5.11	पार्किंग सुविधाओं की कमी	
5.12	शैक्षिक/प्राविधिक कोचिंग संस्थायें	
5.13	ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों/भवनों की दशा	
5.14	जल संसाधनों का असंतुलित दोहन	
6	महायोजना की अवधारणा	
6.1	नगर के भौतिक स्वरूप के अनुरूप प्रस्ताव	
6.2	यातायात	
6.3	असंगत भू-उपयोग	
6.4	सुरक्षा जोन का प्रस्ताव	
6.5	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें	
6.6	पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास कम घनत्व वाले उपयोगों के प्रस्ताव	
7.	महायोजना के उद्देश्य एवं कार्यान्वयन हेतु नीतियाँ	
7.1	महायोजना के उद्देश्य	
7.2	महायोजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित नीतियाँ	
8	महायोजना प्रस्ताव	
8.1	परिचय	
8.2	आर्थिक आधार	
8.3	आवासीय भू-उपयोग	
8.4	वाणिज्यिक भू-उपयोग	
8.5	उद्योग	
8.6	कार्यालय	
8.7	सामुदायिक सुविधाएं / उपयोगिताएं एवं सेवायें	
8.8	मनोरंजनात्मक	
8.9	यातायात एवं परिवहन	
8.10	अन्य उपयोग	
8.11	अन्य प्रस्ताव	
9	जोनिंग रेगुलेशन्स	
9.1	परिचय	
9.2	भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाये	
9.3	विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं	
9.4	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध,	
9.5	जोनिंग रेगुलेशन्स (मैट्रिक्स)	
9.6	प्रभाव शुल्क (मैट्रिक्स)	
संलग्नक		
1	शासकीय समिति एक्शन टेकेन रिपोर्ट	

मानचित्रों की सूची

क्रमांक	विषय	
1.1	लखनऊ महानगर की स्थानिक स्थिति	
1.2	उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के मध्य प्रमुख सड़क यातायात मार्ग	
2.1	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित एवं प्रस्तावित प्रमुख योजनायें	
2.2	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित बाह्य मुद्रिका मार्ग (RING ROAD)	
2.3	लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान विकास क्षेत्र	
8.1	लखनऊ महानगर का भौतिक विकास प्रतिरूप	
8.2	नियोजन हेतु उपलब्ध क्षेत्र	
8.5	प्रमुख मार्ग	
8.7	लखनऊ मेट्रो	
8.8	हेरिटेज जोन्स	
8.9	सुरक्षा जोन्स	
8.10	नियोजन खण्ड	
3.1	वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र	
8.3	लखनऊ महायोजना-2031 - भू-उपयोग	
8.6	मार्ग संरचना	
8.4	बाजार मार्ग	

1.0 उद्भव एवं विकास

1.1 स्थिति:

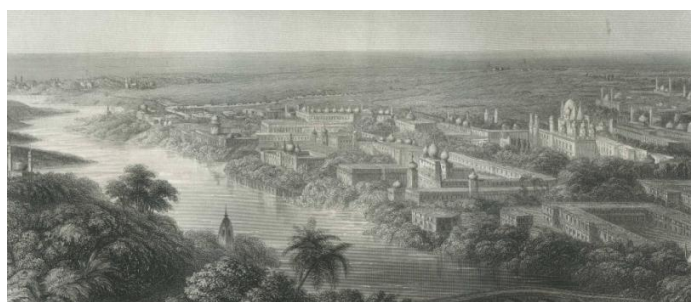
लखनऊ नगर $26^{\circ}30'$ एवं $27^{\circ}10'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{\circ}30'$ एवं $81^{\circ}13'$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह नगर स्वनामित मण्डल, जिला तथा तहसील का मुख्यालय होने के साथ-साथ इस नगर को प्रदेश की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। नगर की मुख्य आबादी गोमती नदी के दाहिने तट पर बसी हुई है, जबकि वर्तमान में इसका विकास शहर के चारों तरफ द्रुत गति से हो रहा है।

लखनऊ नगर पाँच राष्ट्रीय राजमार्गों के सन्धि स्थल पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (सीतापुर रोड) द्वारा दिल्ली से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 (कानपुर रोड) द्वारा झाँसी एवं भोपाल से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 (फैजाबाद रोड) द्वारा गोरखपुर होते हुए वाराणसी तथा बिहार के नगरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24(बी) से रायबरेली एवं इलाहाबाद को जोड़ा गया है एवं सुल्तानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 से जोड़ा गया है। लखनऊ नगर दो प्रान्तीय राजमार्गों द्वारा हरदोई एवं मोहान से जुड़ा हुआ है। (मानचित्र संख्या.-1.1 एवं 1.2) यह नगर उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी लाइन एवं छोटी लाइन का मिलन बिन्दु है। लखनऊ नगर हवाई मार्ग से दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलूरु, कोलकाता एवं शारजहां से जुड़ा हुआ है।

लखनऊ नगर का अधिकतम तापमान 48.90° सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 1.67° सेन्टीग्रेड तक पहुँच जाता है। नगर का जल स्तर सामान्यतः 18 मीटर है। लखनऊ नगर में लगभग सभी सामान्य प्रशासनिक एवं न्यायिक विभागों के राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय स्थित हैं, इसके अतिरिक्त राजभवन, सचिवालय, हाईकोर्ट के साथ ही रेडियो एवं दूरदर्शन केन्द्र भी स्थापित हैं।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं कमिक विकास:

लखनऊ नगर उत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन का केन्द्र है यह प्राचीन गरिमा एवं आधुनिक आकाशाओं का प्रतीक है। देश के एक बड़े राज्य की राजधानी होने के कारण इसकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा अलग है यहाँ की सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार को विशेष गौरव प्राप्त है, इस प्रकार से यह नगर बहुआयामी नगर है।



वर्ष 1860 में मोतीमहल का एक दृश्य

लखनऊ के उद्भव के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक किवदन्ती के आधार पर श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने इसे बसाया था तथा इसे प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर ही कहते थे।

लक्ष्मण जी ने अपनी राजधानी की सुरक्षा हेतु जिस किले का निर्माण कराया था उसे लक्ष्मण टीला कहते हैं जो वर्तमान समय में मौंझी भवन का भाग है। कालान्तर में कन्नौज के राजा जयचन्द्र ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके पश्चात् मोहम्मद गजनबी के आदेश पर सैयद सत्तार मसूद ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया। बाद में यहाँ पर राजपूत, शेख, पठानों का आधिपत्य रहा। पठान जमींदारों ने ही भवन शिल्प की शुरुआत की तथा किले का निर्माण करवाया जिसके कारण किले के निर्माणकर्ता लखना के नाम पर ही किले का नामकरण किया गया तथा इसके नाम को लक्ष्मणपुरी से लखनऊ कर दिया गया।

मुगल शासन काल में लखनऊ में भवन निर्माण को विशेष गति प्राप्त हुई, तथा चौक के दक्षिणी हिस्से में कई मोहल्लों का निर्माण हुआ। सम्राट अकबर को यह स्थान चतुर्दिक स्वच्छ जलवायु, पुष्प, फल तथा विभिन्न किस्मों के चावल की उपलब्धता के कारण काफी प्रिय था। अकबर के शासन काल में पंच महल का निर्माण हुआ। नवाबों ने अपने शासन काल में चौक, हुसैनाबाद, कैसरबाग, रोमी दरवाजा तथा पेरिस की सेन नदी पर बने पुल की आकृति के आधार पर गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया जिसे वर्तमान में पक्का पुल के नाम से जाना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा, रेजीडेन्सी तथा कई मोहल्लों का निर्माण



कैसरबाग पैलेस का पश्चिमी द्वार



बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र

भी इन्हीं की देन थी। इनके शासन काल में ही जनरल क्लाउड मार्टिन लखनऊ आये थे। इन्होंने लॉ-मार्टीनियर तथा कोठी फरहत बक्श जैसी इमारतें बनवाई थी। आसिफउद्दौला के पश्चात् सआदत अली खॉ ने सआदतगंज, रकाबगंज, गोलागंज, मौलवीगंज मोहल्लों का निर्माण करवाया तथा नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने मोतीमहल, छतर मंजिल, शहनजफ एवं बादशाह बाग का निर्माण करवाया। इसके पश्चात् इनके वंशजों ने गणेशगंज, चौदगंज, आइरन ब्रिज, हजरतगंज व सिकन्दरबाग मोहल्लों का निर्माण करवाया था।

सन् 1856 में नवाबी शासन के अस्त होने तथा ब्रिटिश शासन के अभ्युदय के कुछ समय तक लखनऊ उपद्रव ग्रस्त रहा क्योंकि नये शासकों से जनता असंतुष्ट रही। सन् 1857 के विप्लव में रेजीडेन्सी, मौंझी भवन जैसी खूबसूरत इमारतें तथा बगीचे युद्ध स्थल बन गये। ब्रिटिश सत्ता के आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ जाने के पश्चात् ब्रिगेडियर जनरल सर राबर्ट नैपियर ने राजधानी की सुरक्षा हेतु योजना तैयार की तथा गोमती नदी की 300 गज की दूरी तक सभी अवरोधों को

हटवाया तथा सेना के आवागमन हेतु सीधी सड़कों का निर्माण करवाया। पुराने उपयोगी मार्गों की मरम्मत तथा मौंझी भवन से शुरू होने वाले चारों तरफ के मार्गों का भी निर्माण करवाया। इसके लिये नगर को 05 भागों में विभक्त किया गया था। वर्ष 1915 की बाढ़ में लखनऊ का काफी बड़ा भू-भाग जल मग्न हो गया था। बाढ़ की विभीषिका के अनुभव के आधार पर लखनऊ के नियोजन को बल मिला। लखनऊ नगर पालिका ने इस दिशा में नगर नियोजन की योजनाओं हेतु प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स को सलाह हेतु आमंत्रित किया जिन्होंने नगर का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर नगर से सम्बन्धित पक्षों जैसे-यातायात, संचार, आवास तथा लैण्डस्केपिंग आदि योजनायें बनाई। वर्ष 1920 में लखनऊ इंप्रूवमेन्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई जिसके द्वारा तैयार प्रस्तावों के आधार पर नगर के विकास को दिशा प्राप्त हुई।



हुसेनाबाद द्वार

सन् 1930 में लखनऊ के विकास को पुनः एक नया आयाम मिला जब इलाहाबाद से सचिवालय तथा अन्य राजकीय कार्यालयों को लखनऊ स्थानान्तरित किया गया जिससे मॉल एवेन्यू, लाजपत नगर आदि मोहल्ले विकसित हुये। सन् 1947 में भारत के विभाजन के कारण लखनऊ में शरणार्थियों के आब्रजन के फलस्वरूप नगर का अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित विस्तार हुआ एवं नगर के पुराने क्षेत्रों तथा वाह्य मार्गों पर सघन आबादी का विकास हुआ।

भूमि के अव्यवस्थित वितरण एवं विकास, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए तथा उपयुक्त योजना के अंतर्गत नगर के विकास एवं विस्तार को नियोजित एवं सुनियोजित दिशा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 2पी/37-50 एच/57 दिनांक 10.12.1958 के द्वारा लखनऊ विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था।

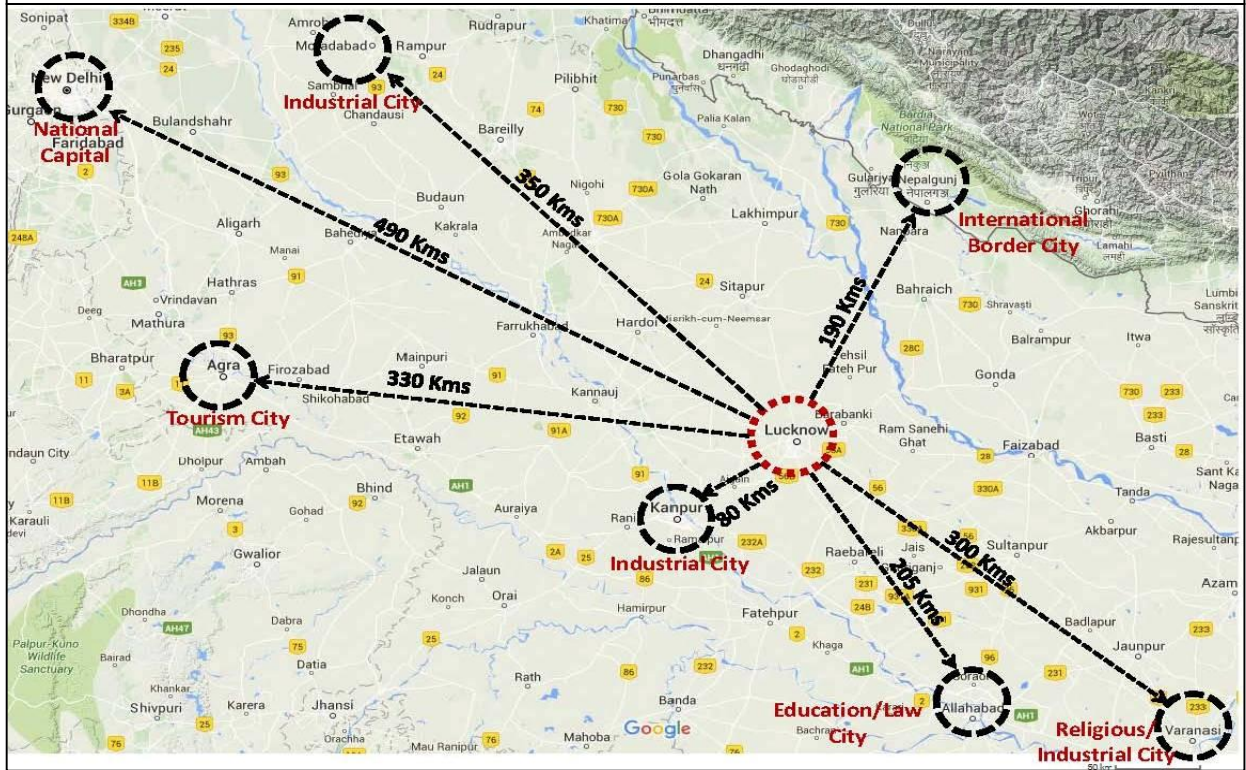
नगर के सुनियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार की गयी जिसे शासनादेश संख्या-3647/37-35 दिनांक 27-1-1970 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3923/37-2-4-(डीए)-72 दिनांक 11.9.1974 के द्वारा छावनी क्षेत्र एवं केन्द्र सरकार के स्वामित्व में ऐसी भूमि जो जल, थल एवं हवाई सेना के प्रयोगार्थ हो, को छोड़कर नगर निगम सीमा से 08 किमी. तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लखनऊ विकास क्षेत्र घोषित किया गया।

1980 के दशक में गोमती नदी एवं कुकरैल के तटबन्धों एवं गोमती बैराज से फैजाबाद मार्ग के मध्य सम्पर्क मार्ग के निर्माण/विकास के फलस्वरूप नगर के केन्द्रीय वाणिज्यिक स्थल हजरतगंज से अत्यन्त कम दूरी पर स्थित नये सुरक्षित क्षेत्र विकास हेतु उपलब्ध हुए वहीं दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा रायबरेली, कानपुर, हरदोई एवं सीतापुर मार्गों पर वृहद स्तर की आवासीय योजनाएं प्रारम्भ की गयी। इन सब परियोजनाओं के

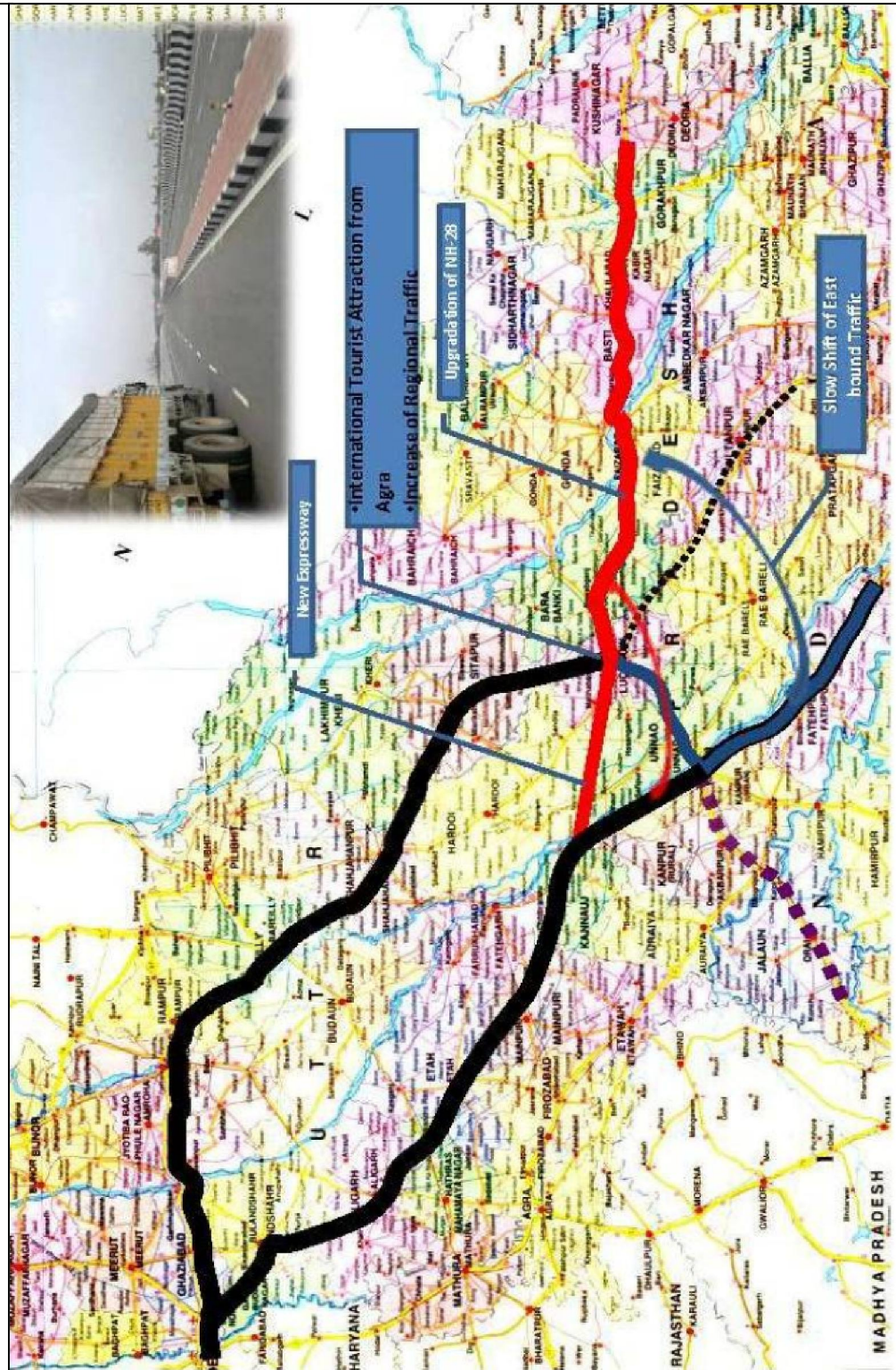
कार्यान्वयन से नगर के विकास की दिशा प्रभावित हुई। उपलब्ध हुए नये क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा लखनऊ महायोजना को संशोधित कराये जाने का निर्णय लिया गया। संशोधित लखनऊ महायोजना-2001 को शासनादेश संख्या-549/9-आ-3-92-8 महा./86 दिनांक 14 फरवरी 1992 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

सीतापुर एवं फैजाबाद मार्गों पर विकास की अपेक्षाकृत तीव्र गति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-07/9-आ-5-98-21डी.ए./72 दिनांक 6 जनवरी 1999 द्वारा फैजाबाद एवं सीतापुर मार्ग के 16 ग्राम लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। लखनऊ महायोजना-2001 की अवधि समाप्त होने के उपरान्त बढ़े हुए ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लखनऊ महायोजना-2021 तैयार की गयी जिसे शासनादेश संख्या-1298/8-3-05 महा./2005 दिनांक 31 मार्च 2005 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। लखनऊ महायोजना-2021 लगभग 60800 हे० क्षेत्र के लिए तैयार की गयी जिसमें नगरीयकरण योग्य प्रस्तावित क्षेत्रफल 41380.00 हेक्टेयर था।

मानचित्र संख्या 1.1 लखनऊ महानगर की स्थानिक स्थिति



मानचित्र संख्या 12 उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के मध्य प्रमुख सड़क यातायात मार्ग



2.0 विकास क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र की सीमा से संलग्न क्षेत्रों में हो रहे अनियंत्रित/अनियोजित विकास पर नियंत्रण—

विकास क्षेत्र की महायोजना-2021 में कुल विकास क्षेत्र के 68.05 प्रतिशत क्षेत्र (41380 हे0) पर नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास क्षेत्र का शेष 19420 हे0 क्षेत्र जिसका अधिकांश भाग मैंगो बेल्ट के अन्तर्गत है, को कृषि उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया था। कानपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद एवं रायबरेली मार्गों पर स्वीकृत महायोजना में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का विस्तार विकास क्षेत्र की सीमा तक है। विकास क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास क्षेत्र की सीमा तक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित है, में प्रस्तावित नगरीय उपयोगों के बाहर कोई कृषि/हरित पट्टी के रूप में बफर भूमि शेष नहीं है तथा सीमा के बाहर संलग्न क्षेत्रों में Parasitic अनियंत्रित/अनियोजित विकास का प्रसार होना प्रारम्भ हो गया है। इस प्रकार हो रहे अनियंत्रित/अनियोजित विकास को नियंत्रित किये जाने हेतु विकास क्षेत्र का विस्तार किया जाना अपरिहार्य हो गया था।

2.2 हाईटेक टाउनशिप नीति का कार्यान्वयन—

शासन द्वारा नगरीय विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु नीति प्रतिपादित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र हेतु तीन विकासकर्ताओं का चयन अनुमोदित किया गया है। इन टाउनशिप में से दो टाउनशिप्स का आंशिक क्षेत्र स्वीकृत महायोजना-2021 के विकास क्षेत्र से बाहर स्थित है, जिसे हाईटेक टाउनशिप नीति की व्यवस्था के अनुसार विकास क्षेत्र का विस्तार कर विकास क्षेत्र की सीमान्तर्गत लाया जाना प्राविधानित है। (मानचित्र संख्या.-2.1)

2.3 नये वाह्य मुद्रिका मार्ग (Ring Road) का विकास—

महायोजना-2021 के अनुसार लखनऊ का नगरीयकरण योग्य क्षेत्र लगभग 413.8 वर्ग कि.मी. है। नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात की प्रणाली Ring Radial Pattern पर विकसित है। महायोजना में प्रस्तावित रिंग रोड थ्रु-ट्रैफिक को नगर के बाहरी क्षेत्रों तक सीमित रखने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु नगर के विकसित क्षेत्रों के विस्तार के फलस्वरूप महायोजना में प्रस्तावित रिंग रोड अब एक आन्तरिक मार्ग के रूप में हो गयी है।

नगर के आकार के दृष्टिगत एक अतिरिक्त रिंग रोड की आवश्यकता है जिससे थ्रु-ट्रैफिक नगर के आन्तरिक यातायात में बाधक न हो। अतिरिक्त रिंग रोड के संरेखन हेतु भी विकास क्षेत्र में विस्तार आवश्यक हो गया था। (मानचित्र संख्या.-2.2)

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत विकास क्षेत्र की सीमा के बाहर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा में विस्तार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-174/आ0- 6-09-01 गठन/04 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा लखनऊ जनपद के 197 नये ग्राम (आरक्षित वन को छोड़ते हुए) लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं।

इन 197 ग्रामों में से 37 ग्राम लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भी अधिसूचित है। लखनऊ विकास क्षेत्र में 160 नये ग्राम सम्मिलित होने के फलस्वरूप विकास क्षेत्र में (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को छोड़ते हुए) कुल 39179 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई। फैजाबाद एवं देवा मार्ग पर विकास क्षेत्र का विस्तार नहीं किया गया है। शेष सभी प्रमुख मार्गों पर विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया है। शासन की अधिसूचना संख्या: 2532/आठ-6-14-10 गठन/2014 लखनऊ दिनांक 19.11.2014 द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के संरेखन से प्रभावित लखनऊ जनपद के 16 ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है।

विकास क्षेत्र के विस्तार से सीतापुर मार्ग पर विकास क्षेत्र की सीमा में लगभग 5.75 कि.मी., हरदोई मार्ग पर लगभग 3.4 कि.मी., मेमौरा मार्ग पर लगभग 5.25 कि.मी., रायबरेली मार्ग पर लगभग 4.8 कि.मी., सुल्तानपुर मार्ग पर लगभग 8.00 कि.मी. एवं मोहान मार्ग पर लगभग 4.4 कि.मी. की वृद्धि हुई है।

सीतापुर मार्ग पर अन्तिम ग्राम देवरी रोखरा एवं कमलापुर सिरसा है। हरदोई मार्ग पर ग्राम दुगौली, मोहान मार्ग पर ग्राम तेज किशन खेड़ा अब विकास क्षेत्र का अन्तिम ग्राम है। रायबरेली मार्ग पर अतरौली तथा सुल्तानपुर मार्ग पर विकास क्षेत्र का अन्तिम ग्राम कोरियानी एवं बलिया खेड़ा है।

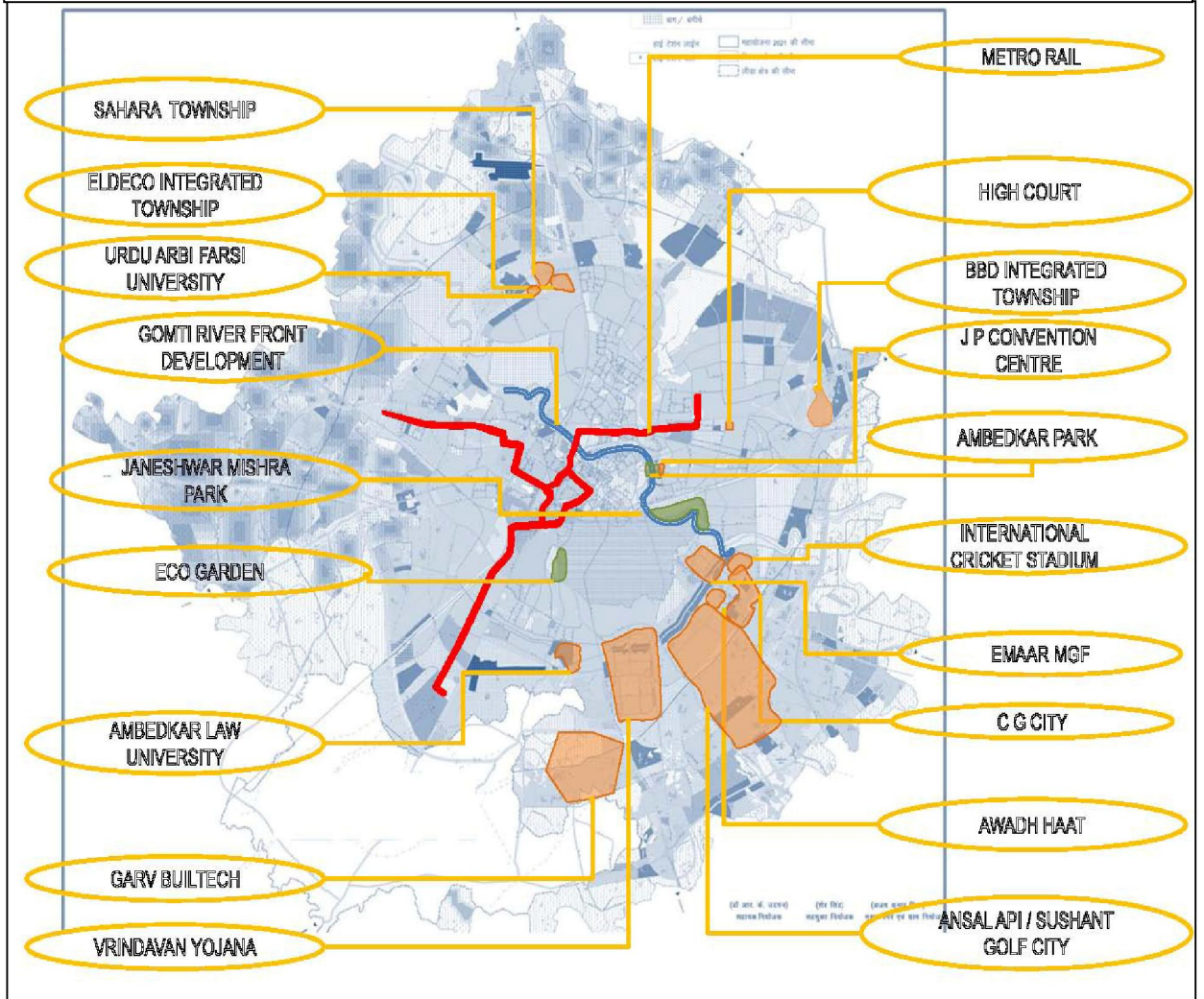
प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.2.2009 द्वारा विस्तारित क्षेत्र की महायोजना की संरचना हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेन्सी घोषित किया गया तदनुसार विस्तारित क्षेत्र की महायोजना(प्रारूप) तैयार कर प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.2.2011 में लखनऊ विस्तारित क्षेत्र की महायोजना का प्रारूप जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर इन पर सुनवाई के उपरान्त विस्तारित क्षेत्र की महायोजना बोर्ड की बैठक दिनांक 8.9.2011 को अनुमोदित की गयी। प्राधिकरण के पत्र संख्या-394/वी.सी./टी.पी./2011 दिनांक 21.12.2011 द्वारा विस्तारित क्षेत्र की महायोजना अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित की गयी।

राज्य सरकार द्वारा सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित चक गंजरिया फार्म की भूमि पर आई.टी. सिटी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु लखनऊ महायोजना-2021 एवं विस्तारित क्षेत्र में शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किए गये। शासन के पत्र संख्या: 1052 (1)/8-3-13-308 विविध/11 दिनांक: 5.07.2013 द्वारा चक गंजरिया फार्म के अन्तर्गत किए गये भू-उपयोग परिवर्तन को विस्तारित क्षेत्र की महायोजना में समाहित करने हेतु महायोजना प्राधिकरण को वापस प्रेषित की गयी।

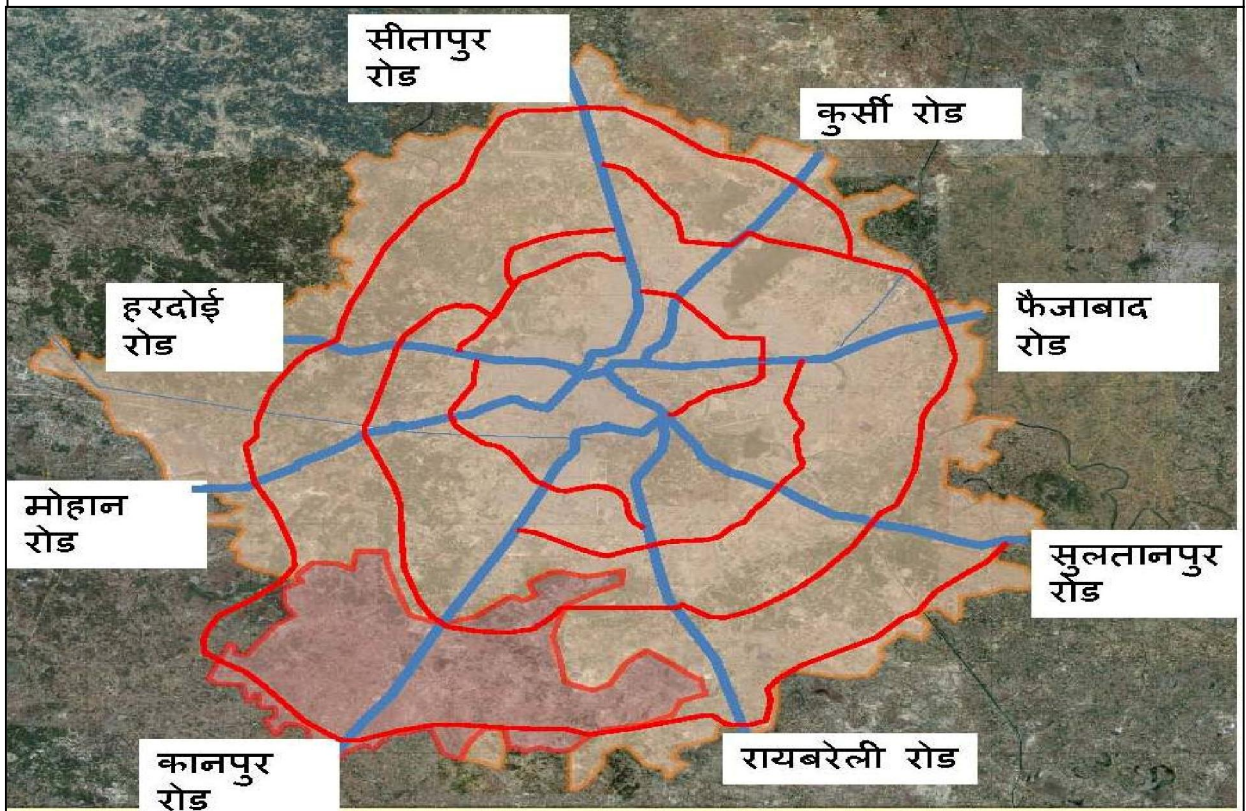
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11.6.2014 में निर्णय लिया गया कि लखनऊ महायोजना-2021 के स्थान पर लखनऊ महायोजना-2031 तैयार की जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रचलित लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित कृषि भूमि एवं विस्तारित क्षेत्र के ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए संशोधित महायोजना-2031 तैयार की जाय।

(मानचित्र संख्या.-2.3)

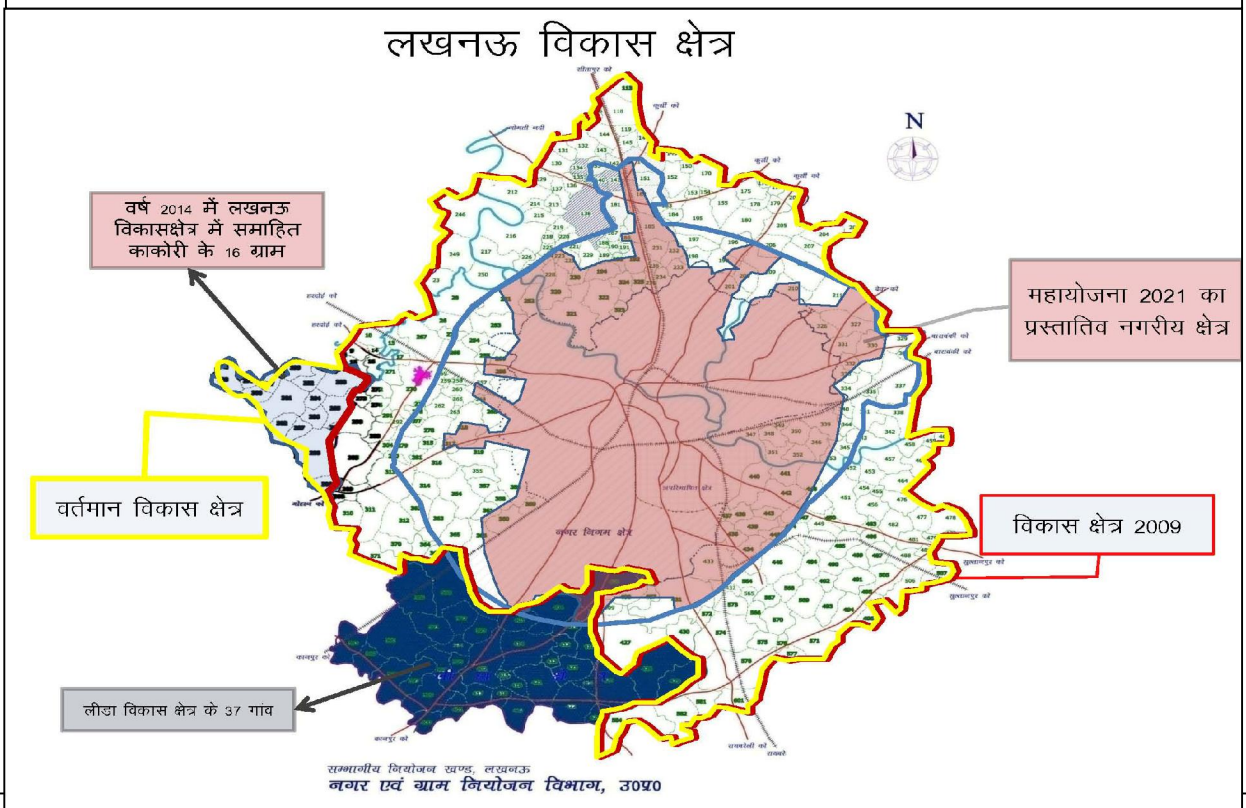
मानचित्र संख्या 2.1 लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित एवं प्रस्तावित प्रमुख योजनायें



मानचित्र संख्या 2.2 लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित बाह्य मुद्रिका मार्ग (Ring Road)



मानचित्र संख्या 2.3 लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान विकास क्षेत्र



3.0 वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

3.1.1 जनसंख्या वृद्धि

लखनऊ नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 2,56,239 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 28,80,108 हो गई। पिछली शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही तथा उसके उपरान्त जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। दशक 1951-61 के मध्य वृद्धि दर 31.96 प्रतिशत थी जोकि अगले दो दशकों में घटकर 23.79 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 1961 से 1981 के मध्य घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर नगरीय आर्थिक आधार की दुर्बलता को दर्शाती है। दशक वर्ष 1981-91 के मध्य पुनः जनसंख्या वृद्धि दर में अप्रत्याशित वृद्धि (65.66 प्रतिशत) हुई जिसका मुख्य कारण नगरीय सीमा का विस्तार था। 1991-2001 के दशक में नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 34.53 प्रतिशत रही। 2001-2011 के दशक में नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 28.26 प्रतिशत रही।

तालिका संख्या-3.1

लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या वृद्धि (1901-2011)

दशक वर्ष	लखनऊ नगर समूह			लखनऊ नगर निगम			लखनऊ छावनी		
	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %	जनसंख्या	दशकान्तर	दशकान्तर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1901	256239	—	—	256239	—	—	—	—	—
1911	252114	-4125	-1.61	252114	-4125	-1.61	—	—	—
1921	240566	-11548	-4.58	240566	-11548	-4.58	—	—	—
1931	274659	34093	14.17	251057	10531	4.38	23562	—	—
1941	387177	112518	40.97	361294	110197	43.89	25883	2321	9.85
1951	496861	109684	28.33	459484	98190	27.18	37377	11494	44.41
1961	655673	158812	31.96	615523	156039	33.96	40150	2773	70.42
1971	813982	158309	24.14	774644	159121	25.85	39338	-812	-2.02
1981	1007604	193622	23.79	947990	173346	22.38	59614	20276	51.54
1991	1669204	661600	65.66	1619116	671125	70.79	50089	-9525	-15.98
2001	2245509	576305	34.53	2185927	566811	35.00	59582	9493	18.95
2011	2880108	634599	28.26	2817105	631178	28.87	63003	3421	5.74

(स्रोत: जनगणना पुस्तिका)

3.1.2 जनसंख्या घनत्व

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार लखनऊ नगर समूह का जनसंख्या घनत्व 69 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो वर्ष 1991 में घटकर 49 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर रह गया। इस दशक में जनसंख्या घनत्व के घटने का प्रमुख कारण लखनऊ नगर निगम की सीमा में हुई वृद्धि थी क्योंकि नगर निगम का सीमा क्षेत्र 14594 हेक्टेयर से बढ़कर 33750 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या घनत्व 67 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं 2011 में जनसंख्या घनत्व 85 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया।

3.1.3 लिंगानुपात

लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत वर्ष 2011 में जनसंख्या का लिंगानुपात 921 स्त्री प्रति हजार पुरुष है। 2001 में जनसंख्या का लिंगानुपात 888 स्त्री प्रति हजार पुरुष , वर्ष 1991 में यह लिंगानुपात 871 स्त्री प्रति हजार पुरुष तथा वर्ष 1981 में 832 स्त्री प्रति हजार पुरुष था। लखनऊ नगर समूह में इन दशक वर्षों में लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

3.1.4 साक्षरता

लखनऊ नगर समूह की साक्षरता दर दशक वर्ष 1981, 1991 , 2001 एवं 2011 में क्रमशः 57.54, 60.27, 67.60 एवं 71.43 प्रतिशत रही है जो नगर में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को इंगित करता है।

3.1.5 जनसंख्या प्रक्षेपण

3.1.5.1 नगर समूह

लखनऊ नगर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी होने के फलस्वरूप यह प्रदेश का प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र तो है ही इसके साथ-साथ यह नगर एक महत्वपूर्ण सेवा केन्द्र एवं व्यवसायिक केन्द्र की भूमिका भी निभा रहा है। पिछली एक शताब्दी में नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 2,56,239 से बढ़कर वर्ष 2011 में 28,80,108 हो गई है। विभिन्न दशकों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि समान रूप से नहीं रही है। शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही है जबकि उत्तरार्द्ध में यह दर अपेक्षाकृत अधिक रही है।

जनसंख्या प्रक्षेपण की प्रचलित विधियों द्वारा लखनऊ नगर समूह की कुल जनसंख्या वर्ष 2031 तक 47,00,000 होना अनुमानित है (तालिका संख्या-2)। यह प्रक्षेपण पिछले दशकों की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किये गये है। भविष्य में चूँकि लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत/आस-पास कुछ नये कार्यकलापों की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें प्रक्षेपित जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि होना भी अनुमानित है। लखनऊ नगर समूह के पास ही एक वृहद् स्तर पर लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा नगर के पास ही दो हाईटेक टाउनशिप स्थापित की गयी है एवं एक हाईटेक टाउनशिप की परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

सुल्तानपुर मार्ग पर उ०प्र० सरकार की बहुआयामी आई०टी०सिटी योजना के साथ-साथ वृहद् स्तर की सुविधाएं जैसे कैंसर अस्पताल, ट्रिपल आई.टी. ए.टी.



निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम।

सी. आदि स्थापित किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी स्थापित किया जा रहा है।

तालिका संख्या-3.2
जनसंख्या प्रक्षेपण – लखनऊ नगर समूह
वर्ष 2001-2031

क्रम सं०	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	2245509	2880108	3686400	4710592
2	इन्कीमेन्टर वृद्धि दर	2245509	2880108	3694752	4739997
3	औसत वृद्धि दर	2245509	2880108	3784320	4972596
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	2245509	2880108	3686538	4718769
	औसत	2245509	2880108	3713003	4787488

(स्रोत: विभागीय प्रक्षेपण)

तालिका संख्या-3.3
जनसंख्या प्रक्षेपण – काकोरी नगर पंचायत
वर्ष 2001-2031

क्रम सं०	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	16860	19403	22310	25657
2	इन्कीमेन्टर वृद्धि दर	16860	19403	22329	25696
3	औसत वृद्धि दर	16860	19403	22329	25696
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	16860	19403	21946	24489
	औसत	16860	19403	22229	25385

तालिका संख्या-3.4
जनसंख्या प्रक्षेपण – बक्शी का तालाब नगर पंचायत
वर्ष 2001-2031

क्रम सं०	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	43987	49166	54390	60373
2	इन्कीमेन्टर वृद्धि दर	43987	49166	54953	61421
3	औसत वृद्धि दर	43987	49166	54953	61421
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	43987	49166	54345	59524
	औसत	43987	49166	54660	60685

तालिका संख्या-3.5
जनसंख्या प्रक्षेपण- लखनऊ विकास क्षेत्र (277 ग्राम) ग्रामीण क्षेत्र
वर्ष 2001-2031

क्रम सं०	प्रक्षेपण विधि	वर्ष			
		2001	2011	2021	2031
1	ज्यामितीय अतिरिक्त वृद्धि दर	467262	600055	768000	983040
2	इन्कीमेन्टर वृद्धि दर	467262	600055	770471	989285
3	औसत वृद्धि दर	467262	600055	770471	989285
4	ज्यामितीय वृद्धि दर	467262	600055	732793	865531
	औसत	467262	600055	760434	956785

(स्रोत: विभागीय प्रक्षेपण)

तालिका संख्या-3.6
जनसंख्या अनुमान-लखनऊ विकास क्षेत्र

जनसंख्या/औसत जनसंख्या	वर्ष			
	2001	2011	2021	2031
	2773618	3548732	4550326	6500000

(स्रोत : विभागीय प्रक्षेपण)

3.2 आर्थिक आधार

किसी नगर का आर्थिक आधार उसकी विविध क्रियाओं की उत्पादन क्षमता एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र के स्वरूप आदि पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार की वृद्धि, कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगर के विकास को प्रभावित करते हैं। लखनऊ नगर समूह तहसील, जनपद एवं संभाग का मुख्यालय होने के साथ ही भारत के एक बड़े प्रदेश की राजधानी है जिसके परिणामस्वरूप यह प्रमुख प्रशासनिक एवं व्यवसायिक केन्द्र है। विकास के आधार स्तम्भ के रूप में मानी जानी वाली आर्थिक क्रियाओं, सेवा केन्द्र, व्यापार एवं वाणिज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि स्पष्ट परिलक्षित हैं।

3.2.1 भागीदारिता दर

नगर के आर्थिक आधार के निर्धारण में प्रयुक्त मानदण्डों में कुल नगरीय जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारिता का प्रतिशत एवं कुल श्रमिकों में द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्रमिकों की भागीदारिता के दशकवार आँकड़े तालिका संख्या-7 में दर्शाये गये हैं। वर्ष 2001 में श्रमिक भागीदारिता प्रतिशत 27.51 था एवं वर्ष 2011 में श्रमिक भागीदारिता का प्रतिशत 33.70 हो गया। इसी वृद्धि के प्रतिशत दर की बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिक भागीदारिता वर्ष 2021 में 34.00 प्रतिशत, एवं वर्ष 2031 में 35.00 प्रतिशत अनुमानित की गयी है।

तालिका संख्या-3.7
लखनऊ नगर समूह की श्रमिक संख्या का दशकवार विवरण
वर्ष 2001-2031

	2001			2011		2021		2031	
क्रम संख्या	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	श्रमिक	617664	27.51	970644	33.70	1530000	34.00	2275000	35.00
2	अश्रमिक	1627845	72.49	1909464	66.30	2970000	66.00	4225000	65.00
3	जनसंख्या	2245509	100.00	2880108	100.00	4500000	100.00	6500000	100.00

(स्रोत: जनगणना पुस्तिका)

3.2.2 कार्यशील श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण

3.2.2.1 प्राथमिक श्रेणी

लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विभाजन (तालिका संख्या-8) यह सुस्पष्ट करता है कि वर्ष 2001 में प्राथमिक श्रेणी में जहाँ भागीदारिता का प्रतिशत 2.1 था वह वर्ष 2011 में घटकर 1.65 हो गया है। जिससे स्पष्ट है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में ही अधिक बढ़ोत्तरी हुयी है। इस आधार पर वर्ष 2021 एवं 2031 में इस श्रेणी के कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 1.50 तथा 1.45 अनुमानित है।

3.2.2.2 द्वितीयक श्रेणी

वर्ष 2001 में लखनऊ नगर समूह के अन्तर्गत द्वितीयक श्रेणी की भागीदारिता का प्रतिशत 18: था जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 18.35 प्रतिशत हो गया। पिछले एक दशक में नगर में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है तथा कुछ एक औद्योगिक इकाईयां बन्द भी हुई हैं। नगर एवं इसके आस-पास हाईटेक सिटी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उ०प्र० सरकार की बहुप्रतिष्ठित आईटी0सिटी योजना सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित है जिसके आधार पर वर्ष 2021 में इस श्रेणी में भागीदारिता 19 प्रतिशत, वर्ष 2031 में श्रमिकों की भागीदारिता लगभग 20 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

3.2.2.3 तृतीयक श्रेणी

वर्ष 2001 में तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों की भागीदारिता का प्रतिशत 79.90 था जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 80.0 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की अत्यधिक कमी से व्यक्तियों का जीविका हेतु नगर की ओर पलायन हुआ। नगर का व्यापक आधार चूँकि प्रशासनिक एवं व्यवसायिक किया-कलापों पर ही अधिक आधारित है। अतः रोजगार के अवसर भी इन्हीं सेवाओं में ही लोगों को उपलब्ध होंगे। वर्ष 2011 में तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 80.00 है। इसी आधार पर वर्ष 2021 में तृतीयक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 79.50 प्रक्षेपित किया गया है। जिसे वर्ष 2031 में 78.55 प्रतिशत का अनुमान किया गया है।

तालिका संख्या-3.8

लखनऊ नगर समूह की श्रेणीवार श्रमिक संख्या का दशकवार विवरण
वर्ष 2001-2031

क्र. सं.	श्रेणी	2001		2011		2021		2031	
		श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक श्रेणी	12783	2.10	16016	1.65	22950	1.50	25685	1.45
2	द्वितीयक श्रेणी	111180	18.00	178113	18.35	290700	19.00	354274	20.00
3	तृतीयक श्रेणी	493701	79.90	776515	80.00	1216350	79.50	1391412	78.55
योग		617664	100.0	970644	100.00	1530000	100.00	227500	100.00

(स्रोत: जनगणना पुस्तिका)

4.0 वर्तमान भू-उपयोग

लखनऊ नगर समूह (छावनी क्षेत्र को छोड़कर) वर्ष 1987 में 9170 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था जो कि 2004-05 में बढ़कर 16270 हेक्टेयर में विस्तारित हुआ। स्पष्ट है कि इस अवधि में नगर का सर्वाधिक विकास हुआ है। 176 ग्रामों को विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने पर वर्ष-2010-11 में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत 24482 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त हुई। वर्ष 1987 एवं वर्ष 2004-05 में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का विवरण तालिका संख्या-9 (अ) तथा वर्ष 2010-11 में प्रयुक्त नगरीय भूमि का विवरण तालिका संख्या-9 (ब) में दर्शाया गया है। (मानचित्र संख्या.-3.1)

तालिका संख्या-4.1 (अ)
लखनऊ नगर का वर्तमान भू-उपयोग वर्ष 1987 एवं 2004-05

क्र. सं.	भू-उपयोग	वर्ष 1987		वर्ष 2004-05		प्रतिशत वृद्धि
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	
1.	आवासीय	4485.98	48.90	8945.00	55.00	99.4
2.	वाणिज्यिक	223.77	2.40	360.00	2.20	60.90
3.	कार्यालय	474.69	5.20	560.00	3.40	18.00
4.	औद्योगिक	596.22	6.50	990.00	6.10	66.0
5.	मनोरंजनात्मक (पार्क एवं क्रीडा स्थल)	346.48	3.80	435.00	2.70	25.5
6.	सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें / उपयोगितायें	902.02	9.80	1410.00	8.70	56.32
7.	यातायात	952.00	10.40	1240.00	7.60	30.25
8.	नदी / नाला / जलाशय	193.66	2.10	310.00	1.90	—
9.	खुले स्थल	996.14	10.90	2020.00	12.40	—
	योग	9170.00	100.00	16270.00	100.00	

तालिका संख्या-4.1 (ब)
लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031
वर्तमान भू-उपयोग-(2010-11) (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. सं.	भू-उपयोग	लखनऊ विकास क्षेत्र लीडा को छोड़कर	लखनऊ विकास क्षेत्र नगरीय क्षेत्र	प्रतिशत
1	2	3	5	6
1.	आवासीय	10271.68	10278.68	41.99
2.	वाणिज्यिक	623.14	623.14	2.55
3.	औद्योगिक	940.57	940.57	3.84
4.	कार्यालय	888.76	888.76	3.63
5.	सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें एवं उपयोगिताएं	2137.26	2137.26	8.72
6.	मनोरंजनात्मक / पार्क एवं खुले स्थल	14672.75	997.71	4.08
7.	यातायात / परिवहन	7842.74	7842.74	32.04
8.	नदी / नाला / जलाशय / नहर	2255.32	578.64	2.36
10.	अन्य	194.07	194.07	0.79
9.	कृषि / बाग / वन / झाड़िया	76379.06	—	—
11.	अपरिभाषित क्षेत्र	2595.09	—	—
	योग:	105125.40	24481.57	100

4.1 आवासीय उपयोग

जैसा कि तालिका संख्या: 9-अ में दर्शाया गया है-लखनऊ नगर में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 8945 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जानें पर वर्ष 2010 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल 10278.68 हे० भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 41.99 प्रतिशत है। आवासीय उपयोग के अन्तर्गत वृद्धि पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक रही है।

आवासीय उपयोग में वृद्धि का मुख्य कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित की गई कालोनियों के अतिरिक्त निजी सेक्टर में किया गया निर्माण/विकास है।



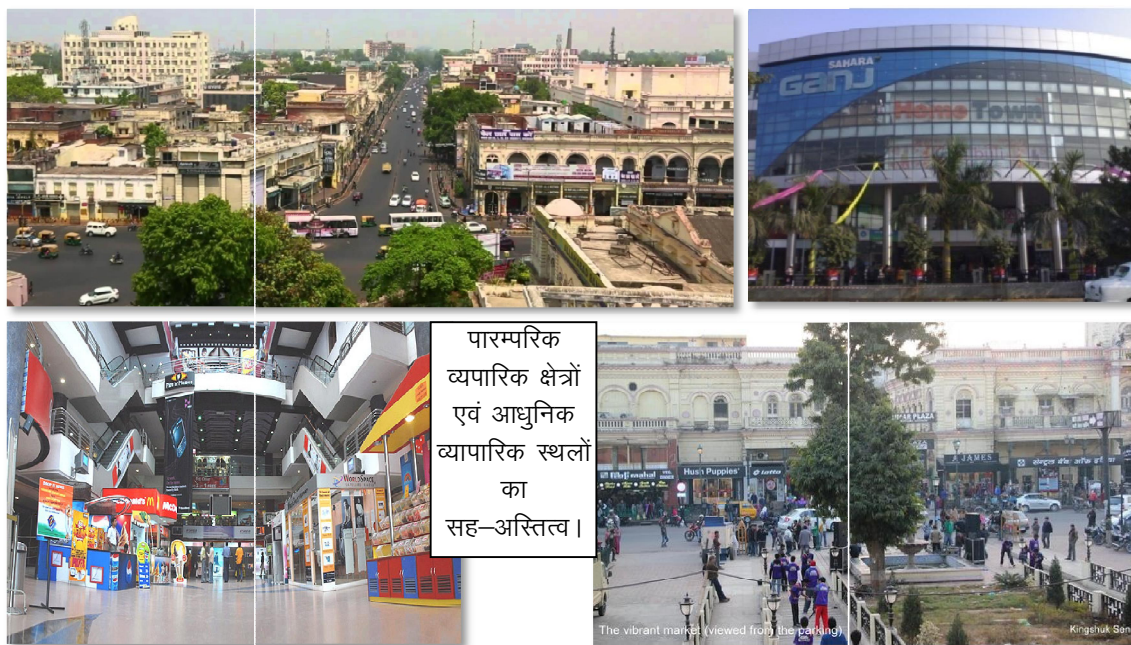
हाइटेक-इण्टीग्रेटेड आवासीय प्रतिरूप।



4.2 वाणिज्यिक उपयोग

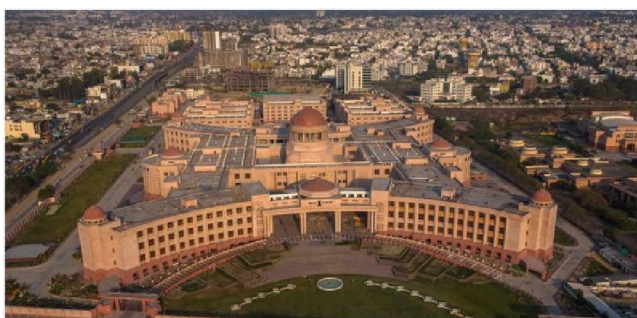
नगर में हजरतगंज, अमीनाबाद एवं चौक क्षेत्र पुराने व्यवसायिक क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त याहियागंज, फतेहगंज, सआदतगंज आदि थोक व्यापार के केन्द्र हैं। नव विकसित क्षेत्रों में भी अनेको व्यवसायिक केन्द्र यथा कपूरथला, निशातगंज, गोल मार्केट, इन्दिरानगर व गोमतीनगर भी विकसित हो रहे हैं। नवविकसित क्षेत्रों में व्यवसायिक केन्द्रों के विकास की गति धीमी होने के फलस्वरूप व्यवसायिक गतिविधियाँ अनियोजित ढंग से आवासीय क्षेत्रों में मार्गों के किनारे फैल रही हैं।

वर्ष 2004-05 में वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत लगभग 360 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी। लखनऊ विकास क्षेत्र के 176 ग्रमों के सम्मिलित किये जानें से वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल 623.14 हे० भूमि आच्छादित है जो कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 2.55 प्रतिशत है।



4.3 कार्यालय

कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में लगभग 560 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्रम) सम्मिलित किये जानें पर कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत कुल 888.76 हे० भूमि आच्छादित है जो कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 3.63 प्रतिशत है। नगर के प्रमुख कार्यालय क्षेत्र



फैजाबाद मार्ग पर स्थित नवीन उच्च न्यायालय।

मुख्यतः विधान सभा मार्ग एवं कैसरबाग क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। वर्तमान में नवविकसित क्षेत्रों के वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी कार्यालय उपयोग का प्राविधान होने के फलस्वरूप अनेक कार्यालय नये वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं।

इनके अतिरिक्त नगर के आवासीय क्षेत्रों में भी कार्यालय स्थापित हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव आवासीय क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

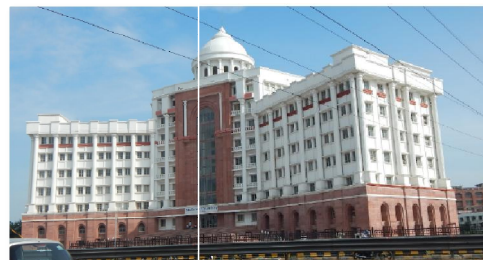
4.4 औद्योगिक उपयोग

लखनऊ नगर यद्यपि गृह एवं कुटीर उद्योगों के लिये प्रसिद्ध रहा है किन्तु यह नगर अन्य हल्के एवं वृहद् उद्योगों को आकर्षित करने में असफल रहा है। नगर में कानपुर मार्ग पर अमौसी एवं सरोजनीनगर, नगर के आंतरिक क्षेत्र ऐशबाग एवं देवा मार्ग पर औद्योगिक आस्थान विकसित हुए हैं। कुछ औद्योगिक इकाईयों मुख्यतः आरा मशीनें नगर के घने बसे क्षेत्रों में स्थित हैं। औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 1987 में 596.22 हेक्टेयर एवं वर्ष 2004-05 में लगभग 990 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जानें पर वर्ष 2010 में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 940.57 हे० भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 3.84 प्रतिशत है।

वर्ष 1987 एवं वर्ष 2004-05 के मध्य औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है जिसका मुख्य कारण देवा मार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र को वर्ष 2004-05 में लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाना है।

4.5 सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें

इस उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में लगभग 1410 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित था जोकि विकसित क्षेत्र का 8.70 प्रतिशत था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जानें पर वर्ष 2010 में सामुदायिक सुविधायें/उपयोगिताएं एवं सेवाओं भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 2137.26 हे० भूमि प्रयुक्त हुई जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 8.72 प्रतिशत है। नगर में उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, प्राविधिक विश्वविद्यालय, संजय गाँधी आर्युविज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान व मेडिकल



बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय



लखनऊ विश्वविद्यालय



एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ

विश्वविद्यालय आदि के अतिरिक्त अनेक अनुसंधान संस्थान भी नगर में स्थित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी लखनऊ नगर में विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में नगर में निजी क्षेत्र में अनेक तकनीकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान स्थापित हुये हैं। इस प्रकार से लखनऊ नगर एक प्रमुख शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाओं के केन्द्र के रूप में विकसित होता जा रहा है।

4.5.1 जलापूर्ति

4.5.1.1 लखनऊ नगर की जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति

वर्ष 1884 में लखनऊ नगर पालिका परिषद के गठन के फलस्वरूप वर्ष 1892 में पाइप लाइन द्वारा लगभग 2.0 लाख नगर निवासियों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था अस्तित्व में आयी। यह व्यवस्था गोमती नदी के तट पर गरुघाट पम्पिंग स्टेशन का निर्माण एवं जलशोधन हेतु ऐशबाग प्लांट का निर्माण करके की गयी थी। जिसके द्वारा गोमती नदी के जल का शोधन कर शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव तथा माँग एवं आपूर्ति के बढ़ते अन्तर के अनुसार नगर की जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु शारदा सहायक कैनाल के अतिरिक्त ऐशबाग एवं बालागंज वाटर वर्क्स के माध्यम से 500 MLD जलापूर्ति की व्यवस्था की गई इसके अतिरिक्त नगर में बढ़ती हुई माँग के सापेक्ष नगर की जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल एवं हैण्ड पम्पस की संख्या भी बढ़ती गई। वर्तमान में नगर में कुल 605 ट्यूबवेल्स एवं 9964 हैण्डपम्पस् के माध्यम से नगर की जलापूर्ति व्यवस्था संचालित है।

लखनऊ नगर में जल वितरण व्यवस्था पी0बी0सी0 पाइप लाइन लम्बाई 2748 किमी0 80MM से 1300 MM पाई लाइन के माध्यम से नगर के लगभग 90% क्षेत्र को जलापूर्ति की जा रही है। वर्ष-2014 हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए नगर की 600 MLD मांग (150 ली0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन) के सापेक्ष 610 MLD जलापूर्ति की क्षमता उपलब्ध है। नगर की लगभग 60% जनसंख्या सर्फेस वाटर एवं शेष 40% जनसंख्या भूतल जल का उपयोग कर रही है अर्थात् नगर के 110 वार्डों में से 41 वार्डों की जलापूर्ति भूतल जल से तथा शेष 69 वार्डों की जलापूर्ति भूतल एवं सर्फेस जल से की जा रही है। जलकल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर में कुल 3,15,473 जल कनेक्शन है जिसमें से 3,05,309 कनेक्शन घरेलू एवं शेष अन्य कनेक्शन है। जिसमें से लगभग 59% घरेलू कनेक्शन नगरीय क्षेत्र में है।

4.5.1.2 नगर की भावी जलापूर्ति का आंकलन:-

लखनऊ नगर समूह की जनसंख्या के अतिरिक्त लखनऊ विकास क्षेत्र (176 ग्राम) की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2031 हेतु कुल 65.0 लाख जनसंख्या का अनुमान किया गया है। अनुमानित जनसंख्या हेतु पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु 150 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सामान्य घरेलू आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य उपयोगों जैसे व्यवसायिक, औद्योगिक, पार्क एवं अग्निशमन आदि के उपयोग के दृष्टिगत 30 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की अतिरिक्त आपूर्ति तथा 15% जल क्षति अर्थात् 30 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर 210 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सकल आपूर्ति के मानक के अनुसार वर्ष 2031 हेतु नगर की प्रक्षेपित भावी जनसंख्या हेतु लगभग 1750 MLD प्रतिदिन की जलापूर्ति की आवश्यकता होगी।

4.5.2 सीवरेज एवं स्वच्छता

4.5.2.1 लखनऊ नगर की सीवरेज एवं स्वच्छता की वर्तमान स्थिति

किसी भी नगर का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास उस नगर की सीवरेज व्यवस्था एवं स्वच्छता से परिलक्षित होता है। लखनऊ नगर हेतु सीवर की व्यवस्था वर्ष-1918 में सीमित क्षेत्र के लिए आरम्भ की गई थी जिसे वर्ष-1948-49 में विस्तारित करते हुए ड्रेनेज सहित लगभग 7.0 लाख जनसंख्या हेतु सीवर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था की गई। वर्ष-1960-61 में नगर के भारी बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण नगर की सीवर एवं ड्रेनेज व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई, फलस्वरूप बाढ़ नियंत्रण के सभी सम्भव प्रयास करते हुए प्रभावित क्षेत्र में पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कराये गये।

4.5.2.2 नगर का वर्तमान सीवरेज ढांचा:-

लखनऊ नगर में 1174 किमी⁰ की सीवर पाइप लाइन वर्तमान में विछाई गयी है। अधिकांश पाइप लाइन डिस्ट्रिक्ट 1 एवं 3 का क्षेत्र एवं आंशिक भाग डिस्ट्रिक्ट 2 एवं 4 का क्षेत्र आच्छादित कर रही है। नगर का लगभग 45% क्षेत्र सीवेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। शेष भाग सर्विस सिस्टम सेप्टिक टैंक/सोकपिट से जुड़ा हुआ है। नगर का सीवर मुख्यतयः नगर के नालों एवं नदी पर बने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से अथवा सीधे निस्तारित होता है। नगर के सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु एक वृहत् योजना वर्ष 2021 तक की अनुमानित जनसंख्या के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा तैयार की गई। जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण नगर को 4 डिस्ट्रिक्ट में बांट कर सीवर सिस्टम की प्रभावी व्यवस्था की गई।

(क) डिस्ट्रिक्ट:-1

डिस्ट्रिक्ट-1 में नगर के चौक, हरदोई रोड, कैम्पबेल रोड एवं दुबग्गा क्षेत्र को सम्मिलित कर वर्तमान सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट दौलतगंज कुल क्षमता 56 MLD से जोड़कर लगभग 2,81,158 नगरीय जनसंख्या को सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

(ख) डिस्ट्रिक्ट:-2

डिस्ट्रिक्ट-2 के अन्तर्गत नगर के अमौसी क्षेत्र एवं सरोजनी नगर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 63 MLD क्षमता का एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगभग 3,67,501 नगरीय जनसंख्या हेतु बिजनौर में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) डिस्ट्रिक्ट:-3

डिस्ट्रिक्ट-3 के अन्तर्गत नगर के वृहत क्षेत्र ट्रान्सगोमती में निवास कर रही एवं भावी जनसंख्या को 345 MLD क्षमता के एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट भरवारा से जोड़कर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) डिस्ट्रिक्ट:-4

डिस्ट्रिक्ट-4 के अन्तर्गत नगर के सी0आई0ए0 गोमती साइड में अनुमानित लगभग 11,33,385 जनसंख्या के दृष्टिगत एक वृहत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को मस्तेमऊ में प्रस्तावित है जो क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या को सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सक्षम होगा।

नगर हेतु भावी सीवेज व्यवस्था का आंकलन:-

लखनऊ नगर की वर्तमान जनसंख्या के अतिरिक्त लखनऊ विकास क्षेत्र (176 ग्राम) की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2031 में कुल 65.0 लाख जनसंख्या अनुमानित की गई है। नगर की वर्तमान जनसंख्या हेतु उपलब्ध सीवर व्यवस्था के अतिरिक्त बिजनौर में 63 MLD का एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वर्ष 2025 तक के लिए तथा 263 MLD का एक वृहत ट्रीटमेन्ट प्लान्ट मस्तेमऊ में वर्ष-2045 तक की जनसंख्या के दृष्टिगत लखनऊ नगर निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित भू-उपयोगों के दृष्टिगत भावी जनसंख्या हेतु अतिरिक्त 673 MLD क्षमता के एस0टी0पी0 विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित करने की आवश्यकता होगी।

4.5.2.4 जलमल निस्तारण

लखनऊ नगर में लगभग 90% पक्के भवनों तथा लगभग 80% मलिन बस्ती क्षेत्र के भवनों में निजी शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत सेप्टिक टैंक पिट्स एवं अस्थायी मल निस्तारण सुविधा भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सुलभ इण्टर नेशनल, नेडा, डूडा एवं लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित लगभग 207 सुलभ शौचालय (2656 सीट्स की कुल क्षमता) नगर के विभिन्न भागों में स्थित एवं नगर निवासियों को शौचालय की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। नगर की लगभग 7 से 10% जनता जिनके पास निजी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे खुले क्षेत्रों एवं नगर के मध्य स्थित नालों तालाबों तथा रेलवे पटरी के किनारे स्थित रिक्त भूमि पर शौच क्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया आस-पास निवास कर रहे नगर निवासियों के लिए वातावरण प्रदूषित करती है जिसका सीधा कुप्रभाव नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

नगर निवासी जिनके पास निजी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा असंगठित क्षेत्र (इन्फार्मल सेक्टर) के श्रमिकों जिनकी संख्या लगभग 3.0 लाख है को शौचालय की सुविधा सुलभ शौचालय एवं पे एण्ड यूज शौचालयों की सुविधा बढ़ाकर उपलब्ध कराये जाने पर ही नगर की सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

4.5.3 ठोस उपदिष्टों का निस्तारण

4.5.3.1 लखनऊ नगर की ठोस उपादिष्टों की वर्तमान निस्तारण व्यवस्था

लखनऊ नगर में कूड़ा कचरा उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक के अतिरिक्त चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स द्वारा भी भारी मात्रा में कूड़ा कचरा उत्पन्न होता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है इन इकाइयों द्वारा उत्पन्न होने वाले कूड़े कचरे एवं अन्य ठोस उपदिष्टों के एकत्रीकरण एवं उनके निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण इनका निस्तारण नगर के मध्य स्थित नालियों/नदी, नालों, तालाबों एवं नगर के प्रमुख मार्गों पर ढेर लगाकर किया जाता है।

लखनऊ नगर समूह में वर्तमान में लगभग 1365 टन उपादिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसके निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था न होने से नगर के आन्तरिक मार्गों के मार्गाधिकार अथवा उससे लगी हुई भूमि पर आवासीय क्षेत्रों में कूड़ा एकत्रित किया जाता है जिसका

ढेर लम्बी अवधि तक मार्गाधिकार में लगे रहने से जहाँ एक ओर यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है वहीं दूसरी ओर कूड़े की सड़न से उत्पन्न बदबू आस-पास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के वातावरण को प्रदूषित करती है जिसका सीधा प्रभाव वहाँ पर निवास कर रहे नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है परिणाम स्वरूप नगर की बहुत बड़ी जनसंख्या भयंकर बीमारी एवं महामारी की चपेट में आ जाती है।

नगर के 110 वार्डों में से 57 वार्डों में सर्वाधिक उपादिष्ट उत्पन्न होता है जिसका एकत्रीकरण प्राइवेट संस्था तथा शेष वार्डों का एकत्रीकरण नगर निकाय के सफाई कर्मियों द्वारा किया जाता है। नगर में लगभग 200 छोटे बड़े चिकित्सालय, 200 नर्सिंग होम्स, 344 चिकित्सा केन्द्र, 33 पैथोलाजी, 93 दन्त चिकित्सा केन्द्र नगर निगम में पंजीकृत हैं। इनके

द्वारा उत्पन्न बायोमेट्रिक उपादिष्ट के निस्तारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण नगर के वातावरण को प्रदूषित करने में इन इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है।

लखनऊ नगर में उत्पन्न ठोस उपादिष्टों के निस्तारण की समस्या के निदान हेतु नगर के विभिन्न भागों में उपयुक्त स्थलों पर कूड़ा स्थलों का प्राविधान किया जाय तथा इन स्थलों से कूड़ा एकत्र कर नगर के वाह्य क्षेत्र में एक बड़े भू-भाग को चिन्हित कर एकत्रित कूड़े के निस्तारण की ठोस व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

4.6 यातायात

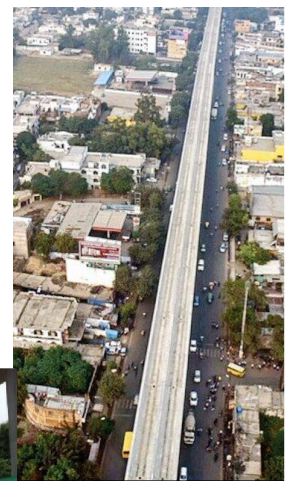
नगर का भौतिक विस्तार नगर में उपलब्ध यातायात के साधनों पर निर्भर करता है। विद्यमान महायोजना में प्रस्तावित वाह्य मार्ग के पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप नगर का विस्तार तीव्र गति से होना सम्भावित है। वर्तमान में (वर्ष 2004-05) यातायात उपयोग के अन्तर्गत लगभग 1240 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जानें पर वर्ष यातायात भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 7842.74 हे० भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 32.04 प्रतिशत है।



काँसरबाग बस अड्डा

सड़क एवं रेल मार्गों के अतिरिक्त नगर में चारबाग, काँसरबाग एवं कानपुर मार्ग पर बस अवसान स्थित हैं तथा हरदोई मार्ग पर एक बस अवसान का कार्यान्वयन

होना शेष है। वर्तमान में बस अवसान नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में स्थित हैं जिससे नगरीय यातायात सुगम नहीं है। नगर में मेट्रो रेल का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है।



निर्माणाधीन लखनऊ मेट्रो।

4.7 मनोरंजनात्मक/पार्क एवं क्रीड़ा स्थल

इस उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में कुल 435.00 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2010 में पार्क एवं क्रीड़ा स्थल भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 997.71 हे० भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 4.08 प्रतिशत है।

लखनऊ नगर के प्रमुख पार्कों में जनेश्वर मिश्र पार्क, बेगमहजरत महल पार्क, दयानिधान पार्क, सूरजकुण्ड पार्क, शहीद स्मारक, बुद्धापार्क, हाथी पार्क, अम्बेडकर उद्यान एवं नीबू पार्क आदि हैं। रेजीडेन्सी, वनस्पति उद्यान (बोटैनिकल गार्डन), चिड़ियाघर के अन्तर्गत भी विस्तृत खुले स्थल हैं।

नगर के मुख्य खुले स्थल गोमती नदी के साथ-साथ ही केन्द्रित हैं। नगर के पुराने विकसित क्षेत्रों में पार्कों एवं खुले स्थलों का अभाव है।



मनोरंजनात्मक/पार्क एवं क्रीड़ा स्थल

4.8 नदी/नाला/जलाशय

लखनऊ नगर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नगरीय क्षेत्र में कुकरैल नाला भी गोमती नदी से मिलता है। गोमती नदी एवं कुकरैल नाले के अतिरिक्त नगर में अनेक जलाशय थे जिनमें से अनेक समाप्त हो गये हैं या उनका आकार काफी संकुचित हो गया है। नगरीय क्षेत्र में बचे प्रमुख जलाशयों में कठौता झील, मोतीझील, चॉद झील, अहल झील आदि हैं। पूर्व में इन जलाशयों की नगर की जलापूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2004-05 में नगरीय क्षेत्र में नदी, नाले, जलाशयों के अन्तर्गत लगभग 310 हेक्टेयर क्षेत्र था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2010 में नदी/नाला/जलाशय भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 578.64 हे० भूमि आच्छादित है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 2.36 प्रतिशत है।

4.9 अन्य उपयोग

इस उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में लगभग 2020.00 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त थी जोकि कुल विकसित क्षेत्र का 12.40 प्रतिशत था। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176 ग्राम) सम्मिलित किये जाने पर वर्ष 2010 में खुले स्थल एवं अन्य उपयोग भू-उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल में काफी अन्तर आया है। जिसका प्रमुख कारण कृषि भूमि को खुले स्थल के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। वर्ष 2010 में खुले स्थल एवं अन्य उपयोग भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 194.07 हे० भूमि प्रयुक्त है जो कि कुल नगरीय विकसित क्षेत्र का 0.79 प्रतिशत है।

4.10 कृषि/बाग/वन/झाड़ियां

लखनऊ विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 की संरचना से पूर्व वर्तमान भू-उपयोग के अध्ययन में कृषि/बाग/वन/झाड़ियों की भूमि को नगरीय क्षेत्र से पृथक कर अध्ययन किया गया है। क्योंकि 176 नये ग्राम सम्मिलित किये जाने पर इसका क्षेत्रफल 76379.06 हे० होता है जोकि कुल विकास क्षेत्र का 59.70 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर अध्ययन किये जाने पर अन्य उपयोगों का ढांचा एवं प्रतिशत प्रभावित होता है।

4.11 अपरिभाषित क्षेत्र

लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये 176 नये ग्रामों सहित कुल क्षेत्रफल में 2595.09 हे० क्षेत्र अपरिभाषित क्षेत्र के रूप में है जोकि कुल विकास क्षेत्र का 2.38 प्रतिशत है।

5.0 नियोजन समस्याएँ

देश के अन्य महानगरों की भाँति लखनऊ नगर समूह भी बहुमुखी नगरीय समस्याओं का सामना कर रहा है। नगर की जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुयी समस्याएँ जैसे निवास योग्य वातावरण में गिरावट, कुछ क्षेत्रों में रोजगारों एवं यातायात को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं का केन्द्रीयकरण, अनियंत्रित यातायात व्यवस्था, अपेक्षाकृत अपर्याप्त सुविधाएँ एवं जल स्रोतों का असंतुलित दोहन आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिनको हल करना अत्यन्त आवश्यक कार्य है। नियोजन से सम्बन्धित नगर की प्रमुख समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

5.1 निवास योग्य वातावरण में कमिक हास

नगर का पुराना आवासीय क्षेत्र जिसके उत्तर में गोमती नदी दक्षिण में चारबाग रेलवे स्टेशन, पूरब में विधान सभा मार्ग तथा पश्चिम में कैम्पवेल रोड है, अत्यन्त घना बसा है। यह क्षेत्र नगर समूह के कुल क्षेत्र का मात्र 5 प्रतिशत है जबकि यहाँ पर नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग निवास करता है। इनमें से कुछ क्षेत्रों का सकल जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है। इन क्षेत्रों में अति उच्च आवासीय घनत्व के साथ ही साथ नगर के उच्च स्तरीय व्यवसायिक क्रिया कलापों के केन्द्र भी विद्यमान हैं जैसे चौक, ऐशबाग, नादान महल रोड आदि पर औद्योगिक क्रिया कलाप, आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों के साथ ही स्थित हैं। इसके साथ ही साथ गोमती नदी के पार वर्तमान में आवासीय क्षेत्रों का विस्तार तीव्रता से हो रहा है लेकिन कुछ भाग में मिश्रित भू-उपयोग, अनियोजित एवं अनियंत्रित रूप से विकसित होने के कारण इन क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं का अभाव विद्यमान है।

5.2 असंगत उपयोग एवं क्रिया-कलाप

नगर में कुछ कार्यकलाप ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहाँ ये उपयोग अपने चारों ओर के भू-उपयोगों से मेल नहीं खाते हैं। इन क्रियाकलापों में (अ) यातायात अभिकरण (ब) थोक मण्डी (खाद्य) (स) औद्योगिक इकाईयों यथा पेपर मिल, मोहनमीकिंस एवं आरा मशीनें हैं। नगर की घनी बसी आबादी में इन इकाईयों के कार्यरत होने के कारण इनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का सीधा कुप्रभाव आस-पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों पर पड़ रहा है तथा इस क्षेत्र में स्थित मार्गों पर सुगम यातायात प्रवाह भी प्रभावित हो रहा है।

5.3 मोटर वाहन क्रय-विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामग्री विक्रय केन्द्र

नगर के मुख्य मार्गों पर मोटर वाहनों की मरम्मत हेतु खुले वर्कशाप तथा गैरेज आदि नगर के व्यस्ततम एवं भीड़-भाड़ युक्त व्यवसायिक क्षेत्रों के मार्गों जैसे लालबाग, गुरुगोविन्द सिंह मार्ग आदि पर स्थित हैं जो यातायात के सुगम प्रवाह में अत्यधिक बाधक हैं। वाहनों को मरम्मत हेतु सड़क के मार्गाधिकार पर ही खड़ा रखा जाता है जिससे मार्ग की प्रभावी चौड़ाई कम हो जाती है और यातायात बाधित होने के साथ ही वातावरण भी अत्यधिक प्रदूषित होता है। ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी मुख्यतया चारबाग रेलवे स्टेशन क्षेत्र में, गौतम बुद्ध मार्ग तथा गुरुद्वारा-लालकुआं मार्ग पर स्थित है जो आवागमन के लिए पहले से ही अत्यन्त भीड़-भाड़ युक्त हैं।

इन मार्गों पर वाहनों के इधर-उधर खड़े रहने से भी मार्ग का सामान्यतः यातायात अवरुद्ध रहता है।

5.4 थोक मण्डी

नगर के पुराने क्षेत्रों में जैसे फतेहगंज, सआदतगंज, डालीगंज, पाण्डेयगंज व उदयगंज में आज भी थोक गल्ला मण्डी स्थित है जबकि इनके लिए नगर के अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। इन मंडियों में जहाँ पर्याप्त स्थल का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ इन मंडियों के पहुंच मार्गों पर यातायात का भार अत्यधिक आ जाने व माल को चढ़ाने-उतारने का कार्य मार्गाधिकार के अन्तर्गत सम्पन्न होने के कारण एवं भारी वाहनों के एक लम्बी अवधि तक मार्गों पर ठहराव के कारण मार्ग पर सदैव जाम लगा रहता है तथा आवासीय क्षेत्रों में धूल, ध्वनि की समस्या से प्रदूषित वातावरण बना रहता है।

5.5 असंगठित क्षेत्र की अधिकता

नगर में वर्तमान में लगभग 2.0 लाख कार्य करने वाले व्यक्ति असंगठित क्षेत्र (इन्फार्मल सेक्टर) में कार्यरत हैं। ये व्यक्ति मुख्यतः मार्गों की पटरी पर अपने क्रिया-कलाप करते हैं जिससे मार्गों की प्रभावी चौड़ाई कम हो जाती है तथा पार्किंग आदि के कारण विभिन्न मार्गों पर यातायात की समस्या गम्भीर बनी रहती है। इस हेतु असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों हेतु नियोजित स्थलों का प्राविधान आवश्यक है।

5.6 आंतरिक क्षेत्रों में कार्य केन्द्रों का संकेन्द्रण

समस्त मुख्य कार्य केन्द्र जैसे व्यवसायिक केन्द्र व कार्यालय क्षेत्र नगर के आंतरिक क्षेत्रों जैसे हजरतगंज, अमीनाबाद, कैसरबाग, चौक, विधानसभा, अशोक मार्ग, उच्च न्यायालय क्षेत्र, चारबाग रेलवे स्टेशन क्षेत्र, नक्खास बाजार एवं नादान महल रोड आदि में केन्द्रित है।

समस्त मुख्य कार्य केन्द्र जैसे व्यवसायिक केन्द्र व कार्यालय क्षेत्र नगर के आंतरिक क्षेत्रों जैसे हजरतगंज, अमीनाबाद, कैसरबाग, चौक, विधानसभा, अशोक मार्ग, उच्च न्यायालय क्षेत्र, चारबाग रेलवे स्टेशन क्षेत्र, नक्खास बाजार एवं नादान महल रोड आदि में केन्द्रित है। नगर के हजरतगंज क्षेत्र में ही राजकीय/केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का लगभग 51 प्रतिशत भाग कार्यरत है तथा नगर में कुल फुटकर दुकानों में से लगभग 20 प्रतिशत फुटकर दुकानें तीन वाणिज्यिक क्षेत्रों हजरतगंज, चौक एवं अमीनाबाद में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर नगर के दूसरे भाग में क्रियाकलापों के विकास में हास होता है वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय क्षेत्रों में क्रियाकलापों की अधिकता से नगर में उसके वितरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। इन क्रियाकलापों के अति संकेन्द्रण से पहले ही भीड़-भाड़ युक्त क्षेत्रों में यातायात के अत्यधिक भार के कारण जाम लगने की समस्या उत्पन्न होती है तथा यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है।

5.7 औद्योगिक इकाइयाँ

कुछ औद्योगिक इकाइयाँ तथा निशातगंज में पेपर मिल एवं डालीगंज में मोहन मीकिंस अतीत में नगर के बाहर स्थित थी जो भौतिक विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में निर्मित क्षेत्रों से घिर गई हैं। नगर में अनेक आरा मशीनें स्थित हैं। आरा मशीनों के मुख्य केन्द्र ऐशबाग, रकाबगंज तथा डालीगंज क्षेत्र है।

यह क्षेत्र सघन निर्मित एवं आवासीय हैं जिससे इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में यातायात अवरोध, धूल तथा ध्वनि के उत्पन्न होने से चारों ओर के क्षेत्रों में निवास योग्य वातावरण प्रभावित होता है। इन उपर्युक्त क्रियाओं के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। अतएव नये विकास को दृष्टि में रखते हुए इन क्रियाकलापों को अन्य उपयुक्त स्थलों पर स्थानान्तरित किया जाना वांछनीय है।

5.8 सुविधाएं एवं सेवायें

नगर में विभिन्न सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा का वितरण एक समान नहीं है। यह सुविधायें मुख्यतः नगर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। नगर के दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से वितरण की असमानता से ग्रस्त है।

5.9 यातायात एवं परिवहन

नगर की यातायात व्यवस्था नगर के भौतिक विकास के अनुपात में अपर्याप्त है। गोमती के पार वाले क्षेत्र तथा शारदा नहर के दक्षिण (रायबरेली मार्ग तथा कानपुर मार्ग के मध्य) के क्षेत्र में विगत दशक से तीव्र विकास हुआ है।

ये विकास मुख्यतः आवासीय हैं जबकि कार्य केन्द्र अधिकतर नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में स्थित हैं। इस विकास के परिणामस्वरूप उत्तर से दक्षिण जाने वाले मुख्य मार्गों यथा स्टेशन रोड, विधान सभा मार्ग, अशोक मार्ग, गौतम बुद्ध मार्ग, तुलसीदास मार्ग तथा सुभाष मार्ग आदि तथा गोमती पार के क्षेत्रों में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। वर्तमान मार्गों की क्षमता से अधिक विस्तार के न हो पाने के कारण समस्या और बढ़ गयी है।



आन्तरिक सड़क मार्ग पर यातायात प्रवाह।

नगर के मध्य स्थित मार्गों की सीमित चौड़ाई, अतिक्रमण तथा वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि के फलस्वरूप नगर के मार्गों पर वर्तमान यातायात भार एवं उनकी वहन क्षमता में भारी अन्तर हो गया है। इसी अन्तर के कारण दैनिक यातायात का सुगम प्रवाह बाधित हो रहा है एवं आन्तरिक मार्गों पर जगह-जगह ट्रैफिक जाम लगने के साथ-साथ मार्ग दुर्घटनाओं में आशातीत वृद्धि हुई है। पीक आवर्स में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त नगर के आन्तरिक मार्गों पर उपयुक्त पार्किंग स्थलों के अभाव से वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के फलस्वरूप भी ट्रैफिक जाम रहता है।

5.10 बाहरी स्थलों हेतु गुजरने वाले वाहनों से सुगम मार्ग प्रवाह में गत्यावरोध

श्रू ट्रैफिक के नगर के आन्तरिक मार्गों से गुजरने से यातायात पर पड़ने वाले दबाव ने नगर के अन्दर के आवागमन की गतिशीलता पर व्यापक प्रभाव छोड़ रखा है। फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं कानपुर को जाने वाले वाहनों के नगर के मुख्य मार्गों से गुजरने के कारण आन्तरिक मार्ग प्रवाह अत्यधिक प्रभावित है। इन मार्गों पर और बाहरी मार्गों हेतु वर्तमान महायोजना में प्राविधान किया गया था लेकिन नगर का भौतिक विकास प्रस्तावित मार्गों के बाहर भी काफी दूर तक फैल गया है, जिससे प्रस्तावित मार्गों के नगर की आबादी का अंग बन जाने से यह मार्ग नगर के बाहर आवागमन के लिए अनुपयोगी हो गये हैं।

5.11 पार्किंग सुविधाओं की कमी

नगर के व्यस्ततम आवासीय, व्यवसायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग की अत्यधिक कमी से इन क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों के मार्गाधिकार में वाहनों के ठहराव से मार्ग अत्यन्त संकुचित हो गये हैं जिसके फलस्वरूप आवागमन में गतिरोध एवं प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। गौतम बुद्ध मार्ग, चारबाग, नरही, निशातगंज, हजरतगंज, अमीनाबाद व चौक के व्यस्ततम मार्ग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

5.12 शैक्षिक/प्राविधिक कोचिंग संस्थाएँ

नगर के आवासीय, व्यवसायिक क्षेत्रों में शैक्षिक एवं प्राविधिक कोचिंग संस्थाओं के संचालन से नागरिकों के आवासीय जीवन में गतिरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि शिक्षण हेतु विद्यार्थियों के आवागमन तथा भीड़-भाड़ युक्त जमाव से आवासीय क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक शोर-शराबा होता है वहीं पार्किंग स्थलों के अभाव के फलस्वरूप वाहनों के मार्गाधिकार पर अनाधिकृत पार्किंग से क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

5.13 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों/भवनों की दशा

नवाबों के शहर लखनऊ की एक समग्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। नगर का प्रत्येक स्थान तात्कालिक संस्कृति जिससे वह सम्बद्ध रहा है, का प्रतिरूप है। नगर के ऐसे 47 ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों के चतुर्दिक हो रहे विकास इन भवनों के वास्तुकलात्मक स्वरूप से असंगत है। ऐतिहासिक एवं वास्तुकला वाले भवनों के भागों को दुकानों, आवासों, कारखानों आदि के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। भवनों के सन्निकट क्षेत्रों में असंगत क्रिया-कलापों का अवलोकन किया गया है।

5.14 जल संसाधनों का असंतुलित दोहन

एक अध्ययन के अनुसार लखनऊ नगर के मध्य क्षेत्र का भू-जल स्तर प्रतिवर्ष 0.56 मीटर की दर से नीचे गिरता जा रहा है जिसका मुख्य कारण ट्यूबवेल/हैंडपम्प आदि द्वारा भूगर्भीय जल का असीमित दोहन है। इसके अतिरिक्त नगर के चतुर्दिक विकास तथा सीमेन्ट कंक्रीट के अधिकाधिक उपयोग के फलस्वरूप खुले स्थलों के प्रतिशत में कमी आयी है। पहली महायोजना में खुले स्थलों का प्रतिशत 16.49 था वहीं वर्ष 1987 में घटकर 10.90 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-11 में नगरीय विकास के फलस्वरूप वाह्य क्षेत्रों के खुले स्थलों को मिलाते हुये यह प्रतिशत घटकर 10.26 प्रतिशत रह गया।

नगर में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों में कमी एवं बाग-बगीचों के कम होने से भूमि की जल संचयन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण के पारम्परिक श्रोतों जैसे तालाब, झील, नालों को पाटकर उन पर पक्के निर्माण की प्रवृत्ति से भी भूमिगत जल श्रोतों का संरक्षण बाधित हुआ है तथा भूमि की वाटर रिचार्जिंग व संग्रहण की क्षमता भी प्रभावित हो रही है जिससे जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है, परिणामस्वरूप नगरवासियों के सम्मुख जल आपूर्ति का संकट उत्पन्न हो रहा है।

6.0 महायोजना की अवधारणा

लखनऊ नगर की जनसंख्या वर्ष-1981 में लगभग 10.00 लाख से बढ़ कर वर्ष 2011 में 28.80 लाख हो गई। नगर की जनसंख्या वृद्धि दर अन्य नगरों के अपेक्षा अधिक है तथा वर्ष-2021 में 45.00 लाख तक होने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप नगर का भौतिक विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा है जिसका सीधा प्रभाव नगरीय पर्यावरण पर पड़ रहा है। महायोजना-2021 के नगरीय प्रस्ताव महायोजना-2031 में यथावत प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है अतः महायोजना-2021 की अवधारणाओं को यथावत प्रस्तावित कर नगर के भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित/कम करने के उद्देश्य से महायोजना में निम्न बिन्दुओं को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

6.1 नगर के भौतिक स्वरूप के अनुरूप प्रस्ताव

6.1.1 खुले क्षेत्रों में वृद्धि

लखनऊ नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बाग बगीचों का शहर माना जाता रहा है किन्तु वर्तमान में बागों के नाम पर मात्र भवन ही देखने को मिलते हैं। खुले क्षेत्रों की कमी होने से नगर में प्रदूषण तो अधिक होता ही जा रहा है इसके साथ-साथ नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में पानी की कमी गम्भीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है। इसका मुख्य कारण नगर का विभिन्न दिशाओं में निरन्तर विकास होना है। अतः महायोजना में वर्तमान विकसित/निर्मित क्षेत्रों से लगे खुले उपलब्ध क्षेत्रों जोकि अपेक्षाकृत निचले क्षेत्र हैं को खुले क्षेत्रों के रूप में प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

6.1.2 नगर में आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या/भवनों के घनत्व को कम किये जाने हेतु प्राविधान

महायोजना की संरचना में नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में जहां पर जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है (1000 व्यक्ति/हेक्टेयर से अधिक) वहाँ ऐसे प्राविधान किया जाना आवश्यक है जिसमें इन क्षेत्रों में खुले स्थान अधिक हो जाये तथा जनसंख्या भी नियंत्रित हो सके।

6.1.3 भू-गर्भ-जल स्तर के अनुरूप महायोजना संरचना का प्रस्ताव

भू-गर्भ जल विभाग से प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार लखनऊ नगर का भू-गर्भ जल स्तर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है जिसे अभिज्ञानित कर लखनऊ महायोजना-2031 की संरचना में इसे दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर भू-गर्भ जल स्तर के अनुरूप भू-उपयोगों के प्रस्ताव किये जाने आवश्यक है।

महायोजना में विभिन्न पैलियो चैनल (नदी, नाले जलाशय) को संरक्षित रखकर विकसित किये जाने का प्रस्ताव व वाटर रीचार्जिंग हेतु पर्यावरण पार्क के प्राविधान वॉछित हैं जिससे भू-गर्भ जल स्तर का ह्रास कम हो एवं खुले स्थलों में वृद्धि हो सके।

6.2 यातायात

6.2.1 बस/ट्रक टर्मिनल को घने क्षेत्रों से नगर के वाह्य क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

वर्तमान समय में नगर के लगभग सभी बस/ट्रक टर्मिनस घने बसे क्षेत्रों में स्थित है जिसके फलस्वरूप वाहनों के मार्गाधिकार में अनाधिकृत पार्किंग से जहाँ एक ओर घण्टों जाम लगने के

कारण यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है, वहीं दूसरी ओर वाहनों से निकलने वाले धुएं से आस-पास का पर्यावरण प्रदूषित होता है। लखनऊ महायोजना की संरचना में इस समस्या के निदान हेतु नगर में घने बसे क्षेत्रों से बस/ट्रक टर्मिनल नगर के वाह्य खुले क्षेत्रों में विभिन्न मार्गों पर स्थापित किया जाना उचित होगा।

6.2.2 रेलवे स्टेशनों का विस्तार

चारबाग रेलवे स्टेशन एवं इसके आस-पास के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों पर यातायात का दबाव कम करने के उद्देश्य से उत्तरेटिया, गोमती नगर, मानक नगर, आलम नगर एवं दिलकुशा रेलवे स्टेशनों के विस्तार/सुदृढीकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है।

6.3 असंगत भू-उपयोग

6.3.1 मोटर वाहन कय-विकय/कार्यशाला/सहायक सामग्री विकय केन्द्र-

लखनऊ नगर समूह में वाहनों की मरम्मत हेतु गैराज एवं सर्विस स्टेशन अत्यधिक घने बसे क्षेत्रों में स्थित है। इस उपयोग हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे आटो मार्केट का प्रस्ताव किया जाना वांछनीय है।

6.3.2 नगर के आन्तरिक क्षेत्रों से मण्डियों का स्थानान्तरण

लखनऊ नगर में अधिकांश मण्डियाँ (जैसे सब्जी मण्डी, फल मण्डी एवं गल्ला मण्डी) नगर के घने बसे क्षेत्रों के व्यस्त मार्गों पर स्थित हैं जिसके कारण यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है। इसके अतिरिक्त सब्जी एवं फलों के छिलके एवं कूड़े के ढेर लम्बी अवधि तक जमा होने के कारण गन्दगी उत्पन्न होने के साथ-साथ वहां का पर्यावरण प्रदूषित होता है।

समस्या के निदान हेतु लखनऊ महायोजना में मण्डी स्थल एवं इस प्रकार की अन्य क्रियाओं को नगर के वाह्य क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों पर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता है।

6.3.3 कैटिल कालोनी

नगर के आन्तरिक क्षेत्रों से पशुओं को बाहरी क्षेत्रों में रखे जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित एक कैटिल कालोनी के अतिरिक्त नगर के अन्य क्षेत्रों में वाह्य मार्गों पर कैटिल कालोनी के प्रस्ताव आवश्यक है।

6.3.4 प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाईयों को नगर के वाह्य क्षेत्र में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

नगर के घने बसे आवासीय क्षेत्रों में कुछ इकाईयां लम्बे समय से कार्यरत हैं जोकि लगातार प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं, जिसका सीधा कुप्रभाव आस-पास के आवासीय क्षेत्रों में रह रहे नगरवासियों पर पड़ रहा है इसके अतिरिक्त इन इकाईयों से नगर के आन्तरिक मार्गों पर यातायात भार भी अत्यधिक बढ़ता जा रहा है जबकि मार्गों की चौड़ाई सीमित है। अतः प्रदूषण उत्पन्न कर रही इन इकाईयों को नगर के घने बसे आवासीय क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव लखनऊ महायोजना में किया जाना आवश्यक है।

ऐसी इकाईयाँ निम्नवत् हैं:-

1.	मोहन मीकिंस	5.	प्लास्टिक फैक्ट्रीज
2.	पराग डेयरी	6.	पशुवधशाला
3.	आरा मशीनें	7.	अन्य
4.	प्लाई बोर्ड फैक्ट्रीज		

6.4 सुरक्षा जोन का प्रस्ताव

महायोजना में नगर के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा जोन का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है जिसे संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास ऐसे निर्माण/विकास न हो सके जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो।

6.5 सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें

6.5.1 संस्थागत उपयोग

लखनऊ नगर समूह प्रशासनिक एवं सेवा केन्द्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जबकि पूर्व से यह नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र भी रहा है।

विगत कुछ वर्षों से अनेक राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ भी नगर की ओर आकर्षित हो रही हैं। ऐसी संस्थाओं की सुविधाओं हेतु प्राविधान आवश्यक हैं।

6.5.2 प्रदर्शनी/मेला/सम्मेलन स्थल

नगर की एक आर्थिक केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी मेला स्थलों का प्राविधान आवश्यक है जिससे इन क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले वर्तमान में कुछ ही खुले स्थल नगर में उपलब्ध हैं, जो कि नगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।

6.5.3 जल/मल निस्तारण केन्द्र

नगर में वर्तमान में उपयुक्त जल/मल निस्तारण केन्द्र न होने के कारण गोमती नदी एवं आस-पास के खुले क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या गम्भीर होती जा रही है। इसके लिए गोमती एक्शन प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप वृहद जल/मल निस्तारण फार्म प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है।

6.5.4 ठोस उपाद्विष्टों के निस्तारण हेतु स्थल

नगर समूह में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1400 टन उपाद्विष्ट उत्पन्न होते हैं जिनके निस्तारण के लिए उपयुक्त स्थलों के न होने से नगर के आन्तरिक क्षेत्रों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में नगर के व्यस्त मार्गों के मार्गाधिकार अथवा उससे लगी हुई भूमि पर आवासीय क्षेत्रों में कूड़ा एकत्रित किया जाता है, जिसका ढेर लम्बी अवधि तक मार्गाधिकार में लगे रहने से जहाँ एक ओर यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है, वही दूसरी ओर कूड़े की सड़न से उत्पन्न बदबू आस-पास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के वातावरण को प्रदूषित करती है, जिसका सीधा प्रभाव वहाँ पर निवास कर रहे नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु उपयुक्त स्थलों पर कूड़ा स्थलों का प्राविधान आवश्यक है।

6.6 पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास कम घनत्व वाले उपयोगों के प्रस्ताव

लखनऊ नगरीय क्षेत्र के आस-पास आरक्षित वन एवं गोमती नदी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आस-पास नियंत्रित विकास की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों का ह्रास न हो सके। महायोजना में इन क्षेत्रों के आसपास ऐसे उपयोग के प्रस्ताव किए जाने उपयुक्त होंगे जिनसे इन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

7.0 महायोजना के उद्देश्य एवं कार्यान्वयन हेतु नीतियाँ

7.1 महायोजना के उद्देश्य

महायोजना-2031 निम्न उद्देश्यों हेतु तैयार की गयी है।

7.1.1. उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार भू-उपयोग निर्धारित किया जाना।

7.1.2 वर्ष-2031 हेतु अनुमानित जनसंख्या (65.00 लाख) को समायोजित करने हेतु प्रस्ताव दिया जाना।

7.1.3 स्वीकृत महायोजना-2021 के प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से संलग्न ग्रामीण/कृषि क्षेत्रों में अनाधिकृत/ अनियोजित विकास के नियंत्रण हेतु महायोजना-2021 के प्रस्तावों के अनुरूप पर्याप्त प्राविधान किया जाना।

7.1.4 शासन की नीति के अनुक्रम में अनुमोदित हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रों को महायोजना में समायोजित किया जाना।

7.1.5 विकास क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु एक प्रभावी यातायात प्रणाली सुनिश्चित करना तथा स्वीकृत महायोजना के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से थ्रू-ट्रैफिक को वाह्य क्षेत्रों से ले जाये जाने हेतु रिंग रोड का प्रस्ताव किया जाना।

7.1.6 विभिन्न नगरीय क्रियाओं के मध्य सशक्त सम्बन्ध स्थापित करते हुए नागरिकों हेतु सुवधाओं एवं सेवाओं का क्षेत्रीय सन्तुलित वितरण के साथ प्राविधान करना।

7.1.7 पर्यावरण एवं शासन की नीतियों के दृष्टिगत वन, बागों एवं तालाबों /जलाशयों को संरक्षित किया जाना।

7.2 महायोजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित नीतियां

महायोजना 2031 हेतु निर्धारित उद्देश्यों, नगर की विद्यमान समस्याओं एवं महायोजना 2021 के क्रियान्वयन के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नगरीय विकास को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा प्रदान करने के लिए कुछ एक नीतियाँ निर्धारित की जानी आवश्यक है। यह नीतियाँ नगर के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है।

इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य महायोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन को बल प्रदान करना है जो निम्नवत् है:-

7.2.1 भू-उपयोगों के विरुद्ध हुए विकास/निर्माण

शासनादेश संख्या 1052(1)आठ-3-13-308 विविध / 11 दिनोंक 5.07.2013 दिया गया है कि चक गजरिया सम्बन्धी शासनादेश सं0- 895 दिनोंक 9.04.2013 एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत के आलोक में तथा शासन के पत्र संख्या 1052 दिनोंक 20.5.2013 में वांछित सूचनाओं सहित पुनरीक्षित विस्तारित महायोजना -2031 उपलब्ध कराये। इसी अनुक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनोंक 11.06.2014 में निर्णय लिया गया कि लखनऊ महायोजना-2021 में प्रक्षेपित 45.00 लाख जनसंख्या से अधिक वृद्धि होने तथा विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत विकास हेतु प्राप्त विभिन्न प्रकार के विकास एवं निर्माणों को सुनियोजित विकास हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु प्रभावी महायोजना में बाहरी सीमा में दर्शित कृषि उपयोग भूमि को एवं विस्तारित विकास क्षेत्र को एकीकृत करते हुए सामान्यतः महायोजना में नगरीकरण हेतु विभिन्न भू उपयोगों को प्रदर्शित कर प्रभावी महायोजना -2021 के प्रस्तावों को यथावत बनाये रखते हुए संशोधित लखनऊ महायोजना-2031 तैयार की जाय। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनोंक 28.02.2015 में निर्णय लिया गया कि बोर्ड के निर्णय के बिन्दु संख्या-7 पर लखनऊ महायोजना-2021 में कतिपय संशोधन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा परीक्षण कर लखनऊ महायोजना-2031 की संरचना की कार्यवाही की जानी है, तदनुसार संरचना की गयी है।

7.2.2 हाईटेक टाउनशिप नीति

7.2.2.1 प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए शासन द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति निर्धारित की गयी है। उक्त नीति के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की डी0पी0आर0 जो हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन निर्धारित भू-उपयोग मानकों के अनुसार ही सक्षम स्तर से अनुमोदित है, को विकास क्षेत्र की प्रथम बार बनाई जा रही महायोजना के अन्तर्गत समायोजित किया जाना प्राविधानित है। इस नीति के अधीन लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक तीन विकासकर्ताओं का चयन किया गया है।

इन तीन टाउनशिप्स में से दो टाउनशिप्स का आंशिक क्षेत्र विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, जिसे हाईटेक नीति की व्यवस्था के अनुरूप विकास क्षेत्र की महायोजना में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

7.2.2.1 हाईटेक एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग संरचना का विकास/निर्माण

हाईटेक एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग संरचना को महायोजना में समाहित किया गया है। इन प्रस्तावित मार्गों का विकास/निर्माण सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

7.2.3

जलाशयों का संरक्षण

नगरीयकरण के बढ़ते दबाव के कारण विद्यमान जलाशयों से आच्छादित भूमि पर अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माणों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। साथ ही तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण भूमिगत जल का दोहन अन्धाधुन्ध ढंग से किया जा रहा है जिससे भूमिगत जल का स्तर प्रति वर्ष नीचे गिरता जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में भूमिगत जल के गिरते हुए जल स्तर को प्रभावी रूप से रोकने/नियंत्रित करने के दृष्टिगत महायोजना में दर्शाये गये जलाशयों/तालाबों के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त जलाशयों/तालाबों को संरक्षित किया जायेगा।

7.2.4

वनों का संरक्षण

पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वनों को संरक्षित किये जाने हेतु शासन द्वारा घोषित नीतियों एवं वन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त वन भूमि को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

7.2.5

बागानों का संरक्षण

मलिहाबाद क्षेत्र में वृहद स्तर पर बागान स्थित है जिसका आंशिक भाग लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त बक्शी के तालाब के आसपास के क्षेत्र में भी बागान उपलब्ध है। इसके दृष्टिगत महायोजना में इस क्षेत्र में सीमित नगरीय प्रस्ताव दिये गये हैं।

7.2.6

विशिष्ट क्षेत्रों हेतु पुनर्विकास योजनायें

नगर के पुराने क्षेत्रों का स्वरूप नव विकसित क्षेत्रों से पूर्णतया भिन्न है। पुराने क्षेत्रों में मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई अत्यन्त ही कम है, खुले क्षेत्रों का अभाव है, जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति/हे० से भी अधिक है, मिश्रित उपयोगों की बाहुल्यता है। इन क्षेत्रों में छोटी-छोटी सेवा उद्योगों की इकाइयाँ, भण्डारण, कय विक्रय एवं आवासीय उपयोग एक ही परिसर में पाया जाना सामान्य है। इन क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ नव विकसित क्षेत्रों से भिन्न हैं।

भवनों/परिसरों में उपलब्ध खुले क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ नव विकसित क्षेत्रों से भिन्न हैं। भवनों/परिसरों में उपलब्ध खुले क्षेत्रों के उपयोग भी नये क्षेत्रों के भवनों में छोड़े जाने वाले खुले क्षेत्रों से भिन्न होते हैं। महायोजना में इन क्षेत्रों के स्वरूप को बनाये रखे जाने हेतु मिश्रित भू-उपयोग की श्रेणी में प्रस्तावित किया गया है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इन क्षेत्रों के भौतिक स्वरूप एवं इनके सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे को दृष्टिगत रखते हुए ही इनके अनुरूप भवन उपविधियाँ एवं जोनल प्लान/पुनर्विकास की योजनायें तैयार की जानी चाहिए।

इन क्षेत्रों में वर्तमान में भवनों की ऊँचाई अधिक नहीं है तथा मार्गों की चौड़ाई भी कम है। अत्याधिक घनत्व को नियंत्रित किये जाने हेतु जोनल प्लान तैयार न होने तक इन क्षेत्रों में भवनों की ऊँचाई भी सीमित किया जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बेसमेन्ट का प्राविधान अनुमन्य है। जिससे इन निर्मित क्षेत्रों में कार्यकलापों की सघनता में वृद्धि हो रही है अतः बेसमेन्ट की अनुमति इन क्षेत्रों में दी जानी उचित नहीं है।

7.2.7

ग्रामीण आबादी

नगरीय विस्तार के फलस्वरूप नगर के आस-पास स्थित ग्रामों की कृषि भूमि ही प्रयोग में आती है। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के चारों ओर हुए नये/नियोजित विकास से ग्रामीण आबादियाँ प्रायः वंचित रह जाती हैं एवं मलिन बस्ती का रूप धारण कर लेती हैं। अतः उचित होगा कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा आस-पास के क्षेत्रों में अधोसंरचना विकसित करते समय इस प्रकार की ग्रामीण आबादियों को भी सम्मिलित किया जाये।

7.2.8

आपदा प्रबंधन

जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न स्तर के आबादी क्षेत्रों में घनत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के फलस्वरूप विभिन्न आपदाओं के समय जन एवं धन की हानि की सम्भावना भी अत्यधिक है। नगरीय विकास के स्वरूप की भूमिका भी विभिन्न आपदाओं के समय जन/धन की हानि को कम/अधिक होने में महत्वपूर्ण होती है।

7.2.8.1 प्राकृतिक आपदायें

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में लखनऊ नगर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र मुख्यतः बाढ़ एवं भूकम्प की सम्भावनाओं से युक्त है। इनके अतिरिक्त नगर में धीरे धीरे भू-गर्भीय जल का गिरता हुआ स्तर भी प्राकृतिक आपदा का रूप ग्रहण करता जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के दल द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका प्राविधान महायोजना प्रस्तावों/जोनिंग रेगुलेशन्स में किया जाना आवश्यक है।

गोमती नदी लखनऊ नगर के लगभग मध्य से (उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व) बहती है। नदी के आस-पास के क्षेत्र अपेक्षाकृत निचले स्तर के एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नगरीय विस्तार के फलस्वरूप इन निचले क्षेत्रों में भी नगर के विकसित क्षेत्रों के नजदीक होने के कारण नगरीय विकास की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में यदि विकास किया जाता है तो एक ओर तो इन क्षेत्रों में विकास एवं विकास के उपरान्त रख रखाव की लागत अन्य उपयुक्त क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अधिक होगी तथा दूसरी ओर बाढ़ आने पर अत्यधिक जन एवं धन की हानि होने की सम्भावना सदैव बनी रहेगी। यद्यपि बांध आदि के निर्माण से कुछ हद तक बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है किन्तु यह इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा गठित राष्ट्रीय आपदा-प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे क्षेत्र में जिनमें बाढ़ की संभावनाएं रहती हैं पर विकास के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां की गयी हैं :-

(अ) प्राथमिकता-प्रथम

सुरक्षा संबंधी अधिष्ठान, औद्योगिक इकाईयां, सार्वजनिक उपयोगिताओं/सेवाओं के भवन जैसे-अस्पताल, विद्युत स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, व्यवसायिक केन्द्र, लाइब्रेरी एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिष्ठान।

उपरोक्त उपयोगों को पिछले 100 वर्ष एवं 50 वर्ष के बाढ़ के उच्चतम स्तर से उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही अनुमन्य किया जाये।

(ब) प्राथमिकता-द्वितीय

सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगिताओं के भवन, राजकीय कार्यालय एवं आवासीय विकास। उपरोक्त उपयोगों को पिछले 25 वर्ष के उच्चतम स्तर के बाढ़ के स्तर से उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही अनुमन्य किया जाये।

(स) प्राथमिकता-तृतीय

तृतीय प्राथमिकता के उपयोग जिनमें पार्क, क्रीड़ा स्थल, जंगल, बगीचे, हरित पट्टियाँ तथा खुले/मनोरंजनात्मक स्थल हैं, को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी अनुमन्य किया जा सकता है।

उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ नगर में बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दी गयी सूचनानुसार पिछले 50 वर्ष में गरुघाट स्टेशन पर बाढ़ का अधिकतम स्तर वर्ष 1960 में 113.01 मी. एवं वर्ष 1971 में 112.49 मी. रहा है जबकि हनुमान सेतु स्टेशन पर पिछले 25 वर्षों में वर्ष 1971 में 110.850 मी.

व वर्ष 1980 में 109.305 मीटर रहा है। अतः गरुघाट के आस-पास के क्षेत्रों में 113.01 मीटर एवं हनुमान सेतु/गोमती बैराज के आस-पास के क्षेत्रों में शेष बचे खुले क्षेत्रों में 110.85 मीटर के स्तर से ऊँचे स्तर वाले क्षेत्रों को ही नगरीय उपयोग में लाया जाना उचित होगा। इन उल्लिखित स्तरों से निम्न स्तर के क्षेत्रों को तृतीय प्राथमिकता वाले उपयोगों में ही लिया जाना उचित होगा चाहे उन्हें महायोजना में अन्यत्र प्रस्तावित किया गया है।

महायोजना-2021 में कुछ ऐसे निचले क्षेत्रों को प्राधिकरण की भावी योजनाओं हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण वाले क्षेत्रों को ही (बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के प्रस्ताव के साथ) समायोजित किया गया है, जिसमें मुख्यतः भारतीय प्रबंधन संस्थान के आस-पास का क्षेत्र एवं सुल्तानपुर मार्ग तथा गोमतीनगर योजना के मध्य का क्षेत्र सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में विकास बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे जिससे जन-धन की हानि की संभावना न हो।

7.2.8.2 अन्य आपदायें

प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त नगर के सघन क्षेत्रों में अन्य प्रकार की आपदाओं की सम्भावना भी सघनता के फलस्वरूप बनी रहती है, जैसे आग आदि की दुर्घटना संवेदनशील क्षेत्रों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि। भवन उपविधियों में भवनों के डिजाइन के सम्बन्ध में प्रावधान होते हैं जिससे आग लगने की स्थिति में होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके।

लखनऊ नगर प्रदेश की राजधानी होने के फलस्वरूप यहां पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना भी अतिमहत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्रों यथा राजभवन, विधानसभा एवं मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय के आस-पास के विकास को अति नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इसलिए महायोजना में इस सम्बन्ध में प्राविधान आवश्यक है।

7.2.9 असंगत भू-उपयोग

नगर के विकसित क्षेत्रों में अनेक ऐसे किया-कलाप विद्यमान हैं जोकि उनके चारों ओर हुए विकास के अनुरूप नहीं होते हैं उदाहरणार्थ- औद्योगिक इकाईयाँ (जो वर्षों पहले नगर के बाहर स्थापित की गयी थीं किन्तु नगरीय विस्तार के फलस्वरूप वे नगर के

वर्तमान में घने बसे क्षेत्रों के बीच में आ गयी हैं) व्यवसायिक उपयोग (अनाज मण्डियाँ) यातायात से संबंधित अधिष्ठान आदि। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आस-पास प्रस्तावित उपयोग वहां पर हो रहे विद्यमान उपयोगों को दृष्टिगत रखकर किए जाते हैं। ऐसे उपयोग जो प्रस्तावित उपयोग के अनुरूप नहीं हैं तथा महायोजना में निर्धारित जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य नहीं हैं चूंकि इन किया-कलापों से नगर के आंतरिक क्षेत्रों में भीड़-भाड़ एवं प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे विभिन्न किया-कलापों के लिए महायोजना में नये क्षेत्रों का पर्याप्त प्राविधान किया गया है।

7.2.10 जोनल प्लान तैयार किया जाना

महायोजना में सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 31 जोन में विभक्त किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य महायोजना प्रस्तावों को विस्तृत रूप से जोनल प्लान (जिसमें स्थानीय स्तर की सुविधाओं, उपयोगिताओं, सेवाओं एवं यातायात संरचना आदि को दर्शाया जाता है।) तैयार किया जाना है। प्रायः नगरीयकरण क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास/निर्माण कार्यों की गति अधिक रहती है तथा जोनल प्लान के अभाव में इन क्षेत्रों में निर्माण होते रहने से वांछित सुविधाओं/सेवाओं/उपयोगिताओं/मार्गों/पार्को आदि के लिए स्थान उपपलब्ध नहीं हो पाते हैं अतः जोनल प्लान्स की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए इन्हें तैयार किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जानी आवश्यक है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की प्रवृत्ति को देखते हुए जोन संख्या 01, 02, 03, 15, 16, 22, 24 एवं 25 को प्रथम प्राथमिकता के रूप में लेते हुए कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

7.2.11 अधोसंरचनाओं हेतु योजना तैयार किया जाना

महायोजना प्रस्तावों को सुनियोजित ढंग से विकसित किये जाने हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न आवश्यक अधोसंरचनाओं के ढांचे का निर्धारण आवश्यक है। इनके लिए सम्बन्धित उपयोगिताओं/सुविधाओं हेतु सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा तत्काल योजनायें तैयार कराकर उनके कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप होने पर ही महायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

7.2.12 लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)

लखनऊ जनपद के 37 ग्राम लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधिसूचित है। इन 37 ग्रामों में महायोजना में कोई नगरीय उपयोगों के प्रस्ताव नहीं दिये गये हैं, किन्तु क्षेत्रीय यातायात प्रणाली को एकीकृत/संतुलित किये जाने एवं कुछ नये मार्गों के प्रस्ताव दिये गये हैं जिन्हें लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र की महायोजना में भी समायोजित किया जाना आवश्यक होगा।

7.2.13 महायोजना-2031 प्रभावी होने से पूर्व स्वीकृत मानचित्रों के सम्बन्ध में नीति

लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार शासन की अधिसूचना संख्या-174/आ0-6-09-01गठन/04 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा किया। वर्ष-2016 में इस क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार की गयी है। इस अवधि में विस्तारित क्षेत्र हेतु कोई महायोजना नहीं थी। महायोजना-2031 से पूर्व विभिन्न संस्थाएँ/व्यक्तियों द्वारा समक्ष स्तर से मानचित्र स्वीकृत करवा कर निर्माण किया गया है। अधिकतर ऐसे निर्माणों को महायोजना में

समायोजित कर दिया गया है, परन्तु यह सम्भावना है कि कुछ ऐसे निर्माण जो सक्षम स्तर से स्वीकृत करवा कर किये हैं, महायोजना में समाहित नहीं हो पाये हैं। अतः ऐसे निर्माण जो सक्षम स्तर से स्वीकृत करवा कर करवाये गये हैं, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्रभावी रहेंगे।

7.2.14 गोमती नदी किनारे बन्धा निर्माण के सम्बन्ध में।

गोमती नदी के किनारे बन्धे का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित बन्धे के संरेखण के बाहर के क्षेत्र में सक्रिय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। बन्धे के निर्माण में समय इसके संरेखण में परिवर्तन की सम्भावना है। इस के दृष्टिगत बन्धे के संरेखण के बाहर 200 मी० की परिधि में प्रस्तावित भू-उपयोग तभी प्रभावी होंगे जब बन्धे का निर्माण कर लिया जाय।

7.2.15 अनाधिकृत निर्माण को समायोजित करना

लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग के विरुद्ध कुछ स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण हो गया है। कुछ ऐसे निर्माणों का आपत्ति/सुनवाई के उपरान्त भू-उपयोग समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार महायोजना में भू-उपयोग समायोजित कर दिया गया है, परन्तु अनाधिकृत निर्माण के नियमतीकरण की कार्यवाही नियमानुसार प्राधिकरण स्तर से आयोजित की जाय।

7.2.16 24मी० एवं इससे अधिक चौड़े मार्गों पर निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रायः देखा गया है कि प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा निजी विकासकर्ता द्वारा तलपट में 24मी० एवं इससे अधिक चौड़े मार्गों पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रस्तावित कर दिया जाता है। समय के साथ इन भूखण्डों पर अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक क्रियाएँ निर्मित हो जाती हैं, जिससे यह मार्ग यातायात की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके दृष्टिगत प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं के तलपट मानचित्र में 24 मी० एवं इससे अधिक चौड़े मार्गों पर समूह आवास, व्यवसायिक एवं कार्यालय आदि के भूखण्ड ही सृजित किये जाये। 24 मी० एवं इससे अधिक चौड़े मार्ग पर भूखण्डीय विकास अनुमन्य नहीं होंगे।

8.0

महायोजना प्रस्ताव

8.1

परिचय

लखनऊ विकास क्षेत्र की महायोजना वर्ष-2031 तक की अवधि हेतु तैयार की गई है। महायोजना तैयार किये जाने हेतु भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों का संतुलन बनाये रखना आवश्यक है जिसके लिए नगर के भौतिक स्वरूप को आधार मानते हुए महायोजना की संरचना की गई है।

8.1.1

विकास की प्रवृत्ति

लखनऊ नगर का भौतिक विकास विगत 30 वर्षों में तीव्र गति से हुआ है। वर्ष 1987 में लखनऊ नगर का विभिन्न क्रियाओं के अन्तर्गत क्षेत्रफल लगभग 7980 हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2004 में बढ़कर लगभग 16270 हेक्टेयर तथा वर्ष-2010 में लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 176 ग्राम सम्मिलित करते हुए नगर का भौतिक विकास का क्षेत्र 24481.57 हेक्टेयर हो गया। (मानचित्र संख्या-8.1) नगर का विकास मुख्यतः उत्तर, उत्तर-पूरब दिशाओं में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, जबकि उत्तर-पश्चिम एवं पश्चिम में अपेक्षाकृत कम हुआ है। लखनऊ महायोजना-2001 में विभिन्न क्रियाओं हेतु कुल 23682.00 हेक्टेयर क्षेत्र एवं महायोजना-2021 में 43,206.90 हे० क्षेत्र प्रस्तावित था जिसमें से कुछ क्षेत्रों में विकास अपेक्षाकृत कम है। उदाहरणार्थ उत्तर-पश्चिम का क्षेत्र (गोमती नदी एवं सीतापुर मार्ग के मध्य का क्षेत्र)।

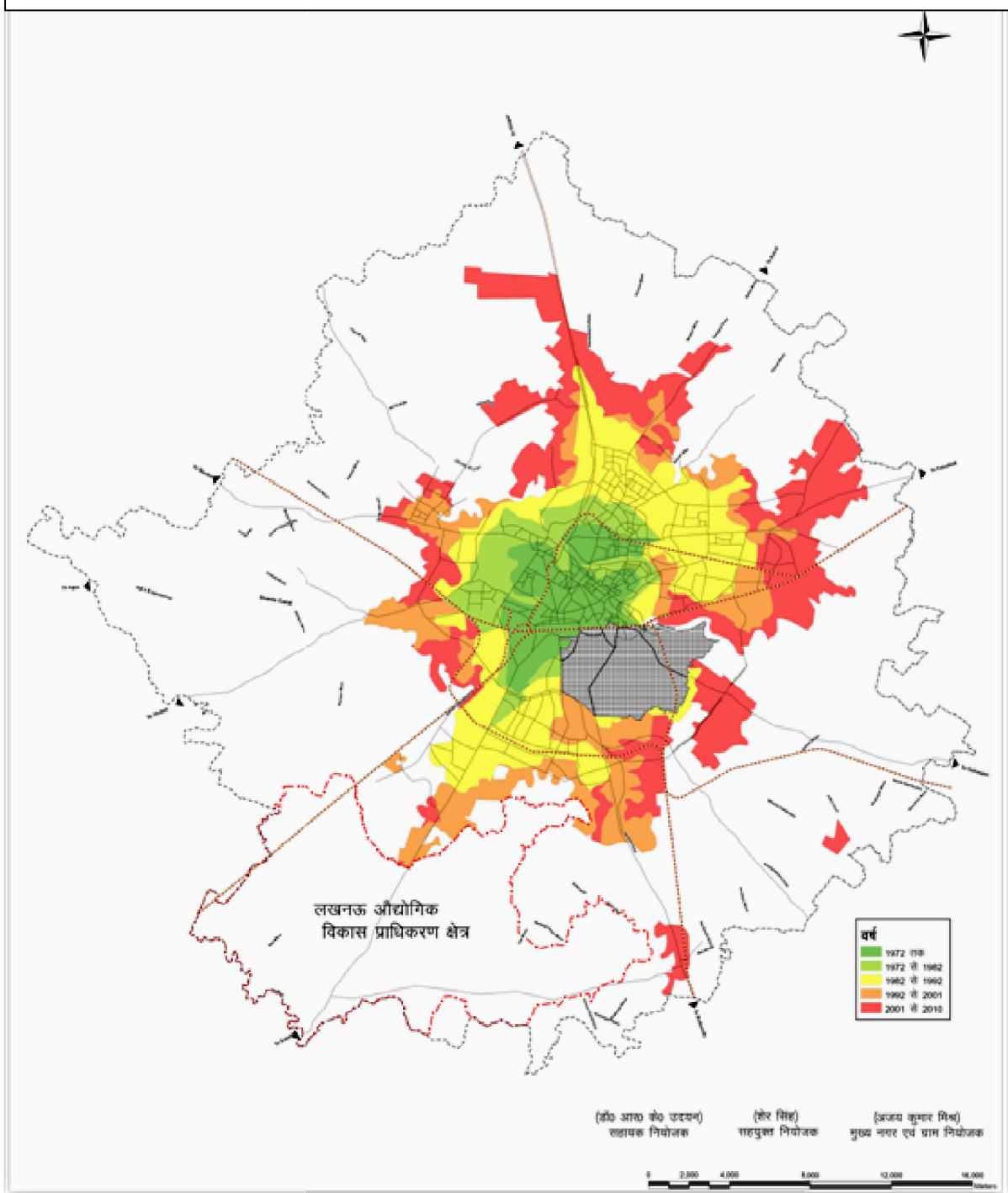
8.1.2

नियोजन हेतु उपलब्ध क्षेत्र

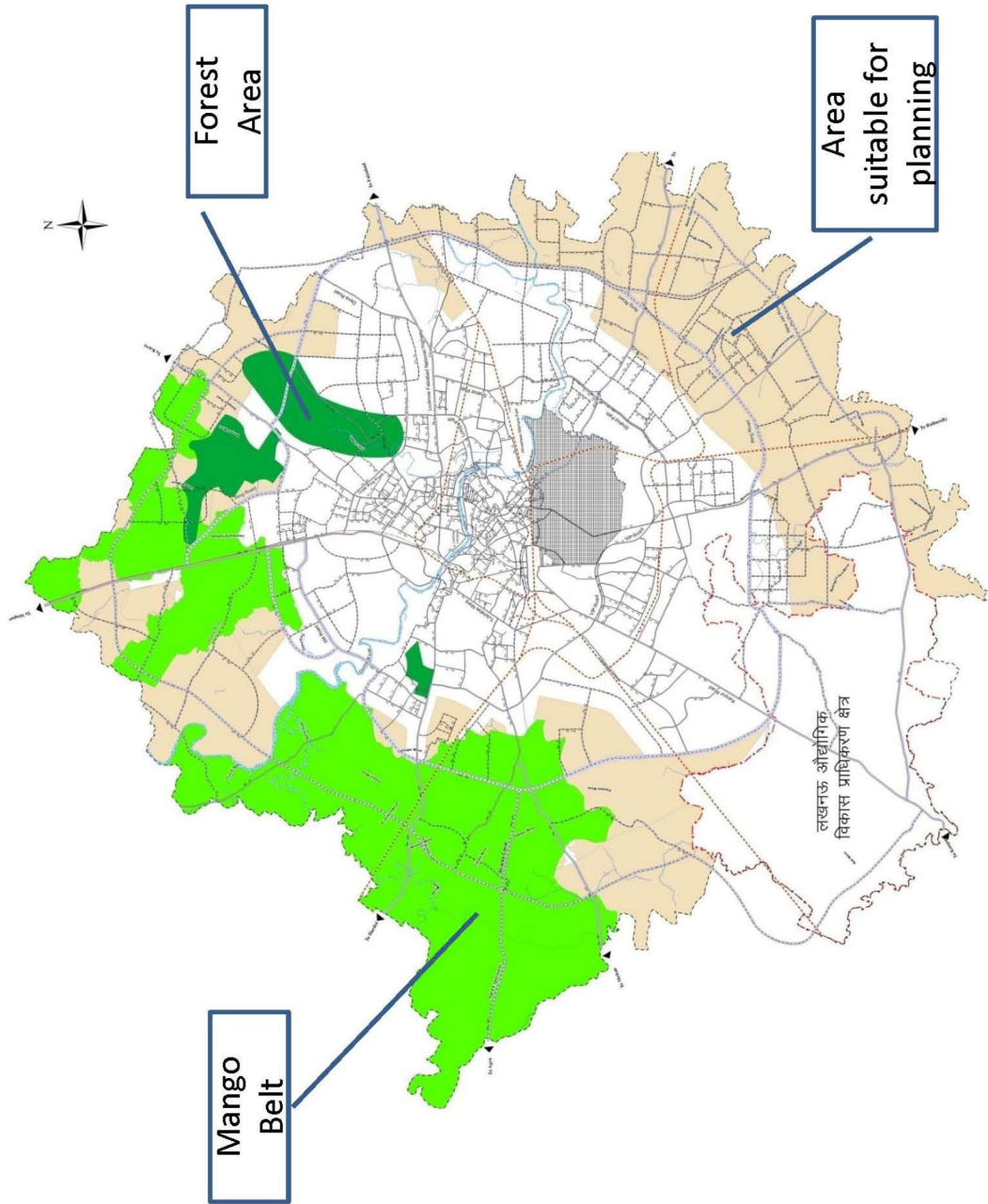
हरदोई मार्ग पर मलिहाबाद एवं उसके आस-पास का क्षेत्र, मोहान मार्ग एवं उसके आस-पास का क्षेत्र में वृहद स्तर बाग उपलब्ध है। इन बागानों को यथा-सम्भव संरक्षित किया जाना है, इस कारण इस क्षेत्र में विकास हेतु भूमि सीमित रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र तथा हरदोई रोड पर मूसाबाग में भी आरक्षित वन क्षेत्र स्थित है जिन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक है (मानचित्र संख्या.-8.2)

शेष बचे उपयुक्त क्षेत्रों में नगरीय क्रियान्वयन की आवश्यकता एवं स्थलों की स्थिति अनुसार उपयुक्तता को दृष्टिगत विभिन्न उपयोगों हेतु प्रस्ताव किये गये हैं।

मानचित्र संख्या 8.1 लखनऊ महानगर का भौतिक विकास प्रतिरूप



मानचित्र संख्या 8.2 नियोजन हेतु उपलब्ध क्षेत्र



8.1.3 महायोजना-2021 में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन

शासन द्वारा समय-समय पर लखनऊ महायोजना-2021 में किये गये भू-उपयोग परिवर्तनों का विवरण तालिका सं0-8.1 में दिया गया है:-

तालिका संख्या-8.1

लखनऊ महायोजना-2021 में शासन द्वारा किये गये भू-उपयोग परिवर्तन

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. सं.	भू-उपयोग परिवर्तन	आवासीय	वाणिज्यक	मिश्रित	औद्योगिक	यातायात	कार्यालय	मनोरंजनात्मक	कृषि	सामुदायिक सुविधाएं	योग
1.	आवासीय	--	12.137	73.501	3.73	4.1159	0.2218	115.20	--	77.573	286.47
2.	वाणिज्यक	9.0	7.490	--	--	1.766	--	.753	--	24.007	43.02
3.	मिश्रित	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.	औद्योगिक	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	यातायात	8.573	7.176	11.511	22.55	2.819	--	41.29	--	17.78	111.70
6.	कार्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7.	मनोरंजनात्मक	39.949	5.357	--	19.549	9.499	--	61.582	--	90.485	226.421
8.	कृषि	5.602	--	--	--	--	--	--	--	--	5.602
9.	सामुदायिक सुविधाएं	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग	63.123	32.14	85.012	45.83	18.199	0.2218	218.83	--	209.845	673.21

टिप्पणी:- उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तनों को महायोजना मानचित्र में यथावत दर्शाया/ समायोजित किया गया है, परन्तु शासन द्वारा पूर्व में किए गए भू-उपयोग परिवर्तन को प्राधिकरण के संज्ञान में लाए जाने पर वह मान्य होगा भले ही उक्त स्थल का महायोजना मानचित्र में भिन्न भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया हो।

8.2 आर्थिक आधार

लखनऊ नगर समूह की वर्ष 2001 में जनसंख्या 22.45,509 थी जो वर्ष-2011 में 28.80 लाख हो गयी, वर्ष-2021 में 45.00 लाख तथा वर्ष-2031 में 65.0 लाख होनी अनुमानित है। कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों का प्रतिशत वर्ष-2001 में 27.51 था, जो वर्ष-2011 में 33.70 हो गया है।

नगरीयकरण के साथ वर्ष-2021 में कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों का 34.00 प्रतिशत तथा वर्ष-2031 में 35.00 होना अनुमानित है। इस प्रकार से वर्ष 2021 में लखनऊ नगर में कुल 15.30 लाख तथा वर्ष 2031 में 22.75 लाख कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे। कुल कार्य करने वालों में वर्ष-2011 की जनसंख्या के अनुसार 1.65 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं, 18.35 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी की क्रियाओं एवं शेष 80.00 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं में कार्यरत थे।

लखनऊ नगर समूह औद्योगिक क्रियाओं हेतु आकर्षण का केन्द्र नहीं हो पाया है तथा भविष्य में भी यह नगर प्रमुखतया प्रशासनिक एवं विशिष्ट सेवा केन्द्र के रूप में ही अपनी पहचान बनाये रखेगा। अतः अनुमान है कि वर्ष-2021 में कुल 15.30 लाख कार्य करने वाले व्यक्तियों में से 1.5 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक श्रेणी अर्थात् कृषि एवं पशुपालन आदि में कार्यरत होंगे, तथा 19.0 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात् औद्योगिक क्रियाओं में शेष 79.50 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात् वाणिज्यिक एवं व्यापार, सेवाओं आदि में कार्यरत होंगे। यह भी अनुमानित है कि वर्ष 2031 में कुल 22.75 लाख कार्य करने वाले व्यक्तियों में से 1.45 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक श्रेणी अर्थात् कृषि एवं पशुपालन आदि में कार्यरत होंगे तथा 20.0 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात् औद्योगिक क्रियाओं में तथा शेष 78.55 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं अर्थात् वाणिज्यिक एवं व्यापार सेवाओं आदि में कार्यरत होंगे।

उपरोक्त नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं वर्ष-2021 हेतु विभिन्न नगरीय क्रियाओं के विकास के लिए प्रस्तावित 43,206.90 हेक्टेयर क्षेत्र के दृष्टिगत लखनऊ विकास क्षेत्र (176 ग्राम) को सम्मिलित करते हुये लखनऊ नगर के विभिन्न नगरीय क्रियाओं के विस्तार एवं विकास के लिए लखनऊ महायोजना-2031 में कुल 64921.89 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।(मानचित्र संख्या.-8.3)

तालिका संख्या-8.2

प्रस्तावित भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2031

क्र.सं.	भू-उपयोग	महायोजना-2021		विस्तारित सहित महायोजना-2031 हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	आवासीय	21018.46	48.65	33395.09	46.89
2.	वाणिज्यिक	1345.84	3.11	3672.82	5.16
3.	औद्योगिक	1647.61	3.81	3683.59	5.17
4.	कार्यालय	421.47	0.98	837.63	1.18
5.	सामुदायिक सुविधाये/ उपयोगिताएं एवं सेवाये	3970.69	9.19	6967.77	9.78
6.	मनोरंजनात्मक	9469.41	21.92	13455.81	18.89
7.	यातायात	5332.54	12.34	9207.67	12.93
	योग:-	43206.03	100.00	71220.39	100.00

8.3 आवासीय भू-उपयोग

मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन एवं वस्त्र के बाद आवास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लखनऊ नगर की महायोजना-2021 में लगभग 21018.46 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू-उपयोग में प्रस्तावित थी। लखनऊ विकास क्षेत्र में (176) ग्राम सम्मिलित करते हुए लखनऊ महायोजना-2031 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल 33395.09 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 46.89 प्रतिशत है। जिसमें निर्मित क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र निम्नवत् है:-

8.3.1 निर्मित क्षेत्र

निर्मित आवासीय क्षेत्र (जो नगर का पूर्ण घना बसा विकसित आवासीय क्षेत्र है) के अन्तर्गत लगभग 1331.97 हेक्टेयर भूमि है जिसका आवासीय घनत्व 600 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से लेकर 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है जिसके घनत्व को 600 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र की घनी आबादी को नगर का वाह्य क्षेत्रों में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव किये गये हैं।

8.3.2 आवासीय क्षेत्र

यह नगर का नव विकसित/विकासशील आवासीय क्षेत्र है, जो घनी आबादी के सानिध्य में है। इस क्षेत्र में आवासीय घनत्व 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित है। इस आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 30976.51 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत कुल 1086.61 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है।

8.4 वाणिज्यिक भू-उपयोग

नगर में चौक, अमीनाबाद एवं हजरतगंज क्षेत्र पुराने व्यवसायिक केन्द्र हैं। इन पुराने केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अनेक व्यवसायिक केन्द्र विकसित हो रहे हैं। हजरतगंज, चौक एवं अमीनाबाद क्षेत्रों में व्यवसायिक क्रियाकलाप वहाँ पर उपलब्ध मार्गों की चौड़ाई एवं पार्किंग स्थलों की तुलना में अधिक हैं जबकि विकासशील एवं नवविकसित कालोनियों में व्यवसायिक क्रियाकलाप अपेक्षाकृत कम हैं जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। व्यवसायिक क्रियाकलापों हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की आवश्यकता एवं क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कुल 3672.82 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.16 प्रतिशत है।

8.4.1 (क) मिश्रित भू-उपयोग (1)

नगर के परम्परागत व्यवसायिक क्षेत्र यथा चौक, डालीगंज तथा याहियागंज क्षेत्रों को मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग के अन्तर्गत भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक/कार्यालय उपयोग तथा ऊपरी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमत्त होगा। इस उपयोग के अन्तर्गत 92.90 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

8.4.1 (ख) मिश्रित भू-उपयोग (2)

नये क्षेत्र में प्राधिकरण की चक गजरिया फार्म योजना में प्राधिकरण द्वारा मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया एवं आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना, वाह्य रिंग रोड पर सीतापुर मार्ग से अस्ती मार्ग पर, मोहान मार्ग से कानपुर रेलवे लाईन के मध्य, नगर के पूरब दिशा में गोमती नदी के समीप रिंग रोड पर मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 905.58 हेक्टेयर है।

8.4.2 केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर के हजरतगंज एवं अमीनाबाद व्यवसायिक केन्द्र जो कि अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले व्यवसायिक क्षेत्र हैं, को केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्रों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन केन्द्रों में और अधिक व्यवसायिक क्रियाओं को बढ़ावा न दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुये इन क्षेत्रों में यथा स्थिति को बनाये रखने की आवश्यकता है। केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्रों हेतु कुल 64.14 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है।

8.4.3 नगर केन्द्र

केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से नवविकसित / विकासशील क्षेत्रों में नगर केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक नगर केन्द्र दो से पाँच लाख की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। नगर केन्द्र भू उपयोग के अन्तर्गत लगभग 575.52 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान किया गया है।

8.4.4 उपनगर केन्द्र

लखनऊ नगर की वर्ष-2031 की अनुमानित 65 लाख जनसंख्या के दृष्टिगत नगर में पर्याप्त उपनगर केन्द्रों का उपयुक्त स्थलों पर प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित उपनगर केन्द्रों के अतिरिक्त कुर्सी मार्ग पर 03, सीतापुर एवं रैथा मार्ग पर 1-1, हरदोई मार्ग पर 03, मोहान एवं वनी मार्ग पर 1-1, रायबरेली मार्ग पर 02, नगराम मार्ग पर 01 सुल्तानपुर मार्ग पर 02, इन्दिरा कैनाल पर 1 एवं फैजाबाद मार्ग पर -2 उपनगर केन्द्र विकसित किये जाने हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी हैं। प्रत्येक उपनगर केन्द्र बीस हजार से एक लाख की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इन उपनगर केन्द्रों हेतु कुल लगभग 1029.39 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है।

8.4.5 थोक व्यापार केन्द्र

महायोजना में उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त थोक व्यवसाय तथा मण्डियों के लिए भी प्रस्ताव किया गया है क्योंकि नगर की घनी आबादी में स्थित थोक व्यापार को विकेन्द्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। वर्तमान में सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग तथा कानपुर मार्ग पर स्थित मण्डियों के सुदृढीकरण की भी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त 06 नये मण्डी स्थलों का प्राविधान फैजाबाद मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग, बक्शी का तालाब (सुदृढीकरण) एवं कानपुर मार्ग, कुर्सी मार्ग तथा बनी मार्ग पर किया गया है। जिसके लिये 203.63 हेक्टेयर (वर्तमान मण्डी स्थल क्षेत्र सहित) भूमि का प्राविधान है।

8.4.6 भण्डार / गोदाम / वेयरहाउसिंग

नगर में भण्डार/गोदाम/वेयर हाउसिंग के क्रिया कलापों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु सीतापुर मार्ग एवं सुल्तानपुर मार्ग के अतिरिक्त कानपुर मार्ग पर स्थित तेल भण्डारण क्षेत्र के विस्तार किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये भण्डार/वेयर हाऊसिंग हेतु 105.03 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

8.4.7 मोटर वाहन क्रय-विक्रय बाजार/कार्यशाला तथा सहायक विक्रय केन्द्र

मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय, कार्यशाला एवं कल पुर्जों के विक्रय हेतु हायोजना-2031 में 118.29 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो मुख्यतः सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं रायबरेली मार्ग पर स्थित है।

8.4.8 बाजार मार्ग

लखनऊ महायोजना-2001 में कुछ मार्गों को बाजार मार्ग के रूप में उन पर हो रही परम्परागत व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हित किया गया था। इन चिन्हित मार्गों की विस्तृत योजनायें तैयार न हो सकने के फलस्वरूप मार्गों के साथ-साथ व्यवसायिक विकास तो हुआ किन्तु उनका स्वरूप बाजार मार्ग की अवधारण के अनुरूप नहीं हुआ जिसके कारण यातायात की समस्यायें मार्गों पर व्यवसायिक क्रियाओं की सघनता के कारण और बढ़ी।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा विकसित आवासीय कालोनियां/ स्वीकृत तलपट के आधार पर विकसित क्षेत्रों / विकासशील क्षेत्र के मार्गों को बाजार मार्ग के रूप में चिन्हित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनका विकास नियोजित रूप से हुआ है तथा व्यवसायिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु प्राविधान योजना के अन्तर्गत किए गए हैं।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गों को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तों के साथ महायोजना-2031 में समायोजित किया जाये।

- मार्गों के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे— शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय/ अर्द्धराजकीय/स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।
- बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 18 मी० अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।
- विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 1 जनवरी, 2005 को भू-स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी अधिक हो) तक मानी जायेगी।
- बाजार मार्गों पर व्यवसायिक निर्माण/विकास प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।
- बाजार मार्ग का मानचित्र अलग से बनाया गया है, किन्तु महायोजना मानचित्र की मूलप्रति में सम्बन्धित भू-उपयोग को बाजार मार्ग ही माना जायेगा।

चिन्हित बाजार मार्ग निम्नवत् हैं (मानचित्र संख्या.-8.4)

1. फैजाबाद मार्ग (कुकरैल बांध से राजकीय पॉलीटेक्निक तक)
2. विधान सभा मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से रॉयल होटल तक)
3. अशोक मार्ग (प्रस्तावित हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक आस्थान से राणा प्रताप मार्ग तक)
4. शाहनजफ मार्ग (हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
5. रेलवे स्टेशन मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से के०के० कालेज चौराहे तक)
6. आलमबाग-तालकटोरा मार्ग (टेढ़ी पुलिया से शारदा नहर तक)
7. विशेश्वर नाथ मार्ग (कैसरबाग चौराहे से रॉयल होटल चौराहे तक)
8. तुलसीदास मार्ग (चौक चौराहा से गाजीउद्दीन हैदर नहर तक)
9. कुर्सी मार्ग (रैदास मन्दिर रेलवे समपार से अलीगंज सेक्टर जी स्थित पेट्रोल पम्प तक)
10. निशांतगंज (निशांतगंज चौराहा से गोमती नदी सेतु तक)
11. रामतीर्थ मार्ग (हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
12. सुभाष मार्ग (मेडिकल कालेज चौराहा से स्टेशन मार्ग तक)
13. कैण्ट मार्ग (कैसरबाग केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र केन्द्र से कैण्ट रेलवे समपार तक)
14. अमीनाबाद मार्ग (चारबाग रेलवे स्टेशन से अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र तक)
15. गौतम बुद्ध मार्ग (कैसरबाग केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से रेलवे स्टेशन मार्ग तक)
16. शिवाजी मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से गौतम बुद्ध मार्ग तक)
17. गुइन रोड (अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से गुलमर्ग होटल चौराहा तक)
18. लालकुआँ/गुरुद्वारा मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से नाका हिंडोला तक)
19. गोलागंज मार्ग (गोलागंज चौराहे से कैसरबाग बस स्टेशन चौराहे तक)
20. गंगा प्रसाद वर्मा मार्ग (रकाबगंज चौराहे से अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र तक)
21. बी०एन०वर्मा मार्ग (गुलमर्ग होटल चौराहा से चारबाग बस स्टेशन चौराहे तक)

22. नजीराबाद मार्ग (अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से कैसरबाग चौराहे तक)
23. कचहरी मार्ग (अमीनाबाद केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से आर0 एन0 टण्डन मार्ग तक)
24. झाऊ लाल मार्ग (गुलमर्ग होटल चौराहे से गोलागंज चौराहे तक)
25. लालबाग क्षेत्र (जैसा मानचित्र में दिखाया गया है)
26. पान दरीबा मार्ग (अग्रसेन विद्यालय/मवइया मार्ग)
27. कपूरथला से आई0टी कालेज चौराहे तक बाजार मार्ग (रैदास मन्दिर के सामने वाली पट्टी को) प्रस्तावित करने का निर्णय हुआ।
28. ओसामा तलहा मार्ग(केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से 96 मीटर तक मार्ग के पूरब दिशा में)।
29. मंदिर मार्ग (एलडीए शॉपिंग काम्पलेक्स एवं महानगर सेक्टर शॉपिंग के सामने)।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या 5081/9-आ-3-02-18 एलयूसी/2001 दिनांक 25.04.2003 के द्वारा ग्राम भदरूख की भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक किये जाने हेतु परिवर्तित किया गया तथा प्राधिकरण के निर्णयानुसार शारदानगर योजना के रतन खण्ड के व्यवसायिक उपयोग जो कि मार्ग से संलग्न 50 मी0 की गहराई तक होगा, रकाबगंज से हटाये गये मूंगफली व्यवसायियों को नवीवुल्ला रोड व प्रौढ शिक्षा कार्यालय की भूमि पर बसाये गये स्थल, रकाबगंज से विस्थापित किये गये टाल व्यवसायियों को मोतीझील में बसाये गये स्थल एवं सुभाष मार्ग चौड़ी करण के फलस्वरूप विस्थापित दुकानदारों को रेलवे मालगोदाम के पास बसाये गये स्थल को महायोजना मानचित्र में दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, को भी व्यवसायिक उपयोग हेतु ही माना जायेगा। इन स्थलों को परिक्षेत्रीय योजना तैयार करते समय व्यवसायिक उपयोग के रूप में ही समायोजित किया जायेगा।

8.4.9 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए प्रस्ताव

विभिन्न अनुमानों के अनुसार लखनऊ नगर समूह में वर्तमान में लगभग 2.0 लाख व्यक्ति असंगठित क्षेत्र (इन्फार्मल क्षेत्र) में कार्यरत हैं जिनकी संख्या वर्ष 2031 में लगभग 3.0 लाख होनी अनुमानित है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति प्रायः मार्गों पर ही अपना कार्य करते हैं जिससे मार्गों की प्रभावी चौड़ाई कम होती है। महायोजना में प्रस्ताव है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों हेतु अभिकरण (प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद) द्वारा निर्मित योजना में न्यूनतम एक प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाए जिससे कि नगर की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्र को नियोजित ढंग से समायोजित किया जा सके।

8.5. उद्योग

नगर की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुमानित है कि वर्ष 2031 में द्वितीयक श्रेणी में कार्य करने वालों की संख्या लगभग 1.34 लाख होगी, जिसके लिए महायोजना में लगभग 3683.59 हेक्टेयर क्षेत्र (कुर्सी मार्ग, अस्ती मार्ग, नगराम मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं देवा मार्ग पर) प्रस्तावित किया गया है जोकि कुल प्रस्तावित भूमि पर 5.17 प्रतिशत है।

8.5.1 वृहद उद्योग

महायोजना-2031 में वृहद उद्योगों हेतु 1048.26 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव है। इन उद्योगों हेतु क्षेत्र का निर्धारण कानपुर मार्ग, देवा मार्ग और फैजाबाद मार्ग पर किया गया है, जहाँ पर वर्तमान में भी वृहद उद्योग विद्यमान है।

8.5.2 हल्के उद्योग

महायोजना-2031 में नगर में हल्के उद्योगों हेतु 1911.35 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है। इन उद्योगों हेतु क्षेत्रों का निर्धारण तालकटोरा मार्ग, ऐशबाग, कानपुर मार्ग, देवा मार्ग आदि विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कुर्सी मार्ग, सीतापुर मार्ग, फैजाबाद मार्ग एवं मोहान मार्ग पर किया गया है। मोहान मार्ग पर लघु उद्योगों हेतु प्रस्ताव विशेष कर आरा मशीनों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु किया गया है।

8.5.3 डेयरी

लखनऊ महायोजना-2031 में सुल्तानपुर मार्ग पर डेयरी भू-उपयोग के अन्तर्गत 9.50 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी है।

8.5.4 आई.टी.पार्क

लखनऊ महायोजना-2031 में सुल्तानपुर मार्ग पर आई.टी. पार्क के विकसित किये जाने हेतु 714.46 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

8.6 कार्यालय

लखनऊ नगर प्रदेश की राजधानी होने के परिणाम स्वरूप यह अनुमान किया गया है कि इसका कार्य स्वरूप प्रधानतः प्रशासनिक होगा। महायोजना-2031 में कार्यालय उपयोग हेतु 837.63 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है जिसमें मुख्य कार्यालय काम्पलेक्स क्षेत्र, उच्च न्यायालय, जवाहर भवन, सचिवालय/विधान सभा क्षेत्र, अलीगंज में जी0एस0आई काम्पलेक्स, आर0डी0एस0ओ0 कार्यालय क्षेत्र महानगर में आई0टी0 चौराहें के पास पुलिस लाइन तथा उदयगंज क्षेत्र में सिंचाई विभाग काम्पलेक्स जेल एवं निर्वाचन कार्यालय सम्मिलित है। सप्रू मार्ग से संलग्न भूखण्डों को 100 मी0 की गहराई तक कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है ऐसे भू-खण्ड जो मार्ग से संलग्न नहीं है किन्तु 100 मी0 की गहराई के अन्तर्गत आते हैं उनके पर्याप्त पहुँच मार्ग न होने के कारण व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होती है अतः यह उपयोग केवल मार्ग से (स्वामित्व के आधार पर) संलग्न भू-खण्ड (अधिकतम गहराई 100 मी0) हेतु ही मान्य होगा। जो भू-खण्ड सप्रू मार्ग से संलग्न नहीं है, यद्यपि 100 मी0 की गहराई के अन्तर्गत आते हैं, का प्रस्तावित भू-उपयोग आवासीय ही माना जायेगा।

नगर में भावी स्थापित होने वाले कार्यालयों को प्रस्तावित नगर केन्द्रों, उपनगर केन्द्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, परन्तु नई जेल रोड पर कार्यालय भू-उपयोग विस्तारित क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।

8.7 सामुदायिक सुविधाएं /उपयोगिताएं एवं सेवायें

इन सेवाओं के लिए महायोजना-2031 में 6967.77 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है, जिसमें विद्यमान सुविधाओं के अन्तर्गत 2891.60 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित सुविधाओं के लिए लगभग 4076.17 हेक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.78 प्रतिशत है।

8.7.1 शिक्षण संस्थायें (सामान्य एवं तकनीकी)

शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से लखनऊ न केवल नगर समूह अपितु जिला तथा प्रदेश की आवश्यकतों की पूर्ति करता है। नगर में इन सुविधाओं एवं उपलब्धताओं को देखते हुए 571.48 हेक्टेयर भूमि जोकि वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त है को यथावत् महायोजना-2031 में आरक्षित किया गया है। नगर की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताओं एवं सेवायें भू-उपयोग के अन्तर्गत सामान्य एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु भूमि प्रस्तावित है।

8.7.2 चिकित्सालय

नगर में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु चिकित्सा विश्व विद्यालय, संजय गांधी परास्नातक चिकित्सालय, डा.राममनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, यूनानी महाविद्यालय

एवं होम्योपैथिक कालेजों के साथ-साथ सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, नर्सिंग होम तथा स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है। चिकित्सालय सुविधाओं हेतु महायोजना-2031 में वर्तमान चिकित्सालयों के क्षेत्र को यथावत् प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 234.22 हेक्टेयर है। नगर की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताओं एवं सेवाओं उपयोग के अन्तर्गत चिकित्सालयों के विकास हेतु भूमि आरक्षित है।

8.7.3 सामाजिक/सांस्कृतिक/शोध संस्थायें एवं सेवाये

नगर सामाजिक/सांस्कृतिक/शोध संस्थाओं का प्रमुख केन्द्र है। इन सभी सुविधाओं हेतु वर्तमान स्थित संस्थाओं एवं सुविधाओं के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए लगभग 1350 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत् महायोजना-2031 में प्रस्तावित किया गया है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताओं एवं सेवाओं हेतु प्रस्तावित भूमि में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

8.7.4 जलकल

नगर में जल कल सुविधाओं हेतु वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त मोहान मार्ग, रैथा मार्ग, फैजाबाद मार्ग, देवा मार्ग, गोमती नदी के तटों व इन्दिरा कैनल के पास वाटर वर्क्स स्थापित किये जाने के लिए लगभग 240.99 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

8.7.5 रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन

महायोजना-2031 हेतु नगर में रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन केन्द्र के लिए वर्तमान क्षेत्र 11.54 हेक्टेयर ही रखा गया है।

8.7.6 विद्युत उपकेन्द्र

लखनऊ नगर की विद्युत आपूर्ति हेतु नगर के विभिन्न भागों यथा कुर्सी मार्ग, अस्ती मार्ग, रायबरेली मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग पर विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों पर लगभग 147.62 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव महायोजना-2031 में किया गया है।

8.7.7 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

नगर की सीवरेज निस्तारण व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से नगर के विभिन्न भागों में क्रमशः कुर्सी मार्ग, रैथा मार्ग एवं देवा मार्ग पर उपयुक्त स्थलों पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने हेतु महायोजना-2031 में लगभग 706.28 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

8.7.8 शमशान घाट/कब्रिस्तान /करबला

नगर में इनके कार्यकलापों हेतु वर्तमान में लगभग 78.49 हेक्टेयर क्षेत्र को महायोजना 2031 में यथास्थिति रखा गया है।

8.7.9 गारबेज- (थोक उपादिष्ट निस्तारण केन्द्र)

नगर के अन्दर कूड़े को एकत्र करके व्यवस्थित ढंग से नष्ट करने के लिये महायोजना-2031 में लगभग 184.29 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। यह क्षेत्र सीतापुर मार्ग, मोहान मार्ग, हरदोई रेलवे लाइन के दक्षिण में, रायबरेली मार्ग तथा प्रस्तावित वाह्य मुद्रिका मार्ग के सन्धि स्थल पर तथा देवा मार्ग पर एवं प्रस्तावित वाह्य मुद्रिका मार्ग के सन्धि स्थल पर प्रस्तावित है।

8.8 मनोरंजनात्मक

लखनऊ नगर भव्य महलों, हवेलियों तथा सुन्दर बागों/पार्कों से सम्पन्न है। ऐतिहासिक/सांस्कृतिक तथा पर्यावरण एवं मनोरंजनात्मक महत्व के क्षेत्र की सम्भाव्यताओं को तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महायोजना-2031 में मनोरंजन भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 13455.81 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है जोकि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 18.89 प्रतिशत है।

8.8.1 पार्क एवं खुले स्थल

नगर में जनेश्वरमिश्र पार्क, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क इत्यादि उपलब्ध है। इन सभी को समाहित करते हुये महायोजना-2031 में पार्क एवं खुला स्थल के लिए लगभग 5366.49 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। यह क्षेत्र पूर्णतया खुले स्थल के रूप में ही निरूपित किए गये हैं।

8.8.2 क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीडा स्थल

लखनऊ महायोजना-2031 में क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीडा स्थल में स्टेडियम आदि के निर्माण की संभावनाओं को निरूपित रखते हुये लगभग 1758.15 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

8.8.3 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व के स्थल/भवन

नगर में सुरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र यद्यपि सम्पूर्ण नगर में फैले हुये हैं तथा मुख्य रूप से गोमती नदी के दाये तट की ओर केन्द्रित हैं। इन स्थलों की संरक्षित रखने की आवश्यकताओं को देखते हुये लगभग 96.26 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।

8.8.4 चिड़ियाघर एवं अजायबघर

नगर में चिड़िया घर एवं अजायबघर हजरतगंज के सानिध्य क्षेत्र में स्थित है। इनके लिये लगभग 27.82 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।

8.8.5 वनस्पति उद्यान

नगर में वनस्पति उद्यान सिकन्दर बाग में स्थित है जिसके वर्तमान क्षेत्र लगभग 22.82 हेक्टेयर को महायोजना-2031 में यथारूप में रखा गया है।

8.8.6 पर्यावरण पार्क

लखनऊ नगर को प्रदूषण रहित रखने एवं भूगर्भ जल स्तर के गिरावट को रोकने हेतु लगभग 2402.14 हेक्टेयर क्षेत्र में पर्यावरण पार्क रखे गये हैं। यह स्थल सीतापुर-हरदोई मार्ग के मध्य तथा सुल्तानपुर मार्ग- सुल्तानपुर रेलवे लाइन के मध्य प्रस्तावित है।

8.8.7 हरित पट्टी

लखनऊ नगर के विद्यमान नदी नालों ,प्रमुख प्रस्तावित मार्गों के किनारे हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया हैं। लखनऊ महायोजना-2031 में इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 3661.56 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी हैं

8.8.8 प्रदर्शनी / मेला एवं सम्मेलन स्थल

महायोजना-2031 में प्रदर्शनी/मेला/सम्मेलन स्थल हेतु क्षेत्रों का निर्धारण बिजनौर मार्ग, सीतापुर-हरदोई बाईपास पर, शारदा नहर एवं जिला कारागार के मध्य किया गया है। इसके लिए लगभग 120.56 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।

8.9 यातायात एवं परिवहन

लखनऊ नगर सड़क, रेल तथा हवाई मार्ग से भली भौति सम्बद्ध है। नगर की मार्ग प्रणाली मुख्यतः रेडियल है जो कानपुर, फैजाबाद, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, कुर्सी एवं मोहान को सम्बद्ध करते हैं। यह नगर रेल मार्गों द्वारा कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, रायबरेली एवं सीतापुर से सम्बद्ध है। हवाई मार्ग से दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूर, पटना, कोलकता एवं शारजाह से सम्बद्ध है। लखनऊ महायोजना-2031 में यातायात एवं परिवहन के अन्तर्गत 9207.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल क्षेत्र का 12.93 प्रतिशत है।

8.9.1 मार्ग

नगर की आन्तरिक प्रणाली के अपर्याप्त होने से भीड़-भाड़ का वातावरण अनावश्यक बिलम्ब एवं दुर्घटनाओं को जन्म देता है। यातायात एवं परिवहन हेतु महायोजना-2031 में यातायात हेतु प्रस्ताव तथा आन्तरिक मार्गों के विस्तार के प्रस्ताव दिये गये हैं। यातायात एवं परिवहन सुविधाओं के अन्तर्गत महायोजना-2031 में 6921.00 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। लखनऊ महायोजना में निर्माणाधीन शहीद पथ के बाहर थ्रू-ट्रैफिक वाह्य मुद्रिका मार्ग का प्रस्ताव किया गया है। जिसकी लम्बाई लगभग 106 किलोमीटर है। (मानचित्र संख्या.-8.5, 8.6)

सीतापुर रोड

एन.एच.आई.
द्वारा

Bypass roads used as
City-internal roads

Proposed NHAI Road

फैजाबाद रोड

Proposed Ring
Road 2021

Proposed outer
Ring Road 2031

सुलतानपुर रोड

रायबरेली रोड

कानपुर रोड



8.9.2 रेलवे लाइन /यार्ड /मिनरल साइडिंग एवं स्टेशन

रेलवे के लिये वर्तमान क्षेत्र को यथास्थिति निरूपित करते हुये लगभग 847.60 हेक्टेयर क्षेत्र को रखा गया है।

8.9.3 ट्रक एवं बस अड्डा

कानपुर मार्ग पर यातायात नगर की स्थापना से रेल तथा सड़क द्वारा माल यातायात की बढ़ती हुयी आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण तथा नागरिकों के आवागमन हेतु सुविधायें देने के लिये महायोजना-2031 में लगभग 516.44 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। यह स्थल कुर्सी मार्ग, मोहान मार्ग, बनी मार्ग, सीतापुर मार्ग, फैजाबाद मार्ग, हरदोई मार्ग, कानपुर रेलवे लाइन के बगल में, रायबरेली तथा सुल्तानपुर रोड पर स्थित है।

8.9.4 हवाई अड्डा

लखनऊ नगर के अमौसी एयर पोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने के कारण महायोजना-2031 में लगभग 768.80 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है जिसमें वर्तमान हवाई अड्डे का क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

8.9.5 रेलवे स्टेशनों का विस्तार /सुदृढीकरण

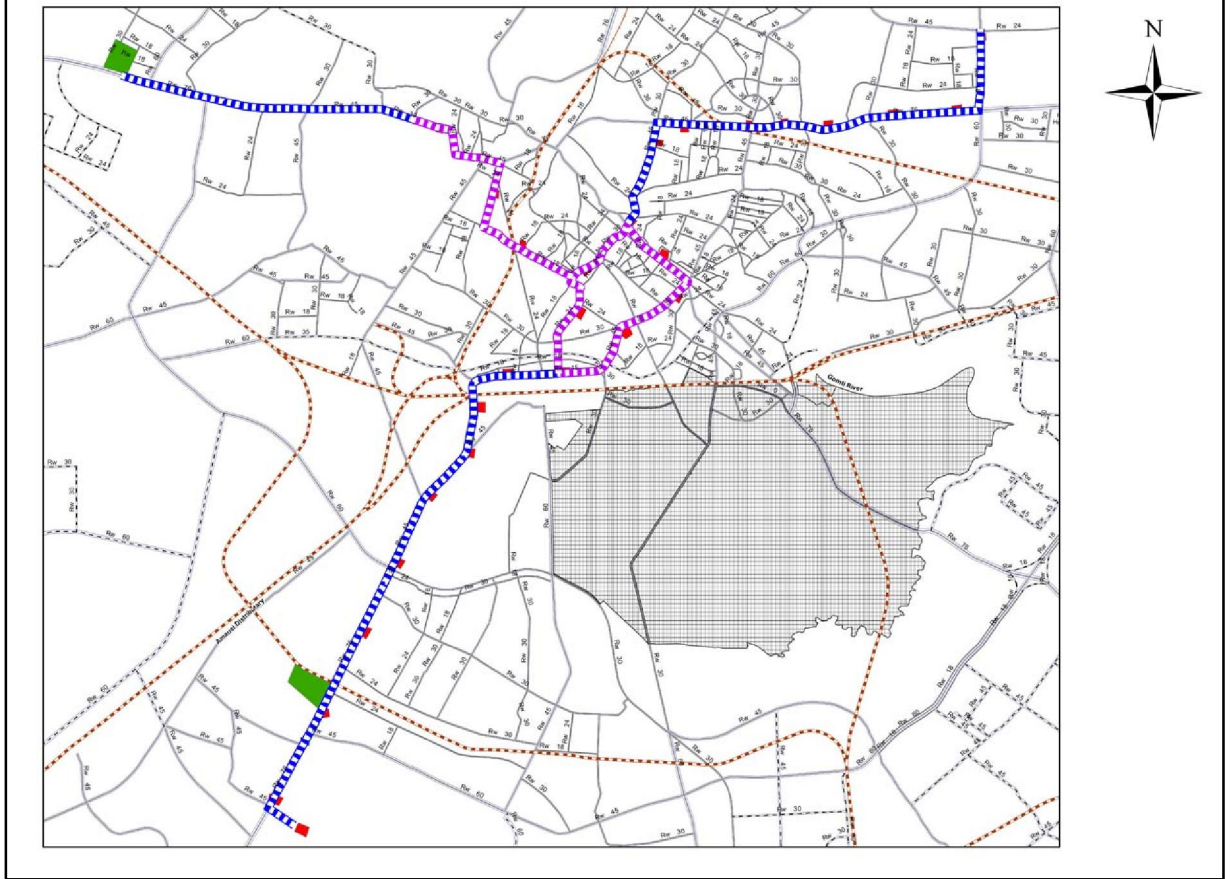
लखनऊ नगर में चारबाग रेलवे स्टेशन ही एक मात्र ऐसा स्टेशन है, जहाँ पर समस्त रेलगाड़ियों रुकती हैं। यात्रियों को रेल यात्रा करने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य रूप से आना पड़ता है। चारबाग रेलवे स्टेशन नगर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। चारबाग के अतिरिक्त उतरेटिया, आलमनगर, दिलकुशा, मानकनगर एवं गोमतीनगर रेलवे स्टेशनों के सुदृढीकरण/विस्तार के प्रस्ताव दिये गये हैं, ताकि चारबाग रेलवे स्टेशन की भीड़ कम हो सके।

8.9.6 पार्किंग स्थलों का प्राविधान

नगर में वर्तमान में यातायात एवं परिवहन सेवाओं पर दबाव के फलस्वरूप नगर के विभिन्न व्यस्त मार्गों पर नियमित रूप से जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसका एक मुख्य कारण उपयुक्त पार्किंग स्थलों का अभाव है। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में उपलब्ध 04 खुले स्थानों को चिन्हित कर पार्किंग हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त स्थल ऐशबाग रेलवे स्टेशन के सामने बंद वर्फ कारखाना, जनपथ मार्केट, आई0टी0 चौराहे पर, तथा गोमती नदी के किनारे बैकुंठ धाम है। यद्यपि नगर के अन्य भागों में भी इसकी अत्यन्त आवश्यकता है परन्तु अन्य क्षेत्रों में इस हेतु प्रस्ताव जोनल प्लान तैयार करते समय किया जायेगा।

8.9.7 लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण में मेट्रो का निर्माण अमौसी एयरपोर्ट से चारबाग होते हुये इन्दिरानगर में मुंशीपुलिया तक प्रस्तावित है। प्रथम चरण में ही अमीनाबाद से होते हुये हरदोई मार्ग तक प्रस्तावित है। यह सम्भावना है कि अमौसी एयर पोर्ट से चारबाग रेलवे स्टेशन तक निर्माण कार्य 2017 के आरम्भ में ही पूर्ण कर लिया जायेगा। (मानचित्र संख्या.-8.7)



8.10 अन्य उपयोग

लखनऊ महायोजना-2031 में अन्य उपयोगों में मैंगो बेल्ट, कृषि भूमि कैटिल कालोनी, वन, स्लॉटर हाउस, सीबेज फार्म तथा नदी/जलाशय आदि का क्षेत्र सम्मिलित हैं परन्तु कृषि भूमि की गणना नगरीयकरण योग्य क्षेत्रफल में नहीं की गयी है।

8.10.1 कैटिल कालोनी

लखनऊ महायोजना-2031 में वर्तमान कैटिल कालोनी (हरदोई रोड एवं कुर्सी रोड पर स्थित) को यथावत् रखते हुये दो अतिरिक्त कैटिल कालोनियाँ प्रस्तावित की गयी हैं। इसके अन्तर्गत लगभग 156.58 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है।

8.10.2 नदी, नाला, तालाब/जलाशय

वर्तमान भू-उपयोग में प्रदर्शित सभी नदी, नाले, तालाब/जलाशयों को महायोजना में यथावत् प्रस्तावित किया गया है इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय का भू-उपयोग महायोजना मानचित्र में अन्य किसी भू-उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू-उपयोग तालाब/जलाशय ही माना जायेगा। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 1942.15 हेक्टेयर भूमि लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित किया गया है।

8.10.3 वन

महायोजना मानचित्र में आरक्षित वन यथावत् दर्शाया गया है। अनारक्षित वन के सम्बन्ध में जो सूचनाएं वन विभाग से प्राप्त हुई हैं को महायोजना के मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज वन क्षेत्र का भू-उपयोग महायोजना मानचित्र में चाहे किसी अन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू-उपयोग वन ही माना जायेगा। यदि मार्ग की निरन्तरता के दृष्टिगत अनारक्षित वन की भूमि का प्रयोग किया जाता है तो इसके समतुल्य कृषि भूमि अनारक्षित वन हेतु प्रस्तावित करनी होगी। लखनऊ महायोजना-2031 में इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 2459.29 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

8.10.4 बाग

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान बागों का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2031 में कृषि क्षेत्र ही रखा गया है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 224.28 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है।

8.10.5 कृषि

वर्तमान में कृषि योग्य भूमि, भट्टों की भूमि, भट्टों के खदान वाली भूमि, खाली भूमि एवं वंजर भूमि को लखनऊ महायोजना-2031 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत रखा गया है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 26889.5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

8.11 अन्य प्रस्ताव

8.11.1 महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न उपयोगों में अनेक क्रियाकलाप ऐसे विद्यमान होते हैं, जो कि प्रस्तावित भू-उपयोग के असंगत होते हैं। अतः प्रस्ताव है कि ऐसे विद्यमान सभी असंगत क्रिया-कलापों को एक समयबद्ध ढंग से स्थानान्तरित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

8.11.2 महायोजना में विद्यमान मुख्य मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित की गई है यदि किसी मार्ग की उपलब्ध चौड़ाई किसी स्थल पर मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अभिलेखानुसार विद्यमान मार्ग की चौड़ाई ही मानी जायेगी।

8.11.3 पूर्व महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी/पार्क खुले स्थलों के अनुरूप अनुमोदित तलपद मानचित्रों में दर्शाये गये हरित पट्टी/पार्क/खुले स्थलों को हरित पट्टी/पार्क/खुले स्थल के रूप में ही माना जायेगा। चाहे ऐसे क्षेत्रों को वर्तमान महायोजना में किसी अन्य भू-उपयोग में दर्शाया गया हो।

नगर में स्थित शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक भवनों एवं स्थलों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवनों एवं स्थलों, सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के परिसरों में मार्ग के सम्मुख व्यवसायिक क्रिया-कलापों को विकसित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के विकास की अनुमन्यता से जहां एक ओर सम्बन्धित संस्था का मूल स्वरूप एवं उद्देश्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर नगर के संकरे एवं व्यस्त मार्गों पर अत्यधिक यातायात भार बढ़ने के साथ-साथ नगर में खुले क्षेत्रों का अभाव होता जा रहा है।

- 8.11.4** अतः उपरोक्त प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक है कि सामान्यतः इस प्रकार के विकास की अनुज्ञा प्रदान न की जाय केवल विशेष परिस्थितियों में संस्थानों के उपयोगार्थ ही परिसर के अन्दर के क्षेत्र में ही इन्हें अनुमन्य किया जाय। यह प्रतिबन्ध उन शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक भवनों एवं स्थलों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों तथा सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के परिसरों पर भी लागू रहेगा जो नगर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थित है एवं महायोजना में उस क्षेत्र का भू-उपयोग व्यवसायिक दर्शाया गया है।
- 8.11.5** शासन द्वारा अनुमोदित हाईटेक टाउनशिप को समायोजित करते हुए इन्हें आवासीय भू-उपयोग में दर्शाया गया है जबकि इन टाउनशिप हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, आदि की देयता हाईटेक टाउनशिप नीति एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार होगी।
- 8.11.6** प्राधिकरण की विभिन्न बोर्ड बैठकों में लिए गये निर्णयों के फलस्वरूप महायोजना-2021 के प्रस्तावों में हुए परिवर्तनों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आदि की देयता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना होगा।
- 8.11.7** महायोजना में कुछ ऐसे मार्गों की चौड़ाई बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो रेलवे लाईन एवं नहर/नाले के समानान्तर स्थित है। ऐसी स्थिति में मार्ग के मध्य से रेलवे लाईन/नहर की ओर मार्ग का प्रस्तावित विस्तार सम्भव नहीं होता है। इसी प्रकार भारत सरकार के सुरक्षा प्रतिष्ठान के परिसर की ओर भी मार्गों का विस्तार सम्भव नहीं होता है। अतः ऐसे मार्ग जो रेलवे लाईन, नहर, नाले के समानान्तर, प्रस्तावित है, अथवा भारत सरकार के सुरक्षा प्रतिष्ठान के परिसर से लगे हुए प्रस्तावित है, पर भवन निर्माण एवं विकास की अनुज्ञा प्रदान करते समय ऐसे विद्यमान/प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई की गणना रेलवे भूमि, नहर/नाले के तटबन्ध/सुरक्षा प्रतिष्ठानों की परिसर सीमा से दूसरी ओर की जायेगी, न कि मार्ग के मध्य बिन्दु से।
- 8.11.8** कोई मार्गाधिकार का क्षेत्र किसी भी अभिकरण के द्वारा किराये पर या लीज पर नहीं दिया जायेगा।
- 8.11.9** ऐतिहासिक भवनों /क्षेत्रों हेतु प्राविधान

(1) वास्तुकला सम्बन्धी नियन्त्रण

महत्वपूर्ण क्षेत्रों के भवनों या मुख्य मार्गों पर अभिमुख भवनों या ऐतिहासिक महत्व के भवनों के समीपस्थ भवनों हेतु निर्माण योजना का वास्तुकला/ललित कला की दृष्टि से अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) नियोजन नियन्त्रण

हेरीटेज जोन (जैसा कि मानचित्र में प्रदर्शित है) तथा ऐतिहासिक स्मारकों/भवनों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियंत्रण लागू होंगे।

(अ) हेरीटेज जोन

1. हुसैनाबाद काम्पलेक्स
2. कैसरबाग काम्पलेक्स
3. लामार्टिनियर काम्पलेक्स

- स्मारक के परिसर से 50 मीटर की दूरी के अन्तर्गत किसी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- स्मारक के परिसर से 50 मीटर से 150 मीटर की दूरी के मध्य केवल एक मंजिलें आवासीय भवनों (अधिकतम ऊँचाई 3.8 मीटर) से अधिक के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- स्मारक के परिसर से 150 मीटर से 250 मीटर की दूरी के मध्य दो मंजिले (अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई 7.6 मीटर) से अधिक के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों पर भारत सरकार के तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे तथा अन्य संरक्षित स्मारकों पर (जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सूची में नहीं है) पर उपरोक्त प्राविधान लागू होंगे।(मानचित्र संख्या.-8.8)

(ब) नगर के निर्मित क्षेत्रों में स्थित अन्य महत्वपूर्ण भवन एवं स्मारक

- स्मारक /भवन के परिसर से 15 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- स्मारक के परिसर से 15 मीटर से 50 मीटर की दूरी के मध्य केवल एक मंजिले आवासीय (अधिकतम ऊँचाई 3.8 मीटर) की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

8.11.10 सुरक्षा जोन

लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना 2031 के सम्बन्धित मानचित्र संख्या-8.9 में दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है एवं नये उच्च न्यायालय परिसर के पास भी सुरक्षा जोन का प्रस्ताव किया गया है।

8.11.11 नियोजन खण्ड

लखनऊ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 31 नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है। (मानचित्र संख्या-8.10) नियोजन खण्डों को सामान्यतः समरूप क्षेत्र की मुख्य मार्गों की सीमा से सीमित किया गया है। इन नियोजन खण्डों की विस्तृत योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है।

8.11.11.1 चरणबद्ध विकास

लखनऊ नगर की महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप नियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु विकास की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। लखनऊ महायोजना-2021 की अन्तिम सीमा तक विकास हो गया है, इस क्षेत्र के बाहर द्रुतगति से विकास होना प्रारम्भ हो गया है। महायोजना पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। महायोजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन करने हेतु विभिन्न क्षेत्र के जोनल प्लान एवं तलपट मानचित्र तैयार किये जाने होंगे। विकास के प्रारम्भिक समय पर ही यदि इन क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार कर विकास को नियोजित दिशा प्रदान की जाये तो वहाँ पर अनाधिकृत निर्माण पर समुचित नियन्त्रण हो पायेगा। इसके दृष्टिगत यह प्रस्ताव है कि प्रथम चरण में उन जोन्स के जोनल प्लान तैयार किये जाये जहाँ पर विकास अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। तृतीय चरण में आन्तरिक भाग के जोनल प्लान तैयार किये जायेंगे। जोनल प्लान के आधार पर विस्तृत लागत के आँगणन तैयार किये जायेंगे एवं वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध किया जायेगा, तदनुसार योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी। जोनल प्लान निम्नलिखित चरणों में तैयार किये जायेंगे:-

प्रथम चरण-जोन संख्या-23 से 31 तक।

द्वितीय चरण-जोन संख्या-01, 02, 03, 15, 16, 18, 20, 21 एवं 22।

तृतीय चरण-जोन संख्या-04 से 14 तक, 17 एवं 19।

(संदर्भ-मानचित्र संख्या-8.10 नियोजन खण्ड)

8.11.12 महायोजना का पर्यवेक्षण

8.11.12.1 कार्यदायी विभाग/संस्थाएं :-

किसी भी नगर की महायोजना उस नगर के संगठित एवं सुनियोजित विकास की दीर्घकालीन रूपरेखा होती है। इसके ईष्टतम परिणाम की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र के नगरीय विकास में संलग्न सभी विभागों/संस्थाओं का योगदान एवं प्रयास परमवाश्यक होता है। नगरीय विकास में संलग्न विभाग/संस्थायें निम्नवत् है :-

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. विकास प्राधिकरण, लखनऊ | 2. नगर निगम, लखनऊ |
| 3. लोक निर्माण विभाग | 4. उद्यान विभाग |
| 5. वन विभाग | 6. शिक्षा विभाग |
| 7. स्वास्थ्य विभाग | 8. विद्युत विभाग |
| 9. जल निगम | 10. जल संस्थान |
| 11. डाक एवं तार विभाग | 12. पुलिस विभाग |
| 13. परिवहन विभाग | 14. पर्यटन विभाग |
| 15. पुरातत्व विभाग | 16. पर्यावरण विभाग |

8.11.12.2 पर्यवेक्षण समिति :-

महायोजना प्रस्तावों का नियमित अनुश्रवण मंडलायुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:-

1.	आयुक्त, लखनऊ मण्डल	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3.	जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य
4.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ	सदस्य
5.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
6.	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
7.	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8.	मुख्यचिकित्साधिकारी, लखनऊ	सदस्य
9.	मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण	सदस्य
10.	महाप्रबन्धक, जलनिगम	सदस्य
11.	डी०एफ०ओ०, वनविभाग, लखनऊ	सदस्य
12.	संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ	सदस्य
14.	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ	सदस्य
15.	अधीक्षक पुरातत्व विभाग	सदस्य
16.	डाक पाल, लखनऊ	सदस्य
17.	उपनिदेशक, उद्यान, लखनऊ	सदस्य
18.	अध्यक्ष, आर्किटेक्ट एसोसियेशन, लखनऊ	सदस्य
19.	अध्यक्ष, औद्योगिक संघ, लखनऊ	सदस्य
20.	अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, लखनऊ	सदस्य
21.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य/सचिव

उक्त समिति समय-समय पर महायोजना का धरातलीय पर्यवेक्षण करके अपने अभिमत व सुझाव सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायेगी।

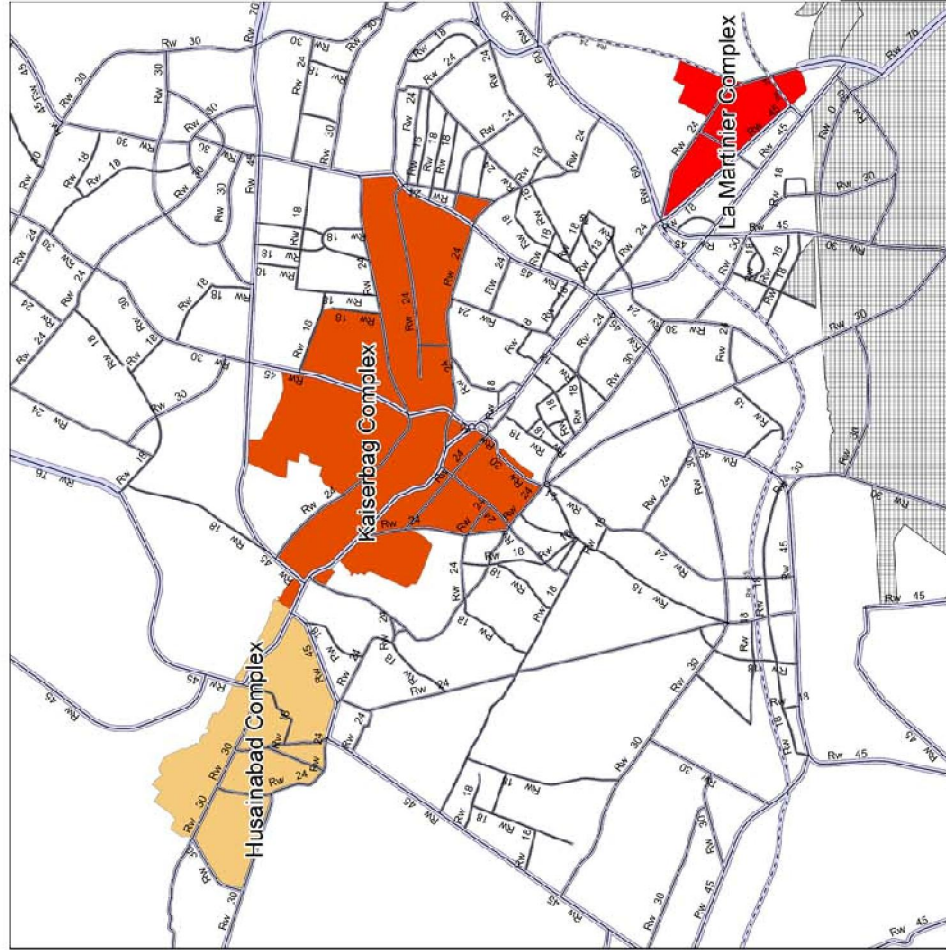
मानचित्र संख्या 8.8 हेरिटेज जोन्स

लखनऊ महायोजना-2031 हेरिटेज जोन्स



हेरिटेज जोन्स

- हुरौनाबाद क्षेत्र
- कैसरबाग क्षेत्र
- लामार्तिन क्षेत्र



सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग. उ0प्र0

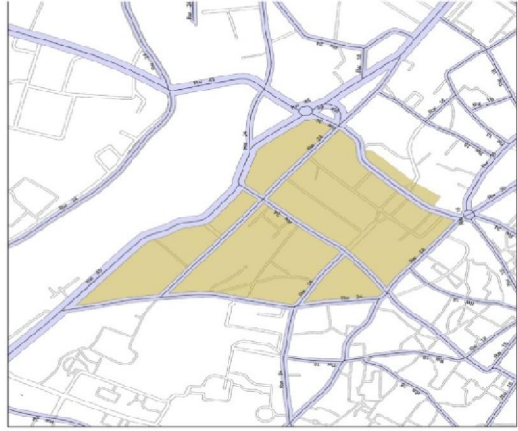
सं. क्र.	प्लॉट नं.	प्लॉट का. (वर्ग मी.)	प्लॉट का. (वर्ग फीट.)	प्लॉट का. (वर्ग गज.)	प्लॉट का. (वर्ग यार्ड.)	प्लॉट का. (वर्ग मी.)	प्लॉट का. (वर्ग फीट.)	प्लॉट का. (वर्ग गज.)	प्लॉट का. (वर्ग यार्ड.)
1	1	100	1089	100	1089	100	1089	100	1089
2	2	200	2178	200	2178	200	2178	200	2178
3	3	300	3267	300	3267	300	3267	300	3267
4	4	400	4356	400	4356	400	4356	400	4356
5	5	500	5445	500	5445	500	5445	500	5445
6	6	600	6534	600	6534	600	6534	600	6534
7	7	700	7623	700	7623	700	7623	700	7623
8	8	800	8712	800	8712	800	8712	800	8712
9	9	900	9801	900	9801	900	9801	900	9801
10	10	1000	10890	1000	10890	1000	10890	1000	10890

1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000
1:10,000

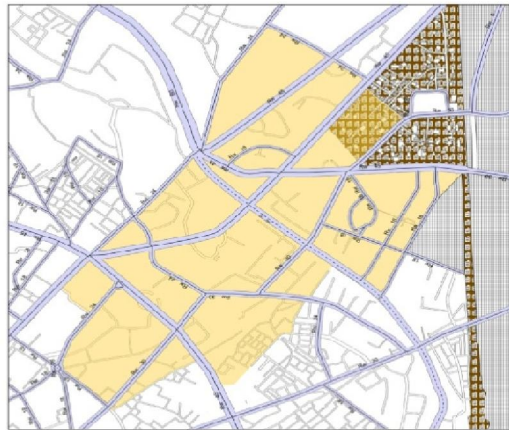
लखनऊ महायोजना-2031 सुरक्षा जोन्स



नया हाई कोर्ट क्षेत्र



हाई कोर्ट क्षेत्र

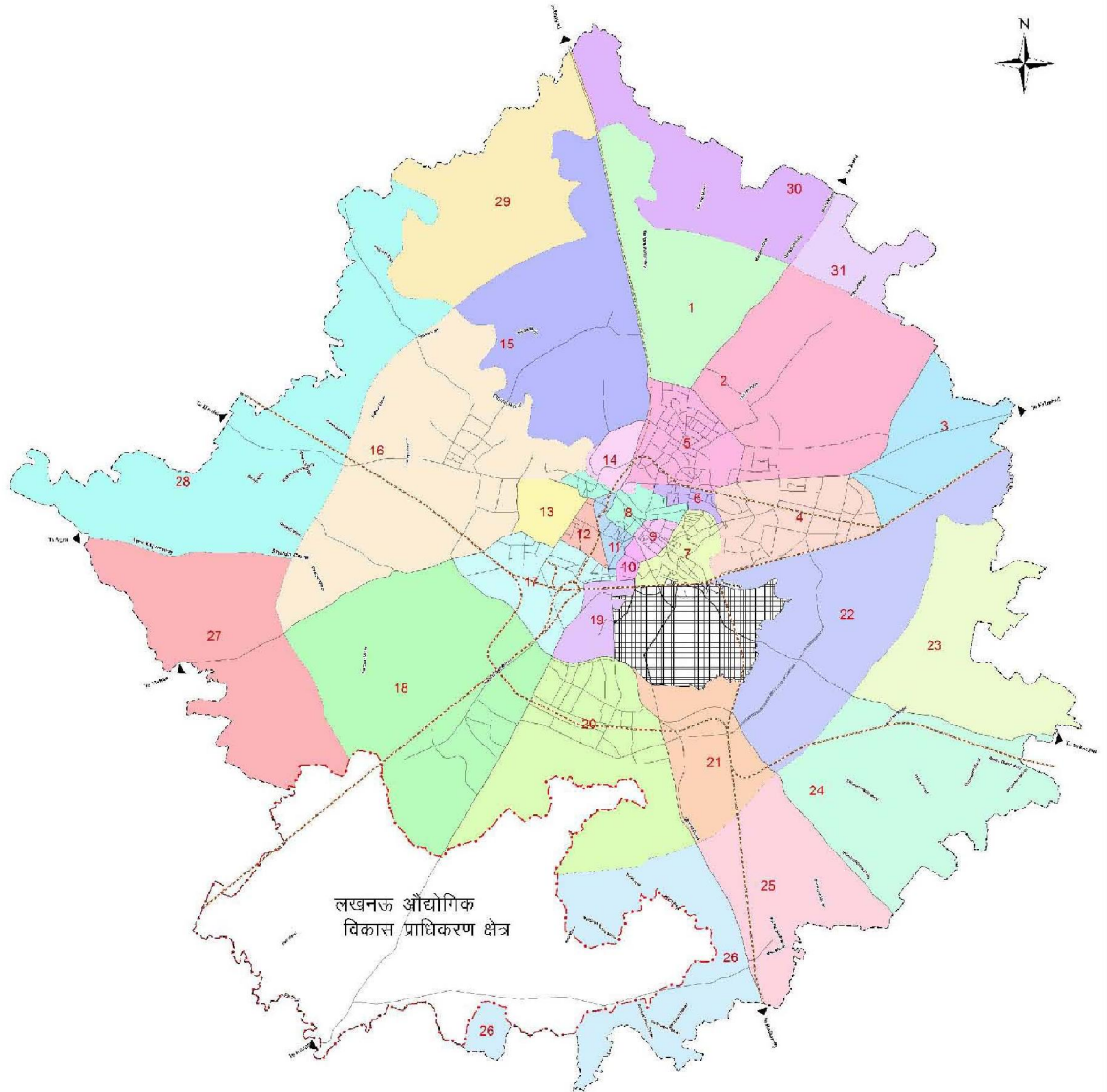


विधान सभा क्षेत्र

सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

लखनऊ महायोजना-2031

नियोजन खण्ड



सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

(डॉ० आर० के० उदयन)
सहायक नियोजक

(शेर सिंह)
सहयुक्त नियोजक

(अजय कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

0 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000
Meters

9.0 जोनिंग रेगुलेशन्स

9.1 परिचय

9.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू-उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

9.1.2 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी:-

(क) अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध प्रस्तर-9.3 में दिए गए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विषेय अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस-पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात् गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं प्रस्तर-9.4 में दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोग जोन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड) अस्थायी क्रियाएं

ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी विशेष परियोजन हेतु जनसामान्य एकत्र होते हों तथा जो पूर्णतः अस्थायी रूप से अल्प अवधि के लिए स्थापित होती हैं। ऐसी क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने तदसमय प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। उक्त प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.4 “प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध” की शर्त कोड-16 पर भी लागू होंगी।

9.1.3 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, थोक मार्केट काम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं यथा विद्युत् सब-स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट्स, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु “फ्लोटिंग उपयोग” (Floating Use) कान्सेप्ट अपनाया गया है।

“फ्लोटिंग उपयोग”/क्रियाओं के लिए महायोजना में अलग से “जोन” आरक्षित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसे उपयोग की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। “फ्लोटिंग उपयोग” कान्सेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉन-कान्फार्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त “फ्लोटिंग” उपयोग के फलस्वरूप किसी भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

9.1.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उसे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील, आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

9.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.7.3 में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा “प्रभाव शुल्क” (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियामावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का “निम्न” से “उच्च” क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :-

- (i) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु,
- (ii) मिश्रित भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु,
- (iii) विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु,
- (iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा पार्क एवं खुले स्थल, बाग-बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भू-उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू-उपयोगों में होटल की अनुमन्यता तथा आवासीय क्षेत्र में पॉच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की अनुमन्यता हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।
- (v) होटल अथवा व्यवसायिक उपयोग से भिन्न उपयोग में होटल की अनुमन्यता हेतु परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

9.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

9.1.6.1 विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

- (i) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
- (ii) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
- (iii) अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

9.1.6.2 जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

9.1.7 अन्य अपेक्षाएं

9.1.7.1 महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।

9.1.7.2 महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

9.1.7.3 यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। ऐसे स्थलों/भूखण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.3, 9.4 एवं 9.5 के प्राविधानों के अनुसार "सामान्यतः अनुमन्य" क्रियाओं को छोड़कर "सशर्त अनुमन्य" एवं "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं के अनुमति निम्न समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी:-

1	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य	सदस्य

परन्तु "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी:-

1. प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
2. प्रस्तावित क्रिया यथा-सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का-
 - 3.1. प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - 3.2. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।
 - 3.3. प्रस्तावित क्रिया हेतु भू-आच्छादन, अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रियाके मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।
 - 3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

टिप्पणी:- प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग "सामान्यतः अनुमन्य", "सशर्त अनुमन्य", "विशेष अनुमति से अनुमन्य" हो), अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्ति/ सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

9.1.7.4 जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाली परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/विन्यास मानचित्र/पुनर्विकास योजना के लिये तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकास योजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किये जा सके हैं, हेतु कार्यवाही की जायेगी।

9.1.7.5 प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

9.1.8 परिभाषाएं

9.1.8.1 इन रेगुलेशन्स हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उ. प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।

9.1.10.2 'निर्मित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है।

9.1.10.3 "विकासशील/अविकसित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

9.2 भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाये

9.2.1 आवासीय

9.2.1.1	एकल आवास	वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हों।
9.2.1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।
9.2.1.3	आनुषांगिक कर्मचारी आवास	वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाईयों का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
9.2.1.4	चौकीदार/ संतरी आवास	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप-उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

9.2.2 वाणिज्यिक

9.2.2.1	फुटकर दुकानें	वह परिसर जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
9.2.2.2	शो-रूम	वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
9.2.2.3	आटा चक्की	वह परिसर जहाँ गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
9.2.2.4	थोक मण्डी/ व्यापार	वह परिसर जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
9.2.2.5	नीलामी बाजार	ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती हैं। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है।
9.2.2.6	कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)	वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
9.2.2.7	होटल	वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।

9.2.2.8	मोटल	वह परिसर, मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
9.2.2.9	रिजार्ट	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित ऐसा स्थान जो अल्प/लघु अवधि के लिए मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है ऐसे परिसर में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी रहती हैं।
9.2.2.10	कैन्टीन	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
9.2.2.11	भोजनालय, जलपान गृह/ रेस्टोरेन्ट	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
9.2.2.12	सिनेमा	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रक्षेपण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.2.13	मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्च)	वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्प्लेक्स में हो।
9.2.2.14	पी.सी.ओ./ सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश-विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
9.2.2.15	पेट्रोल/डीजल/ सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन	स्टेशन उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
9.2.2.16	गैस गोदाम	वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
9.2.2.17	गैस अधिष्ठान	वह परिसर जहाँ रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती हो।
9.2.2.18	जंकयार्ड/ कबाड़खाना	वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्ध-आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
9.2.2.19	भण्डारण गोदाम, वेयर- हाउसिंग	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल हैं।
9.2.2.20	मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स	यह सामान्य आकार की दुकानें हैं जहाँ मोटर वाहनों के रिपेयर कार्यों हेतु (कार श्रृंगार उपकरणों को छोड़कर) पार्ट्स की बिक्री की जाती है, ऐसी

	की बिक्री हेतु दुकानें :	दुकानों के सामने पार्किंग अनिवार्य है परन्तु इस प्रकार की पार्किंग में रिपेयर कार्य पूर्णतया निषिद्ध है।
9.2.2.21	वाहन क्रय-विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामाग्री केन्द्र	वह परिसर जिसमें वाहन का क्रय-विक्रय, वाहनों का शो-रूम, आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।
9.2.2.22	सर्विस अपार्टमेन्ट	सर्विस अपार्टमेन्ट्स पूर्णतयः सूसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेन्ट्स' होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोई-घर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

9.2.3 औद्योगिक

9.2.3.1	खनन सम्बन्धी उद्योग	वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
9.2.3.2	साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
9.2.3.3	तेल डिपो	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।
9.2.3.4	दुग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।

9.2.4 कार्यालय

9.2.4.1	राजकीय कार्यालय	वह परिसर, जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
9.2.4.2	स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
9.2.4.3	अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
9.2.4.4	निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे गुप द्वारा व्यवसायिक कार्य हेतु कन्सल्टेन्टी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टड एकाउन्टेण्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवल एजेन्ट, इत्यादि।
9.2.4.5	साइबर कैफे	वह केन्द्र या स्थान जहाँ शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इंटरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है।
9.2.4.6	बिजनेस पार्क	नगर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक कार्यालय भवन स्थापित हो, जो केवल व्यसायिक गतिविधियों/कार्यकलापों के उपयोग में लिये जाते हैं।

9.2.4.7	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर	ऐसा सेन्टर जहाँ कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधी सूचना(डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्द्रों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते हैं तथा इनका संचालन साफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
9.2.4.8	काल सेन्टर	ऐसा केन्द्र जहाँ विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाएं, व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं तथा मार्गनिर्देशन ई-कम्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।
9.2.4.9	बैंक	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
9.2.4.10	वाणिज्यिक/व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
9.2.4.11	श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.4.12	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र /शोध केन्द्र	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.4.13	मौसम अनुसंधान केन्द्र	वह परिसर जहाँ मौसम और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.4.14	बायोटेक पार्क	ऐसा औद्योगिक पार्क जहाँ पूर्ण रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास संबंधी क्रियाएं की जाती हैं।

9.2.5 सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें

9.2.5.1	अतिथिगृह/ निरीक्षणगृह	वह परिसर, जहाँ सरकारी/अर्द्ध-सरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
9.2.5.2	धर्मशाला	वह परिसर, जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
9.2.5.3	बोर्डिंग/ लॉजिंग हाऊस	वह परिसर, जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते हैं।
9.2.5.4	छात्रावास	ऐसा भवन जिसमें छात्र शिक्षा की अवधि तक के लिए निर्धारित शुल्क अदा करके निवास करते हैं। इसमें छात्रों के रिहायशी कमरों के अतिरिक्त छात्रों हेतु खान-पान, कैंटीन, शौचालय, इन्डोर गेम्स, वार्डन हाउस, इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते हैं।

9.2.5.5	अनाथालय	वह परिसर, जहाँ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
9.2.5.6	रैन-बसेरा	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
9.2.5.7	सुधारालय	वह परिसर जहाँ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.8	हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रन हाऊस	वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
9.2.5.9	षिषु गृह एवं दिवस देखभाल केंद्र	वह परिसर जहाँ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
9.2.5.10	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	वह परिसर जहाँ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
9.2.5.11	उच्च माध्यमिक / इण्टर विद्यालय	वह परिसर जहाँ 10वीं/12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.12	महाविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.13	पॉलीटेक्निक	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
9.2.5.14	मेडिकल / डेन्टल कालेज	वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार हेतु शिक्षण डेन्टल, आपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
9.2.5.15	उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.16	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
9.2.5.17	प्रबन्धन	वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की

	संस्थान	व्यवस्था हो।
9.2.5.18	सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहाँ गैर-तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
9.2.5.19	डाकघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.20	डाक एवं तारघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.21	टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र	वह परिसर, जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.22	रेडियो व टेलीविजन केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.23	कारागार	वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.24	पुलिस स्टेशन	वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.25	नर्सिंग होम	वह परिसर जहाँ 30 शैयाओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
9.2.5.26	अस्पताल	वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.27	क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक	वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
9.2.5.28	स्वास्थ्य केन्द्र / परिवार कल्याण केन्द्र/हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहाँ 30 शैयाओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर-व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
9.2.5.29	डिस्पेन्सरी	वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
9.2.5.30	नैदानिक प्रयोगशाला	वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जाँच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

9.2.5.31	सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर जहाँ सभा, समाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
9.2.5.32	योग, मनन, अध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन	वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, अध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.33	धार्मिक भवन	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
9.2.5.34	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर-व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.35	सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.36	बारातघर / बंक्वेट हाल	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
9.2.5.37	ऑडिटोरियम	वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
9.2.5.38	खुली नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
9.2.5.39	थिएटर/ नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
9.2.5.40	म्यूजियम/ अजायबघर	वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.41	आर्ट गैलरी/ प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर जहाँ चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.42	संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र	वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।

9.2.5.43	पुस्तकालय/ लाइब्रेरी	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
9.2.5.44	वाचनालय	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
9.2.5.45	सूचना केन्द्र	वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.46	हेल्थ क्लब/ जिम्नेजियम	वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
9.2.5.47	अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.48	समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
9.2.5.49	विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.50	शमशान	वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.51	कब्रिस्तान	वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.52	मेला स्थल	वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.5.53	माइक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।
9.2.5.54	डम्पिंग ग्राउण्ड	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
9.2.5.55	सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रसायनिक किया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
9.2.5.56	सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/ प्रतिष्ठान	वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पम्प-हाउस, आदि, सीवेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, आदि हों। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल हैं।

9.2.5.57	कम्पोस्ट प्लाण्ट	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
9.2.5.58	विद्युत् केन्द्र/ सब-स्टेशन	वह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हों।
9.2.5.59	वाटर वर्क्स	वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजरवार्थ, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
9.2.5.60	कूड़ा एकत्रीकरण स्थल	वह स्थल जहाँ पर घरेलू कूड़ा/कचरा अल्प अवधि के लिए एकत्र किया जाता है।
9.2.5.61	सामुदायिक मार्ग निर्देशन केन्द्र	ऐसा केन्द्र जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों से संबंधित जानकारी (road condition & direction) अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
9.2.5.62	जन सुविधा केन्द्र	वह केन्द्र जहाँ जनसाधारण अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह कर सकें तथा विभिन्न राजकीय अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही कर सकते हैं।
9.2.5.63	ए.टी.एम. कक्ष	वह स्थान/कक्ष जहाँ पर बैंकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु ए.टी.एम. स्थापित किया जाता है।
9.2.5.64	सार्वजनिक शौचालय	वह शौचालय जो जनसाधारण के प्रयोगार्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

9.2.6 यातायात एवं परिवहन

9.2.6.1	पार्किंग स्थल	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
9.2.6.2	बस स्टाप	वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
9.2.6.3	टैक्सी/टैम्पो / रिक्शा स्टैण्ड	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
9.2.6.4	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र	वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.6.5	ट्रान्सपोर्ट नगर	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉपस तथा गोदाम, आदि भी हो सकते हैं।
9.2.6.6	धर्मकौंटा	वह परिसर जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।
9.2.6.7	बस डिपो	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
9.2.6.8	बस टर्मिनल	वह स्थान जहाँ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती है। यहाँ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सम्मिलित हैं।
9.2.6.9	मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप :	ऐसे स्थान जहाँ मोटर वाहनों की सर्विसिंग, रिपेयर कार्य, डेन्टिंग, पेन्टिंग, इत्यादि कार्य किये जाते हैं। ऐसे स्थानों में उपरोक्त कार्य हेतु वाहनों को परिसर में ही खड़ा किया जाता है।
9.2.6.10	हेलीपैड	वह स्थान जहाँ यात्री हेलीकाप्टर द्वारा लैन्डिंग व टेक-आफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।

9.2.7 पार्क, क्रीड़ा/ खुले स्थल /मनोरंजनात्मक

9.2.7.1	पार्क	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुले स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
9.2.7.2	क्लब	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
9.2.7.3	क्रीड़ा-स्थल/ खेल का मैदान	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
9.2.7.4	मनोरंजन पार्क (Amusement Park)	वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।
9.2.7.5	स्टेडियम	वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
9.2.7.6	ट्रैफिक पार्क	पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.7.7	स्वीमिंग पूल (तरण-ताल)	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग-रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।

9.2.7.8	पिकनिक स्थल / शिविर स्थल	पर्यटक / मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिया किया जाता हो।
9.2.7.9	फलाइंग क्लब	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन-राइडिंग के लिए किया जाता हो।
9.2.7.10	शूटिंग रेन्ज	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स / बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण / प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
9.2.7.11	कारवां पार्क :	ऐसा स्थान जहाँ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिये कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते हैं। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे-यात्री टेन्ट, खान-पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती है।
9.2.7.12	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
9.2.7.13	चिड़ियाघर / अजायबघर	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान / पार्क / जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।

9.2.8 कृषि

9.2.8.1	नर्सरी / पौधशाला	वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
9.2.8.2	दुग्धशाला / डेयरी फार्म	वह परिसर जहाँ डेयरी-उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडों के लिए अस्थायी ढाँचा हो सकता है।
9.2.8.3	कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म)	वह परिसर जहाँ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शैड हो सकते हैं।
9.2.8.4	फार्म हाउस	वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
9.2.8.5	उद्यान	वह परिसर जिसे फूलों / फलों के प्रयोजनार्थ पेड़-पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
9.2.8.6	वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़-पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।

9.2.8.7	कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
9.2.8.8	धोबी घाट	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
9.2.8.9	कैटल कालोनी	ऐसा परिसर जहाँ मवेशियों के पालन पोषण, दुग्ध संग्रहण व ट्रीटमेन्ट इत्यादि किया जाता है। ऐसे स्थान पर मवेशी उपचार केन्द्र, कर्मचारियों के आवास व अन्य अनुषांगिक लघु क्रियायें जैसे दैनिक उपयोग की दुकानें, कम्युनिटी सेन्टर इत्यादि भी निर्मित किये जा सकते हैं।
9.2.8.10	पशु सम्बर्धन केन्द्र	ऐसा स्थान जहाँ केवल मांसाहारी भोजन के उपयोगार्थ पशुओं का वध किया जाता है।

9.2.9 अस्थायी क्रियाएँ

9.2.9.1	वेन्डिंग जोन	वह क्षेत्र जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान/पदार्थों के विक्रय सामग्री व्यावसायिक गतिविधियाँ वेन्डर द्वारा की जाती हैं।
---------	--------------	--

9.3. विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगी:-

- (1) विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी:-

- * विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
- * मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।
- * अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

- (2) विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी :-

1. प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो
2. प्रस्तावित क्रिया यथा-सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का
 - 3.1. प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - 3.2. प्रस्तावित अन्य क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।
 - 3.3. प्रस्तावित क्रिया के कारण अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।
 - 3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

- (3) महायोजना में चिन्हित हैरिटेज जोन में खान-पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट्स, फोटोग्राफर, रेल/वायु/टैक्सी, इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गार्ड कार्यालय, पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय, तथा अन्य आवश्यक क्रियाएं यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

- (4) जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य क्रियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणी:

- (i) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट-बैक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नहीं हैं, के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।
- (ii) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

9.4. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.5 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:-

कोड	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु
4	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
5	तलपट मानचित्र के अनुसार एवं भूखण्ड पर अनुमन्य अधिकतम आच्छादन का 10 प्रतिशत।
6	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 10 शैय्याओं तक
8	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 30 शैय्याओं तक
9	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
10	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
11	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर निर्धारित स्थानों पर
12	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार) न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
13	भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
14	भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 02 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
15	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु
16	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी निर्धारित स्थानों पर
17	केवल संकामक रोगों से सम्बन्धित
18	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
19	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)
20	नगर प्रस्तावित मुख्य मार्गों, ग्रामीण आबादी एवं नगरीय सीमाओं से न्यूनतम 300 मी० की दूरी पर
21	केवल सम्बन्धित सुविधा के उपयोगार्थ एवं परिसर के अंदर भू-आच्छादन का अधिकतम 01 प्रतिशत
22	स्थल के कुल 5 प्रतिशत क्षेत्र तक
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर वर्तमान आवासीय सेक्टर रेट अथवा सर्किल रेट (दोनों में जो अधिक हो), का 10 प्रतिशत प्रभाव शुल्क के साथ
25	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
26	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर एवं केवल भूतल पर।
27	मुख्य/क्षेत्रीय मार्गों के अधिकतम 5 प्रतिशत भूआच्छादन के साथ जो प्रश्नगत भूखण्ड के पार्श्व भाग में निर्मित किया जा सकेगा।
28	केवल परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत बस अड्डों में।

फुटकर उपयोग के दुकानों की सूची :-

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीडी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी सी ओ
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग व बुटीक
18. घड़ी मरम्मत
19. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
20. कढ़ाई-बुनाई एवं पेन्टिंग
21. केवल टी0वी0 संचालन, वीडियो पार्लर
22. प्लम्बर शाप
23. विद्युत उपकरण
24. हार्डवेयर
25. टायर पंचर की दुकानें
26. साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
27. कपड़े इस्तरी करना
28. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

29. लाण्डी, ड्राई-क्लीनिंग
30. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
31. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग
32. सोना तथा चाँदी का कार्य
33. जूते का फीता तैयार करना
34. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
35. सइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
36. फोटो फ्रेमिंग
37. जूता मरम्मत
38. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
39. बेकरी, कन्फेक्शनरी
40. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
41. फर्नीचर
42. साईबर कैफे
43. समरूप सेवा उद्योग

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची :-

(अधिकतम आच्छादन 15.00 वर्ग मी०)

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. पान, बीडी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपडे इस्तरी करना

नोट:- मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट-बैक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेंगी।

निर्मित/मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची :-

(5 हार्स पावर तक)

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी0वी0रेडियों, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग
6. सोना तथा चॉदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. सइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग
20. साईबर कैफे

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची :-

(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चॉदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
19. रेडियों टी0वी0 बनाना
20. पेन, घड़ी, चश्मे की मरम्मत
21. सर्जिकल पट्टियाँ
22. सूत कताई व बुनाई
23. रस्सियों बनाना

24. दरियों बनाना
25. कूलर तैयार करना
26. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
27. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
28. खिलौने बनाना
29. मोमबत्ती बनाना
30. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
31. तेल निकालने कार्य (शोधन को छोड़कर)
32. आइसक्रीम बनाना
33. मिनरल वाटर
34. जाबिंग एवं मशीनिंग
35. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
36. पेपर पिन तथा यू-क्लिप
37. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
38. चश्मों के फ्रेम
39. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) /उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर कालम-2 से 23 में महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस क्रिया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू-उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो Coloured तथा Black & White दोनों प्रकार से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया है:-

(i)	 	अनुमन्य उपयोग : जो सामान्यतः अनुमन्य हैं।
(ii)	 	सशर्त अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.4 में कोड संख्या-1 से 27 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य हैं।
(iii)	 	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.3 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य हैं। “सक्षम प्राधिकारी” की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.1.8 में क्रमांक-9.1.8.1 पर दी गई है।
(iv)	 	निषिद्ध उपयोग : जो अनुमन्य नहीं हैं।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

उदाहरण-1 : कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि “नर्सिंग होम” व्यवसायिक भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक-5.19 पर नर्सिंग होम के सम्मुख X-Axis पर व्यवसायिक भू-उपयोग जोन के कालम में संकेत   (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवसायिक भू-उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण-2 : निर्मित क्षेत्र में “शोरूम” अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-9.5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक-2.2 पर शोरूम के सम्मुख X-Axis पर “निर्मित क्षेत्र” के कालम में संकेत   (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट कोड संख्या-6 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

लखनऊ महायोजना-2031(प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की दिनांक 03.06.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के सभागार लखनऊ महायोजना-2031(प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की दिनांक 03.06.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के सभागार में आयोजित बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या(Action Taken Report):-

क्र.सं.	शासकीय समिति द्वारा लखनऊ महायोजना-2031 के परीक्षणोंपरान्त लिये गये निर्णय	अनुपालन की स्थिति
1	श्री अनिल कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रतिनिधि) जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि आउटर रिंग रोड पर नई जेल के समीप हबुआपुर में ग्राम समाज की सरकारी भूमि हैं। उक्त स्थल महायोजना में वन भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जिसको संशोधित कर कार्यालय उपयोग में दर्शित कर दिया जाय। सभी सदस्यों ने सहमति की अतएव निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल को कार्यालय भू-उपयोग में दर्शाया जाय	अनुपालन किया गया।
2	श्री संजीव कश्यप, उत्तर प्रदेश आवासा एवं विकास परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वृन्दावन योजना के मध्य स्थित सी.बी.डी. (सेण्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट) को संशोधित कर मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया जाय। सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की अतएव निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल को मिश्रित भू-उपयोग दर्शाया जाय।	अनुपालन किया गया।

लखनऊ महायोजना-2031 प्रभावी

दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को शासन द्वारा स्वीकृत लखनऊ महायोजना-2031 प्रभावी होने के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र "द टाइम्स ऑफ इंडिया" एवं "हिन्दुस्तान" दिनांक 21.12.2016 के संस्करण में प्रकाशित है।

प्रकाशित प्रारूप



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सार्वजनिक सूचना

लखनऊ महायोजना-2031

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1504(1) / 8-3-16-308 विविध/2011, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा लखनऊ महायोजना-2031 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-12 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत लखनऊ महायोजना-2031 सूचना प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

उक्त स्वीकृत लखनऊ महायोजना-2031 की प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग एवं सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० कपूरथला अलीगंज, लखनऊ में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

(डा० अनूप यादव)

उपाध्यक्ष।"

लखनऊ महायोजना-2031 का शासन से अनुमोदित प्रारूप

प्रेषक,

संख्या-1504(1) / 8-3-16-308विविध / 2011

शिव जनम चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ

दिनांक 19, दिसम्बर, 2016

विषय : लखनऊ महायोजना-2031 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-1719/व०नि०(1)/ल०म०यो०-2031/2016-17 दिनांक 25.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से लखनऊ महायोजना-2031 की स्वीकृति के संबंध में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-10 एवं 11 के प्राविधानों के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031, को स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लखनऊ महायोजना-2031 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

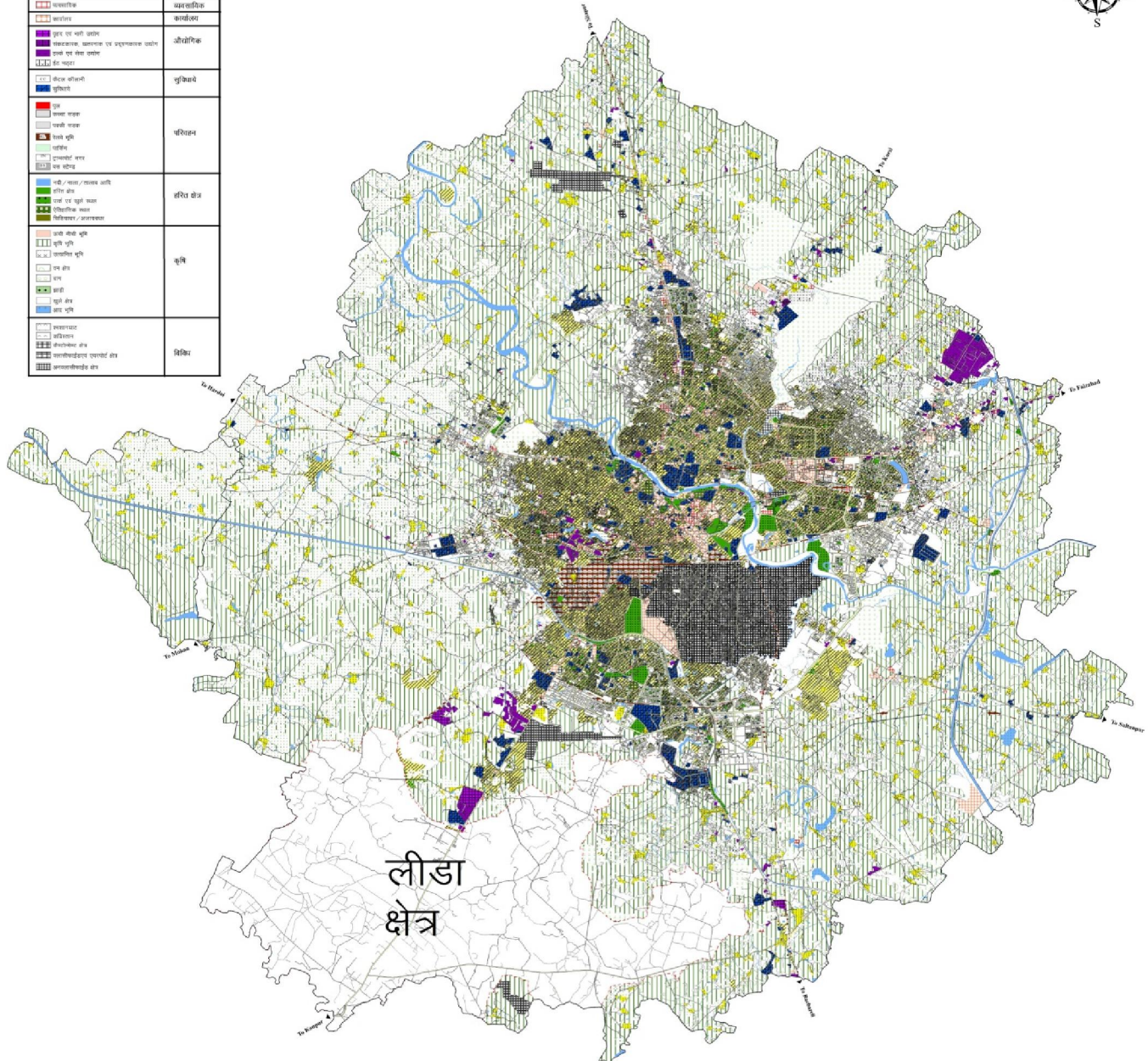
प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अनुमोदित लखनऊ महायोजना-2031 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

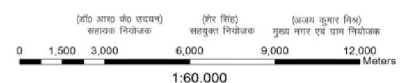
(शिव जनम चौधरी)

विशेष सचिव।

लखनऊ महायोजना-2031
वर्तमान भू-उपयोग - 2010

[illegible]

सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०



स्तावित भू-उपयोग

संकेतिका

- वासीय
- | | |
|---|------------|
|  | निर्मित से |
| | आवासीय |
|  | सामान्य |

वसायिक

- | | |
|---|--|
|  | मिश्रित भू-उपयोग 1 |
|  | मिश्रित भू-उपयोग 2 |
|  | नगर कोण्ड |
|  | कंप्यूटर वाणिज्यिक क्षेत्र |
|  | उपनगर कोण्ड |
|  | वाहन कार्य-निवास सारल/कायचलल/सहायक सलभरी कोण्ड |
|  | शोक व्यापार कोण्ड |
|  | मण्डलर/मोदाम/वेयरहाउसिंग |

येषामर्थे

- | | |
|---|--|
|  | प्रतापति सामाजिक / सांस्कृतिक / शैक्षिक संस्थाचे कृषे सौख्ये |
|  | सामान्य शैक्षिक संस्थाचे |
|  | तकनीकी शैक्षिक संस्थाचे |
|  | मिनिस्त्रावर्य |
|  | जलकल |
|  | सौख्ये / पस.टी.पी. |
|  | पौर स्वतंत्र |
|  | संविदे स्वतंत्र / दूरदर्शन |

नौरंजनात्मक

- | नारियल नामक | |
|---|---------------------------------------|
|  | हरित पट्टी |
|  | पार्क एवं खुले स्थल |
|  | शेकीय पार्क एवं प्रीति स्थल |
|  | ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल |
|  | विकासधर / अज्ञातधर |
|  | कनस्थि उद्योग / पार्क |

प्रायोगिक

- ☐ ਸੂਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
- ☐ ਹਲਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
- ☐ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਤਸ਼ਾਹ
- ☐ ਬੇਗਮੀ

न्यायालय

-  **कक्षा कार्य**

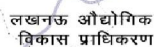
यातायात एवं परिवहन

- | | |
|---|-------------------------|
|  | वर्तमान मार्ग |
|  | प्रस्तावित मार्ग |
|  | रेलवे लाईन (बॉर्डर सेज) |
|  | रेलवे लाईन (मीटर गेज) |
|  | रेलवे स्टेशन |
|  | पाकिंग |
|  | बस टर्मिनल |
|  | ट्रान्स्पोर्ट नगर |
|  | टोल टर्मिनल |

विशेष

- | | |
|----|--------------------------------|
| EG | सदस्यता / नेता एवं वैसी स्थान |
| CC | कॉन्ट्रोल कालोनी |
| | लेखा उपयोगी या विचारणा केन्द्र |
| SH | पशु व्यवस्था |
| | मानव पाठ / उच्चस्थान |
| | नदी / नाला / जलवायु |
| | गम |
| | निर्दिष्ट क्षेत्र |
| | अपरिचित क्षेत्र |
| | इमारत पट्टी |
| | सुविधा क्षेत्र |
| | भाग / बली |
| | कोठा |

- हाई टेंशन लाईन महायोजना 2021 की सीमा
 हाई टेंशन पोत निक्करा क्षेत्र की सीमा
 लीडा क्षेत्र की सीमा



अवधि / पुराना पुनर्माई तारीख			
 (Anurag Singh) पुनर्माई विभाग अखिल भारतीय भारतीय विभाग	 (Anurag Singh) पुनर्माई विभाग अखिल भारतीय भारतीय विभाग	 (Anurag Singh) पुनर्माई विभाग अखिल भारतीय भारतीय विभाग	 (Anurag Singh) पुनर्माई विभाग अखिल भारतीय भारतीय विभाग
 (Anurag Singh) पुनर्माई विभाग अखिल भारतीय भारतीय विभाग			

[illegible]

Year	Number of Publications
2006	~1,000
2007	~1,800
2008	~2,500
2009	~3,200
2010	~4,000
2011	~4,800
2012	~5,500
2013	~6,200
2014	~7,000
2015	~7,800
2016	~8,500
2017	~9,200

ॐ महायोजना-2031

मार्ग संरचना



सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०



सुगम शहर
सुरक्षित शहर
समृद्ध शहर
स्वच्छ शहर
सुन्दर शहर

सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
एवं
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ